खण्ड-265, अंक-9
सोमवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1888
(28 मार्च, 1966 ई0)

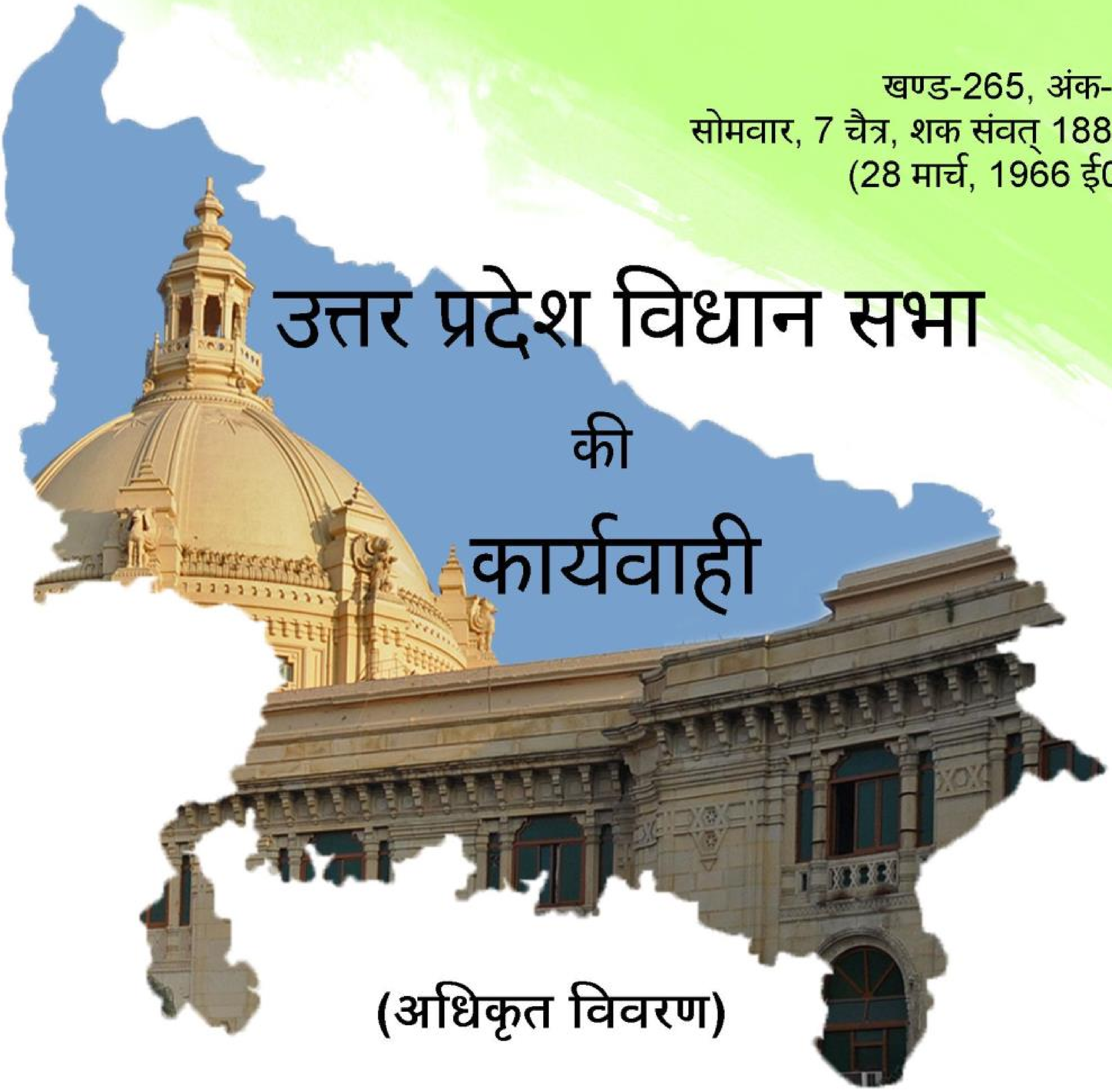

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८१३–८१८
व्यवस्था का प्रश्न	८१८
प्रश्नोत्तर	८१९–८४१
प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (मेज पर रखा गया)	८४१
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत) ..	८४१–८४४
सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम	८४४
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	८४५
१९६६–६७ के आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गई धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के संबंध में श्री टम्बेश्वर प्रसाद की आपत्ति (जारी)	८४५
म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४५–८४६
१९६६–६७ के आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गयी धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री टम्बेश्वरप्रसाद की आपत्ति	८४६–८४८
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	८४९
अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य (स्वीकृत)	८४९–८५०
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत)	८५०–८७५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित) ..	८७६–८९९
सदन के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	९००
नस्थियां	९०१–९०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ मार्च, १९६६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेधनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उप नाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नाथर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशमान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मठाणी, श्री

गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति शम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पान्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जय गोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगल किशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्र सिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पान्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री

नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दु भूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री

मूल चन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधारसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखनवकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री ((एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसुरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखो सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। परसों जब माननीय रामायण राय अधिष्ठाता की हैसियत से कुर्सी पर बैठे थे इसके पहले से हम बार बार सदन में खड़े हो रहे थे और हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था और इस तरह से कह कर कि पार्टी लाइन्स पर ही बुलाया जाता है मैं समझता हूं यह सदन का भारी अपमान है। साथ ही साथ...

श्री अध्यक्ष—

यह विषय इस वक्त नहीं आ सकता। परसों क्या हुआ, यह आज नहीं देखा जा सकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

परसों का सवाल नहीं है, सवाल व्यवस्था का है।

श्री अध्यक्ष—

पहले अभिसूचित प्रश्न समाप्त हो जायं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आगे की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आगे के लिये बाद में कर दिया जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि पिछली २५ तारीख को मेरे हक में फैसला था, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सके और आज भी जो आप फैसला करेंगे हम उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यह संसदीय प्रथा के विरुद्ध निहायत अपमानकारी काम परसों हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

छात्राओं की वेशभूषा

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वह भी पंजाब के शिक्षा मंत्री का अनुसरण करके प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को आदेश देने जा रहे हैं कि चुस्त वस्त्र, श्रृंगार प्रसाधन तथा विचित्र केशविन्यास का प्रयोग न करने वाली छात्राओं को परीक्षाओं में 'सादगी' के लिये पांच अतिरिक्त अंक प्रदान किये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पांडेय)---

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यकता क्यों नहीं प्रतीत होती है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

इसमें लोगों के हकूक का मामला है और हो सकता है कि संविधान की भी किसी धारा से हमारा टकराव हो जाय। यह तो सामाजिक मामला है। यह तो लोग अपने आप करें तो अच्छा है। सरकार इस चीज को करे तो शायद कोई कमप्लीकेशन पैदा हो जाय। इसलिये सरकार इसको मुनासिब नहीं समझती।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जब पंजाब में भी ऐसी ही सरकार है जैसी हमारी सरकार है, तो पंजाब सरकार अपने यहां इस चीज को कर सकती है फिर हमारी सरकार को क्या संवैधानिक अड़चन पड़ रही है ?

श्री राममूर्ति---

हर बात में पंजाब सरकार का पीछा करना मुनासिब नहीं है !

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

इस प्रश्न से संबंधित जो विषय है, श्रीमन्, उसकी अवांछनीयता पर कोई दो मत नहीं हो सकते। मंत्री जी ने बताया कि सम्भवतः संविधान के किसी अनुच्छेद से टकराव हो जायगा, तो क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि संविधान के अनुच्छेद का विधिवत अध्ययन करने के बाद यदि कहीं टकराव न होता हो तो यह अवांछित वेशभूषा जो छात्राओं के लिये अपमानजनक है, हमारे लिये भी है, इसको बन्द कराने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, यह भी तो हर आदमी के अपने सोचने की बात है। कुछ चुस्त ड्रेस को अच्छा मानते हैं, कुछ खराब मानते हैं। कितने ही लोग समझते हैं कि चुस्त ड्रेस में आदमी अच्छा लगता है। अभी किसी को फौज की ड्रेस पहना देते हैं तो अच्छा लगता है। कल को स्त्री समाज यह सवाल कर दे कि हम लोग ढीले ढीले कपड़े न पहना करें। इसलिये यह कंट्रोवर्शियल प्रश्न है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कृषक समाज में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में आदेश

*१---श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय अधिकारियों को कृषक समाज से पृथक रहने के हेतु कोई जी० ओ० हाल ही में भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

जी हां। जी०ओ० की एक कापी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०१–९०२ पर)

[२८ मार्च, १९६६, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गंगाजल की शुद्धता की रक्षा

*१—श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गंगा की पवित्रता तथा जल की शुद्धता की रक्षा हेतु काशी में गन्दे नालों को गंगा से हटा के दूर गिराने की योजना के अनुसार हरिद्वार, कानपुर, बिठूर तथा प्रयाग में इसी प्रकार की योजना चालू करने पर विचार करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

गंगा की पवित्रता तथा जल की शुद्धता की रक्षा हेतु इन स्थानों में गन्दे नालों को गंगा से हटा कर दूर गिराने की योजनाओं की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

हरिद्वार—यह प्रश्न हरिद्वार डेवलपमेन्ट कोआरडिनेशन कमेटी के विचाराधीन है। नगरपालिका से योजना बनाने का शुल्क राज्य के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा मांगा गया है। नगरपालिका से शुल्क मिल जाने पर योजना बनेगी। उसके पश्चात् भारत सरकार से धन मिलने पर योजना को कार्यान्वित करना सम्भव होगा।

कानपुर—कानपुर में गंगा में गिरने वाले सभी गन्दे पानी के नालों को घुमा कर सीवरों में मिला दिया गया है। नगर में अब बरसाती नालों को छोड़कर कोई गन्दा नाला गंगा में नहीं गिरता है।

बिठूर—यहां पर इस समय इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रयाग—प्रयाग क्षेत्र में भी गंगा को दूषित जल से बचाने की दृष्टि से एक योजना का पूर्वानुमान (फोरकास्ट आफ कास्ट) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा ६४.५ लाख रुपये की लागत का बनाया जा चुका है। विस्तृत योजना (डिटेल्ड एस्टीमेट) बनाने के लिये महापालिका से विभागीय शुल्क प्राप्त हुआ है। शुल्क प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि बिठूर एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व का स्थान है और वहां जो गन्दा नाला गिरता है सफाई को दृष्टि में रखते हुए गंगा की रक्षा करने के लिए वहां भी ऐसी योजना कार्यान्वित की जायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बिठूर टाउन एरिया है और इतना छोटा सा निकाय है कि उसके लिये लाखों रुपया की योजना बनाना संभव नहीं है। जो भी योजना बनाई जाती है उसके लिये स्थानीय निकाय को शत प्रतिशत ऋण दिया जाता है न कि अनुदान।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

हरिद्वार, कानपुर और प्रयाग की योजनायें कब तक कार्यान्वित हो जायंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

कानपुर की तो हो गयी। हरद्वार और प्रयाग अगर शुल्क दे दें और रुपया भी उनके पास हो, ताकि ऋण लेने के लिये क्षमता हो सके, तो वहां भी शुरू हो जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

जिस प्रकार कानपुर, हरिद्वार और प्रयाग के लिये गन्दे पानी को निकालने की योजना बन रही है तो हर छोटे शहर में जहां से गंगा जी निकलती हैं वहां पर जो गन्दे पानी के नाले हैं उनको गिराने के सम्बन्ध में योजना सरकार बनायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समस्त स्थानीय निकायों को यह विदित है कि अपने अपने निकायों के इस प्रकार के दूषित जल को किस विधि से डालें। यदि वे निकाय ऋण लेने और शुल्क देने की क्षमता रखती हों तो इस प्रकार की योजनाओं को बनाया जा सकता है।

श्री बृजविहारी (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काशी में वरुणा और गंगा का जो संगम है वहीं पर सारे शहर का गंदा पानी गिरता है। तो यह योजना जो बनायी जा रही है वह कब तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसमें काशी कहां है ? इसमें तो कानपुर, हरिद्वार, प्रयाग और बिठूर है।

श्री अध्यक्ष---

काशी में तो योजना है ही।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मंत्री जी ने कहा कि बिठूर टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या यह देखते हुये उस निकाय को ऋण न दे कर अनुदान से उस गन्दे नाले को दूसरी तरफ गिरायेंगे ?

वन मन्त्री (श्री चरणसिंह)---

माननीय मित्रों की भावनायें बड़ी पवित्र हैं जैसे कि हमारे यहां इस प्रदेश का एक-एक कण पवित्र हैं जो गंगा के किनारे है, लेकिन सारा प्रश्न है साधन का। अब, बिठूर के लिये गवर्नमेंट योजना बनाये तो पैसा कहां से आये ? यह स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। वहां एक टाउन एरिया है। अगर उसकी क्षमता है कि वह कर्जा ले सके तो गवर्नमेंट को लिखे, हम योजना बना देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास रुपया हुआ और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने दिया तो हम कर्ज पर देंगे। यही बात सब जगह लागू होती है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि ब्रह्मवर्त्त, बिठूर में जहां पर यज्ञ की कील गड़ी हुई है ठीक उससे दो गज के फासले पर एक गन्दा नाला गिरता है ? तो कम से कम उस नाले को तो वहां से स्थानान्तरित कराने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह सम्भव नहीं है।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)---

हरद्वार की योजना काफी दिनों से बन रही है कि गन्दा पानी न पड़े लेकिन हर की पैड़ी से कुछ ही दूर पर शहर का गन्दा पानी आ कर पड़ता है। तो कितनी जल्दी वह पानी वहां पड़ना बन्द हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

हरिद्वार नगरपालिका से शुल्क मांगा गया है। यदि वह दे देगी तो डिटेल्ड प्रोग्राम प्रारम्भ होजायगा।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

सिर्फ गंगा की पवित्रता की दृष्टि से नहीं बल्कि उस गंगा में लाखों, करोड़ों आदमी स्नान करते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, इस बात को दृष्टि में रखते हुये स्वास्थ्य मंत्री और आप, दोनों मिल कर, गंगा की सफाई की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है पूरे प्रदेश के लिये। वही उत्तर मेरे पास भी है कि प्रदेश की सारी योजनायें बनायी जा सकती हैं बशर्ते कि माननीय सदन इस विभाग को धन दिलाने में मदद कर दे।

मोहननगर, गाजियाबाद योजना

*२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने मोहननगर, गाजियाबाद की योजना के अन्तर्गत आवास गृह तथा औद्योगिक संस्थान के भवनों के निर्माण के लिये किसे और कितना रुपया ऋण स्वरूप दिया गया है और उसकी अदायगी की क्या शर्तें हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मोहननगर गाजियाबाद की योजना के अन्दर्गत आवास गृह तथा औद्योगिक संस्थान के भवनों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया है, अस्तु अदायगी की शर्तों का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ऋण की वसूली के लिए जो किस्तें निर्धारित की गई थीं उनमें से कितना रुपया अदा किया जा चुका है और कितना रुपया किस्तों का दिसम्बर सन् १९६४ तक ड्यू है ? और वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न नहीं उठता ।

*४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रुपया जो आवास तथा औद्योगिक संस्थानों के भवन निर्माण के लिये दिया गया है उस पर कितना प्रतिशत सूद लिया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भवन निर्माण के लिये जो रुपया दिया गया है वह किसी व्यक्ति को दिया है या अलग-अलग लोगों को दिया गया है और कितना रुपया दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

श्रीमन्, जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया जा चुका है। अब कहां कालोनी बनेगी और कहां से धन आ रहा है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

यह जो कालोनी बनाई गई है इसको गवर्नमेंट से, बैंक से या किस तरह से दिया गया है, कितना दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने बता दिया है। अब किस तरह से बनेगा, यह बनाने वाले जानें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या यह सही है कि गाजियाबाद के मोहननगर में भवन निर्माण के लिये लोन दिया गया है और जितना वहां निर्माण हुआ है वह कर्ज के रुपये से ही हुआ है ? क्या इसकी मंत्री जी छानबीन करायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मोहननगर के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है। यह पूछा गया था कि गाजियाबाद में किसी संस्थान को आवास निर्माण हेतु ऋण दिया गया है अथवा नहीं। गजियाबाद में इस प्रकार का लोन कोई कभी नहीं दिया गया। लेकिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दो प्रकार की योजनाओं में गृह निर्माण के लिये रुपया दिया गया। यदि उससे रुपया मांगा होगा तो उसने दे दिया होगा। इसकी हमें कोई सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मोहननगर में भवन निर्माण के लिये कहां से पैसा मिला और कितना रुपया दिया और कितनी किस्त अदा हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह दिया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया है। वह चाहे किसी को दे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कितना रुपया दिया गया है।

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसके लिये कोई रुपया नहीं दिया गया, यह कह तो दिया है।

शोहरतगढ़ में टाउन एरिया स्थापित करने की प्रार्थना

*५---श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार भारत-नैपाल सीमा स्थित शोहरतगढ़ (बस्ती जनपद) कस्बे में टाउन एरिया स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं।

*६—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय गांव सभा ने जनता का सामूहिक प्रार्थना-पत्र भी अभी हाल में उसकी सेवा में भेजा है? यदि हां, तो उस पर उसने क्या निर्णय लिया है?

श्री चरणसिंह—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्नाभाव

*७—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के इस नये अन्नाभाव का सामना करने के लिए उसने कौन से उपाय किये हैं और उनके परिणाम क्या हुये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

वांछित सूचना निम्नप्रकार है:

(१) सूखा एवं अभाव ग्रस्त जिलों को अतिरिक्त खाद्यान्न का कोटा दिया गया और जिलाधीशों को आदेश दिये गये कि वे उसे जरूरतमन्द व्यक्तियों को बटवाने का प्रबन्ध करें।

(२) फरवरी, १९६६ में समस्त जिलाधीशों को लिखा गया कि यदि उनको जरूरतमन्द क्षेत्रों में वितरण कराने हेतु ज्वार की आवश्यकता हो तो वे अपनी मांग शासन को भेजें। जिन जिलों ने अपनी मांग भेजी उनको ज्वार एलाट किया गया।

(३) मार्च के शुरू में समस्त जिलाधीशों को तथा क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को लिख दिया गया कि उनको यदि मोटा अनाज जरूरतमन्द क्षेत्रों में बटवाने की आवश्यकता हो तो अपनी मांग के अनुसार मोटा अनाज सम्बद्ध क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों से प्राप्त कर लें और उसे बटवाने का प्रबन्ध करें।

(४) ३०० टन खाद्यान्न भेजा तथा करछना तहसीलों में सूखा ग्रस्त जनता के लिये दिया गया है और जिलाधीश से कह दिया गया है कि वे ४० सस्ते गल्ले की दूकानें या जितनी दूकानों की आवश्यकता हो इन तहसीलों में खोलें और खाद्यान्न का वितरण करायें और यदि उनको और गल्ले की आवश्यकता हो तो वे उसे क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से प्राप्त कर लें।

ऐसी आशा है कि शासन द्वारा उन उपायों के किये जाने के परिणामस्वरूप सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत मिली होगी और मिलेगी।

*८—९—श्री गिरधारी लाल (जिला वाराणसी)—

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला पूर्ति कार्यालय, बाराबंकी, के विरुद्ध आरोप

*१०—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद जिला पूर्ति कार्यालय के विरुद्ध मिट्टी का तेल, शक्कर वितरण करने के सम्बन्ध में दिनांक २२ जनवरी, १९६६, को जिलाधीश को कोई मांग-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य वाही की गई?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां। मांग पत्र में लगाये गए आरोपों की जांच एक वरिष्ट डिप्टी कलेक्टर द्वारा करायी गयी थी। सभी आरोप निराधार पाये गये। गत दो महीनों से बाराबंकी को बढ़ा कर चीनी का कोटा दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण जनता को अधिक चीनी मिल सके। जहां तक मिट्टी का तेल का प्रश्न है इसकी पूर्ति की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है अतः उपभोक्ताओं की इस वस्तु की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा करना, वर्तमान स्थिति में सम्भव नहीं है।

जनवरी, १९६६, तक मैदा की कमी थी परन्तु बाद में मैदा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता रहा और इस समय मैदा की स्थिति सन्तोषजनक है।

श्री मंगलदेव—

मन्त्री जी ने बताया कि आरोप निराधार पाये गये और यह भी स्वीकार किया है कि दो महीने से हालत ठीक की जा रही है और यही कहा कि मिट्टी के तेल का कष्ट था और है, तो भी आरोप निराधार पाये गये कहां तक ठीक है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, बल्कि कोटा कम है इसलिये विरोधाभास नहीं है।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

इस बात को देखते हुये कि बाराबंकी में मिट्टी के तेल की कमी है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की प्राप्ति कराने हेतु क्या व्यवस्था की है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बिजली नहीं है, दो लीटर देने की व्यवस्था की गयी है और हर अदालती पंचायत में इस हेतु १-१ दुकान खोलने की व्यवस्था की गयी है। शहर में जहां पर बिजली है, वहां पर आधा लीटर और जहां पर नहीं है वहां पर दो लीटर देने की उनके हेतु विशेष व्यवस्था की गयी है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो शिकायती पत्र जिलाधीश महोदय को दिया गया, उसके जांच अधिकारी कौन थे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह तो प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है, एक सीनियर एस० डी० ओ० थे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वह गांवों में २ लीटर की व्यवस्था कर पाये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि दो लीटर हर परिवार को मिल सके, इसके लिये आपने कोई कार्ड या परिचय पत्र की व्यवस्था की है?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

वहां के सभापति गांव वालों को पर्चियां देते हैं इसके निमित्त । कार्ड इसलिये नहीं बनाये गये कि यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है । मुमकिन है पोजीशन अच्छी हो जाए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---

मिट्टी के तेल की कमी को देखते हुये क्या सरकार और आप स्वयं भारत सरकार से ऐसी सिफारिश करेंगे कि बाहरी जो तेल की कम्पनियां हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए, जिससे कि देश और प्रदेश की झोपड़ियों में रोशनी हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं इसके लिये स्वयं कल दिल्ली गया था, वहां पर एक मीटिंग थी इसके विषय में । ६४ में जितनी खपत थी सूबे में, वह उसी मात्रा में देंगे । उस समय हमारे यहां २० हजार टन खर्च होता था और हमको १६ हजार टन ही प्राप्त होता था । इंडियन आयल कम्पनी का मामला था, क्योंकि विदेशी मुद्रा का प्रश्न है, इसलिये यह कमी रही, हर करेन्शी वालों को वह दे नहीं रहे हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को देखते हुये कि जो भी कम या ज्यादा स्टाक है, उसका भी समय से एलाटमेंट नहीं हो रहा है और वह महीनों पड़ा रहता है और जो हर अदालती पंचायत में दूकानें मिट्टी के तेल की खुली हैं, वे भी सेन्टर पर नहीं हैं, इससे जनता में बड़ी अव्यवस्था और असन्तोष है, तो क्या आप इन अव्यवस्थाओं की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां तक हमारा प्रश्न है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इसके नियम बना दिये हैं, फूड एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई हैं । अब हम आशा करते हैं कि सब ठीक है, किन्तु कहीं विशेष जगह यदि कोई व्यवस्था ठीक नहीं हैं, तो मुझे लिखकर दे दें, हम कार्य वही कर लेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जो मांग पत्र दिया गया था, उसमें डी० एस०ओ० पर २५ रुपया प्रति ड्राम लेने का आरोप लगाया गया था, तो क्या आरोपकर्त्ता से भी जांच की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसमें कोई विशेष आरोपकर्त्ता का नाम नहीं है, यह एक प्रस्ताव की शकल में शिकायत थी । प्रस्ताव में एक जनरल शिकायत थी किसी एक खास अधिकारी के विषय में नहीं थी, समय पर लोगों को नहीं मिलता और लोगों को निराशा होती है, ऐसी बातें थीं . . . .

श्री अध्यक्ष---

२५ रुपये लेने वाले आरोप की बात नहीं थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

ऐसी कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

जो प्रस्ताव मांग-पत्र के रूप में आया है, वह किसी संस्था का है या किसी व्यक्ति विशेष का ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह प्रस्ताव जिलाधीश के पास गया, लेकिन यह नहीं इसमें बताया गया है कि किसके पास से आया । लेकिन यह कहा गया है कि एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें यह दिया गया था ।

*११–१२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

१३–१४—श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में मिट्टी के तेल की वितरण-व्यवस्था

*१५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर के मिट्टी के तेल के वितरण की क्या व्यवस्था बनाई है तथा मिट्टी के तेल चलने वाले ट्रैक्टर को मिट्टी का तेल पाने की की क्या व्यवस्था बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वितरण व्यवस्था निम्नलिखित हैं :—

शहरी क्षेत्रों में बिना बिजली वाले घरों को २ लीटर तथा बिजली वाले घरों को १/२ लीटर प्रति माह प्रति परिवार। देहाती क्षेत्रों में एक माह में २ लीटर प्रति परिवार ।

ट्रैक्टरों के मालिकों की मांग आने पर उपलब्धता को देखते हुए यथा संभव मात्रा में तेल दिया जाता है ।

*१६—श्री मदनपालसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपय बतायेंगे कि हमीरपुर जिले में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कितना मिट्टी का तेल १ दिसम्बर, सन् १९६५ से ३१ जनवरी, १९६६ तक कितना आया तथा कुल कितने थोक बिक्रेताओं के रिटेलर्स द्वारा तथा कितना डी०एस०आ० के लाइसेंस द्वारा वितरण किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना निम्नलिखित है :

१–१२–६५ से ३१–१–६६ तक कुल तेल जो आया	..	२५०६९ टीन
वितरण:—		
(अ) थोक विक्रेताओं के रिटेलर्स द्वारा	..	३०२४ टीन
(ब) डी०एस०आ० के लाइसेंसियों द्वारा	..	२३०३५ टीन ।

श्री मदनपाल सिंह—

ट्रैक्टर्स के लिये लाइसेंस मिट्टी के तेल का डी०एस०आ० से मिलता है । जिसमें आने जाने में अधिक समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तेल देने की व्यवस्था हर तहसील में हो जाय और उसका यथासंभव स्टाक तहसील हेडक्वार्टर पर हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपलब्धता का अन्दाजा पहले से नहीं हो सकता, इसलिये यह करना संभव नहीं है ।

श्री मदनपालसिंह---

हमीरपुर में ट्रैक्टर्स की तादाद ज्यादा है और आम तौर पर जब से तेल पर नियंत्रण हुआ तब से किसी ट्रैक्टर को तेल नहीं मिला है। तो क्या हमीरपुर जिले के लिये कोई खास व्यवस्था इन ट्रैक्टरों के लिये करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

उसके लिये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने जिले की खाद्य सलाहकार समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखें और वहां के जिलाधीश जो सर्वसम्मति से निश्चित करके व्यवस्था भेजेंगे उस पर हम विचार अवश्य करेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

ट्रैक्टर्स के सिलसिले में और जनता के लिये भी तेल की कमी बताई जाती है। तो क्या सरकार जब हर महीने किसी न किसी चीज की कमी पड़ी रहती है और उसके बटवारे का सवाल पड़ता है, एक कार्ड समूचा जनता के लिये बांट देंगे कि जब किसी वस्तु का टूटा पड़े तो जितनी जब उसको चीज मिल सके वह ले लिया करे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

यह व्यवस्था कर ही रखी है। अमल में कैसा आ रहा है वह तो आप अपने जिले में देखें और उसकी रिपोर्ट करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी जिला सलाहकार समिति को यह आदेश देंगे कि जिनकी बैठक नहीं बुलाई गई है, उनकी बैठक जल्दी से जल्दी हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आदेश तो है लेकिन अगर नहीं हुई है तो उसकी रिपोर्ट करने का तो फोरडम है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी---

इस बात को देखते हुये कि मिट्टी के तेल की कमी है तो क्या सरकार यहां से आदेश देगी कि वहां ग्राम सभा के स्तर पर तेल की दूकान हो जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---

हर गांव में १० बोतल या ५ बोतल के लिये दूकान खोलना संभव नहीं है और हो भी तो कोई लेगा भी नहीं।

श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)---

ट्रैक्टर खेती से संबंध रखने वाली वस्तु है। क्या उसके लिये मिट्टी का तेल देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे हैं कि जो आता है वही तो वितरित करेंगे।

मुख्य नगर अधिकारियों के सेवा नियम

*१७---श्री शुभनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगरपालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारियों की सेवाओं के केंद्रीयकरण के नियम बनाने की बाबत क्या कोई कार्यवाही की जा रही है। यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगर महापालिका अधिनियम की धारा ५८(१) में मुख्य नगर अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से किये जाने की व्यवस्था पहले से ही दी हुई है। अतः उनका सेवाओं के केंद्रीयकरण के नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

मैं यह जानना चाहता हूं कि नगर पालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं, या नहीं।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो नहीं, वह इसमें नहीं आते हैं।

*१८–१९—श्री शुगन चन्द मजदूर—

[९ वें बुधवार के लिये प्रश्न १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

महापालिकाओं के प्रशासकों की पदोन्नति

*२०—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि पांचों नगर महापालिकाओं के प्रशासकों के पद की पदोन्नति उस पर कमिश्नर ग्रेड के अधिकारी रख कर की जा रही है?

श्री चरणसिंह—

अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

*२१—श्री कृष्णपालसिंह (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो उन नगर महापालिकाओं को जिन पर सरकार ने दीवालियेपन के आरोप लगाये हैं वह वेतन का अतिरिक्त भार उठा सकेंगी?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री कृष्णपालसिंह (अनुपस्थित)—

कमिश्नर ग्रेड के प्रशासन हो जाने के बाद अभी तक जो नगर महापालिकाओं के निरीक्षक क्षेत्रीय कमिश्नर होते थे क्या उनका अधिकार समाप्त हो जावेगा?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को महापालिका प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है।

*२३—श्री शिवनाथ सिंह, (जिला कानपुर), श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) तथा श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[प्रश्नकर्त्ता सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया।]

*२४—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

कृषि यंत्र परामर्श दात्री समिति

*२५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय कृषि यंत्र परामर्शदात्री समिति का निर्माण कब हुआ और अब उसके कौन-कौन सदस्य हैं, मय पता और किस रोजगार से युक्त हैं? अलग-अलग बताया जाय। क्या यंत्र बनाने वाले भी इस समिति के सदस्य हैं? तो क्यों?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेव सिंहआर्य)—

इस समिति का निर्माण अप्रैल, १९५७, में हुआ। अब इस समिति के जो सदस्य हैं उनके नाम, पता व रोजगार का ब्योरा संलग्न है। यंत्र बनाने वाले भी इस समिति के सदस्य हैं इसलिये कि समिति को उनके परामर्श की आवश्यकता पड़ती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०३–९०४ पर।)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जो लोग कृषि यंत्र बनाते हैं उनको इस समिति में रखने से नुकसान हो रहा है। वह अपने घटिया किस्म के यंत्रों को उस समिति से मंजूर कराकर सारे किसानों में बिकवा रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—

ऐसी शिकायत आई तो नहीं है अगर कोई शिकायत आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री धर्म नाथ सिंह उस समिति के सदस्य हैं? उन्होंने खुद उस समिति को लिखकर दिया है कि जो यंत्र बनाने वाले लोग हैं वह समिति में इसलिये रखे गये हैं कि वह अपने खराब यंत्र मंजूर कराकर किसानों में बेचें? तो इसकी छानबीन करके आप उनको समिति से हटाने की कृपा करेंगे?

श्री गेंदासिंह—

उस समिति का संगठन इस खयाल से किया गया है कि हर तरह के लोग उसमें रहें ताकि समिति की सिफारिश से सरकार उचित लाभ उठा सके। अब जो बातें श्री चन्द्र बली सिंह जी कह रहे हैं अगर उनको जानकारी है तो कृपाकर व लिखकर दें, तो फिर देखकर विचार किया जायगा।

*२६—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

जिला पूर्ति कार्यालय, जौनपुर, में जी० सी० शीट का कोटा

*२७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति कार्यालय, जौनपुर, को जनवरी, १९६४, से जनवरी, १९६६, तक जी० सी० शीट का कितना-कितना कोटा कब-कब सरकार द्वारा प्रदान किया गया तथा उसका वितरण किस प्रकार हुआ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल—

जिला पूर्ति कार्यालय, जौनपुर, में जनवरी, ६४, सेजनवरी, ६६, तक जी० सी० शीट की प्राप्ति निम्न प्रकार है—

	टन	किलो
१—अगस्त सन् ६४	२२.	८४

	टन किलो
२—दिसम्बर, सन् ६४	२४.६२
३—जनवरी, सन् ६५	२२.५२

जी० सी० शीट्स के वितरण में औद्योगिक संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा सैनिक परिवारों को प्राथमिकता देकर शेष साधारण जनता में वितरित की गई।

*२८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, जौनपुर, ने जनवरी, १९६४, से जनवरी, १९६६, तक किन-किन संस्थाओं व संस्थानों को कितना कितना जी० सी० शीट्स स्वीकृत किया ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल—

चूंकि यह सूची बहुत लम्बी है। अतः सदस्य महोदय मेरे कमरे में स्वयं आकर देख सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन शिक्षा संस्थाओं और उद्योग संस्थानों को १९६५–६६ में क्यों दिया गया—

श्री हरीदत्त कान्डपाल—

इसका ब्यौरा बहुत बड़ा है।

श्री जगन्नाथ राव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, ६५, और जनवरी, १९६६, के बीच किन शिक्षा संस्थाओं को और किन उद्योग संस्थानों को ये शीट्स दी गईं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बहुत बड़ी लिस्ट है। इसको माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

उन ५ शिक्षा संस्थाओं को जिनको उन्होंने दिया है अधिकतम उनका नाम और ५ औद्योगिक संस्थान का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल—

यह चीज आफ–हैन्ड नहीं बतायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

सारी सूची देखकर उसमें से नाम छांटने होंगे।

श्री जगन्नाथ राव—

सन् ६५ से जनवरी, ६६, तक विधान सभा के कितने सदस्यों ने इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितने लोगों को आपने जी० सी० शीट्स दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

औरों का नाम तो मालूम नहीं है, छांटना पड़ेगा, मगर आपका नाम जरूर है। आपने अगर्त्र २ टन के लिये गैरेज के लिये मांगी थीं, लेकिन आपको ३ क्विंटल मिलगी।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से ऐसी व्यवस्था प्रश्नों के संबंध में हो कि यह मंत्रियों की ओर से कह दिया जाता है कि कमरे में आकर देख लें। कम से कम उन माननीय सदस्यों को जो संबंधित हों उनको तो लिस्ट दे दिया करें और अगर नहीं देते हैं तो सप्लीमेन्टरी करने का कोई महत्व नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि अगर न दे सकते हों किन्हीं कारणों वश तो हाउस में ऐलान कर दिया करें या लिखकर भेज दें कि अमुक तारीख को अमुक समय में आकर देखें। आज तक उन्होंने सदस्यों को बुलाकर दिखाया नहीं, केवल कहते भर हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, हो गया।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय सदस्य जगन्नाथ राव ने जो प्रार्थना २ टन टिन शीट्स के लिये दिया था तो यह कैसे आपने मान लिया कि उन्हें ३ क्विंटल की ही आवश्यकता है? क्या उनका प्रार्थना-पत्र एडवाइजरी कमेटी में प्रस्तुत हुआ था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यथार्थ में सन् १९६५ से जब से चायना से क्लेश हुआ उत्तर प्रदेश के लिये चादरों का कोई कोटा ही नहीं है। पुराने जितने इडेंटस थे उनको यदि आनर करते हैं तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। ६८ टन जौनपुर जिले के लिये सालभर में आया है। तो उसमें पहले उन्होंने संस्थाओं की मांग को पूरा किया। तो स्थानीय अधिकारियों ने जांच करके जिसको दे सकते थे जितना वह देने की कोशिश की है।

*२९—श्री ऊदल—

[प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

चौथाई किलोग्राम तथा चौथाई लीटर की व्यवस्था की मांग

*३०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि २०० ग्राम को २५० ग्राम के बदले तथा २०० मि० ली० का २५० मि० ली० के नाते प्रयोग करके जनता को ठगा जाता है? क्या सरकार २५० ग्राम (१/४ किलोग्राम) तथा २५० मि० ली० (१/४ ली०) के बांट व नपने बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री हरीदत्त कान्डपाल—

शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

जी नहीं।

श्री रक्षपालसिंह—

मुझे दुख है कि जिस गरीब जनता द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है उसकी जानकारी सरकार को नहीं है। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि देहात में रुपये की चौथायी २५ नये पैसे की चवन्नी है। अगर लिटर की चौथायी मात्रा नहीं है तो देहाती क्षेत्र में २०० ग्राम को लिटर का चौथाई करके तौला जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न पूछा है "क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि २००ग्राम को २५० ग्राम के बदले तथा २०० मि० ली० को २५० मि० ली० के नाते प्रयोग करके जनता को ठगा जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इसकी सूचना नहीं है।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार रुपये का चौथा भाग हमारे देश में प्रचलित है उसके अनुसार ही किलोग्राम और लिटर का चौथा भाग क्यों नहीं चलाया जाता ताकि जनता को सुविधा मिल सके ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह आल इंडिया बेसिस पर एक माप की व्यवस्था चलायी गयी है जिसमें पहले ५०० ग्राम का बांट है, फिर २००, १००, ५०, २०, १०, ५, २, और १ ग्राम के बांट हैं। इसी प्रकार उधर भी है और इस व्यवस्था में अगर किसी को २५० ग्राम तौलना है तो २०० और ५० ग्राम के बांट रख कर वह तौल सकता है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या मंत्री जी ने जो व्यवस्था बतलायी उसे समझाने के लिये उत्तर प्रदेश के ग्रामों में, प्रत्येक ग्राम में, मास्टर भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये प्रचार बराबर होता है, परचे छपते हैं, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और इस प्रकार का काम करने के लिये तो संशोधन लाना पड़ेगा ।

श्री बयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

एक-चौथाई की माप न होने से जो परेशानी होती है वह सरकार के सम्मुख लायी गयी है और सरकार ने अपनी ओर से जो कठिनाई थी वह बतलायी। तो क्या प्रादेशिक सरकार भारत सरकार को इस प्रकार की सिफारिश करेगी कि इस प्रकार की कठिनाई देहातों और अन्य स्थानों में हैं इसलिये १/४ मापक की व्यवस्था की जानी चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। इसलिये सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

पाव भर अगर कोई चीज मांगता है तो उसे खयाल होता है कि उसे पाव भर चीज ही मिलेगी, लेकिन दूकानदार २०० ग्राम अगर दे देता है तो उसे पाव भर की जगह पौन पाव चीज ही मिलती है। इसलिये क्या इस दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार सिफारिश करेगी यह उनका कहना है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले स्टैंडिंग कमेटी इस पर विचार कर ले और अपने सुझाव दे; उसके बाद इस पर विचार कर लिया जायगा ।

*३१—श्री रक्षपाल सिंह—

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३२—सर्व श्री सुरेन्द्रविक्रम, श्री महराम सिंह, श्री डूंगर सिंह, श्री बैजूराम, श्रीमती गेंदा देवी, श्री घनश्याम दास तथा श्री शीतला प्रसाद—

[८वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतर्रा फार्म

*३३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के सरकारी फार्म अतर्रा में किस-किस किस्म की तरकारी सन् १९६५ व ६६ के जनवरी माह तक कितने कितने रकबे में बोई गई और उसकी बिक्री से क्या आय हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अतर्रा फार्म पर किसी भी किस्म की तरकारी १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में नहीं बोई गई थी ।

*३४—श्री मतोलासिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतने की कृपा करेंगे कि जिला बांद के अतर्रा सरकारी फार्म में कितने कितन रकबे में सन् १९६५ व जनवरी, १९६६, में कपास बोई गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई कपास नहीं बोई गई थी ।

*३५—श्री मतोलासिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के अतर्रा फार्म में गन्ना की पैदावार के सिवाय गुड़ स शकर भी बनात हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं ।

श्री मतोलासिंह—

कपास खाद्य पदार्थों की अपेक्षा विशेष महत्व रखती है, इसलिये उस की खेती अतर्रा फार्म में क्यों नहीं करायी जाती ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कपास तो बोयी नहीं गयी, यह उत्तर में बता दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि कपास का विशेष महत्व है इसलिये उस पर बल क्यों नहीं देते ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अभी तक तो बल नहीं दिया गया है ।

श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार आगे वहां कपास बोने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री गेंदासिंह—

अतर्रा धान के लिये प्रसिद्ध फार्म है । अगर मतोलासिंह जी की राय में उस पर कपास बोने का प्रयोग किया जाना चाहिये तो उसे देखा जायगा और अगर कपास के लिये वह भूमि उपयुक्त हुई तो जरूर इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मतोला सिंह—

किसानों की हर तरह की फसल देने के लिये यह बनाया गया था, तो क्या कारण है कि और फसलें नहीं पदा की जातीं ?

श्री अध्यक्ष---

वे आपकी बात का आदर तो करते हैं। आप उनको सुझाव भेज दीजियेगा, वे उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जिस तरह से प्रदेश में और सब जगह आलू और चुकन्दर आदि पैदा करने के लिये सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, उसी तरह इस फार्म पर सरकार ने साग सब्जी पैदा क्यों नहीं की ?

श्री गेंदासिंह---

साग सब्जी तो पैदा नहीं की, मगर साग सब्जी पैदा करने वालों को पैदा जरूर किया। यहां हमने नरसरी लगाने का प्रयास किया और उसके कई हजार पौधे किसानों को दिये गये, इससे किसानों को काफी लाभ हुआ।

श्री विपिनबिहारी तिवारी---

अतर्रा फार्म पर कितने एकड़ जमीन है तथा वहां धान के अलावा और कौन कौन सी फसलें होती ह ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जमीन १४४ एकड़ है, धान के अलावा सब्जी, जैसे बन्द गोभी है, गांठ गोभी है, टमाटर है, आदि सब्जी भी होती हैं।

श्री विपिनबिहारी तिवारी---

अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वहां सब्जियां नहीं होती हैं, उप मंत्री जी कह रहे हैं सब्जियां भी वहां होती हैं, तो कौन सा उत्तर सही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सब्जियों के पौधे होते हैं और वह किसानों को दिये जाते हैं, मेरा मतलब नरसरी से है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फार्म की जमीन को बांदा के डिग्री कालिज ने लेने के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री गेंदासिंह---

सरकारी फार्मों में जमीन की कमी है, इसलिये उसमें काफी एहतियात बरतना पड़ता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या यह सही है कि गंजरिया फार्म की १५० एकड़ जमीन पट्टे पर दी गयी है ?

श्री गेंदासिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मतोलासिंह---

मान्यवर, अतर्रा फार्म के पश्चिम में धान होता है और पूर्वी हिस्से में धान नहीं होता। तो क्या वहां सरकार कपास की खेती करायेगी ?

श्री गेंदासिंह—

कोई ऐसी बात नहीं है कि कपास पैदा ही न हो, धान की फसल अच्छी होती है इसलिये ज्यादातर यही फसल की जाती है। कोशिश यह रहती है कि अच्छी तरह का धान पैदा हो और वह किसानों के पास पहुंच सकें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, जैसा माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि १५० एकड़ सरकारी जमीन पट्टे पर दी गयी, इस तरह के मामले सारे प्रदेश में है। तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि जो जमीन पट्टे पर दी गयी है उसे वापस ले लिया जाय ?

श्री गेन्दासिंह—

श्रीमन्, जहां तक अपनी नीति का प्रश्न है, वह यह है कि किसी जमीन को, बहुत एहतियात किया जाता है, अपने फार्म से दें। जहां तक गंजरिया फार्म का सवाल है, मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष से जमीन को वापिस ले लिया जाय। लेकिन कुछ कानूनी कठिनाइयां ऐसी हैं जिनसे वापिस लेने में सरकार असमर्थ है। दूसरी कार्यवाही करना संभव नहीं है।

*३६—श्री लखपतराम शर्मा—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३७–३८—श्री सूरज लाल गुप्त, वकील—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३९–४०—श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा श्री जियाउर्रहमान—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

सीमेंट की दर

*४१—श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट पर से कन्ट्रोल हटाने के बाद उसकी बिक्री की कोई दर सरकार द्वारा निर्धारित की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं।

*४२—श्री सईद अहमद—

डीलर लोग सीमेंट को निर्धारित दर से ऊंची दर पर बेचने न पावें इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

हरीदत्त कांडपाल—

कोई नहीं।

श्री सईद अहमद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीमेन्ट की जो कीमत निर्धारित की गई है, उस कीमत की लिस्ट दूकानों पर टंगवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मूल्य निर्धारण तथा वितरण करने का कार्य सीमेन्ट उत्पादकों की एसोसियेशन सेल्स कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी, जो बम्बई की है वह कार्य करती है। हमारे पास सरकारी तौर पर कोई खबर नहीं है। अखबारों से पता चलता है कि उसके कन्ट्रोल आर्डर के अन्दर जनवरी, ६६, में

उन्होंने १७१.१२ पैसे मुकर्रर किया है। यह अखबारों से पता चला क्योंकि कन्ट्रोल कुछ नहीं है। न हम लाइसेन्स करते हैं।

श्री सईद अहमद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एसोसियेशन ने जो कीमत निर्धारित की है उसकी देखभाल की कोई व्यवस्था है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

ये सब चीजें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की हैं।

श्री सईद अहमद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया हुआ है कि सीमेन्ट डीलर लायें, अलग अलग जिसको जरूरत है उसको दिया जाय, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सबको सीमेन्ट दिया जा सके और उसके मुताबिक वितरण हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नियन्त्रण कोई है नहीं। एजेन्ट्स कम्पनी के मिल जाते हैं उनसे तय कर रखा है। जिन डिपार्टमेन्ट्स के कान्ट्रेक्ट्स में मात्रा में छूट होती है उनको प्राथमिकता देते हैं। बाकी के विषय में यह है कि जिसको चाहे दें।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि सीमेन्ट डीलर चाहे किसी को सीमेन्ट बेचे, किसी भी भाव पर बेचे, इसमें कोई दखल नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

करीब करीब वही ठीक है जो आप कह रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

जैसा कि मंत्रि महोदय ने जिक्र किया कि बाम्बे में सीमेन्ट डीलर्स की एक एसोसियेशन है और वह प्राईस का निर्धारण करती है, तो क्या सरकार उस प्राईस निर्धारण को मान्यता देती है और उसमें क्या कार्यवाही हो सकती है अगर उस प्राईस के खिलाफ कोई कार्य करे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारे पास तो सरकारी तौर पर सीमेंट के वर्तमान दर के बारे में कोई सूचना नहीं है। अखबारों में हमने पढ़ा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जबकि कन्ट्रोल हट गया है आपका नियंत्रण समाप्त हो गया है तब से जितने बेचने वाले डीलर्स हैं वे आधा आधा बोरा सीमेंट, क्योंकि आधा झाड़ लेते हैं, या बोरे इतने डिफेक्टिव हैं कि अपने आप झड़ जाते, पहिले जो डी० एस० ओ० थे वे देखभाल कर लेते थे परन्तु अब वे आधा-आधा बोरा ही बेचते हैं। क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान गया है। यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार को तो यह कहा गया है कि जब से कन्ट्रोल हटा है हम बड़े चैन में हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या सरकार लाइसेंस का प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करेगी जिस से गांवों में भी सीमेंट पहुंच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब कंट्रोल ही हट गया तो लाइसेंस का क्या सवाल है ?

श्री सईद अहमद--

क्या सरकार ऐसा उपाय करेगी कि एसोसियेशन द्वारा निर्धारित कीमत से ऊपर कोई न बेचने पावे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये हम बराबर उनसे कहते हैं कि निर्धारित कीमत पर ही बेचें ।

*४३-४५--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६--श्री उग्रसेन, श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री शिवनाथसिंह--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गुड़ और खांडसारी का निर्यात

*४७--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ और खांडसारी को प्रदेश के बाहर ले जाने के सम्बन्ध में केन्द्र ने प्रतिबन्ध हटाने का आग्रह किया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी नहीं, केन्द्र ने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

तो क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने केन्द्र से कोई आग्रह किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

उस वार्ता में क्या प्रगति हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पहले दूसरे स्टेट्स के लोग यहां से आकर इम्पोर्ट करते थे, अब हमारे ही आदमी एक्सपोर्ट करेंगे ।

*४८-४९--श्री लोकपालसिंह, श्री बेदराम, श्री श्रीराम, श्री गिरवर प्रसाद, श्री मतोलासिंह, श्री हेमराज, श्री नाथूराम शिक्षक, श्री अवैद्यनाथ तथा श्री रामसिंह--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०--श्री सूरजपालसिंह यादव--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

रबी की फसल का अतिरिक्त क्षेत्र

*५१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ अक्तूबर, १९६५, को उनके द्वारा विधान परिषद् में की गई घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा जो १० एकड़ लाख अतिरिक्त क्षेत्र में रबी बोने का निश्चय किया गया था वह कितना पूरा किया जा सका है ?

श्री गेंदासिंह—

५२ जिलों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष १२,८५,४३१ एकड़ क्षेत्र में रबी की अधिक फसल बोई गई ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

*५२—क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा समस्त सरकारी फार्मों को यह आदेश दिया गया था कि वह अपने यहां तरकारी की नर्सरी उगावें ? यदि हां, तो किस-किस सरकारी फार्म में कितने-कितने क्षेत्र में नर्सरी उगाई गई तथा किस-किस फार्म में यह योजना किस कारण से कार्यान्वित नहीं की गई ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां, प्रदेश के २०२ सरकारी फार्मों में से १९५ फार्मों पर उगाई गई तरकारी की नर्सरी के आंकड़े, उनमें से जहां नहीं उगाई गई उनके कारणों सहित, †सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । शेष फार्मों के सम्बन्ध में भी वांछित सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायगी ।

आजमगढ़ जिले में चूहों से फसल की क्षति

*५३—श्री बृजबिहारी—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के कोयलसा, अतरौलिया, अहरौला तथा फतेहपुर मण्डाव विकास खण्डों में गेहूं तथा जौ की खड़ी फसलों को चूहों द्वारा बहुत अधिक नुकसान किया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, नुकसान हुआ है ।

*५४—श्री बृजबिहारी मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी किन विकास खण्डों की उक्त फसलों को चूहों से रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

किसानों की सहायता से चूहों को रोकथाम का कार्य किया जा रहा है ।

श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इन विकास खंडों में और उनके अतिरिक्त जिले के दूसरे भागों में भी लाखों मन फसल चूहों ने बरबाद कर दी है और क्या मंत्री जी कोई योजना बनायेंगे ताकि चूहों से फसलों की रक्षा हो सके ?

† छापी नहीं गई ।

श्री गेंदासिंह—

यह सही है कि चूहों ने इस साल बहुत हानि पहुंचाई है। जितना प्रयत्न हो सकता था वह किया गया। मैं दिल्ली के कुछ एक्सपर्ट लोगों की सलाह मशविरा चाहता हूं कि आगे के लिये कोई योजना बनाई जाय।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिले के कृषि सुरक्षा अधिकारी व मंत्री जी की सेवा में स्वयं कई आवेदन-पत्र इस संबंध में दिये गये और उचित कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री गेंदासिंह—

जो किया जा सकता था उसमें कोताही नहीं हुई। आगे और प्रयत्न किया जायगा। पिछले वर्षों से इस वर्ष अधिक हानि हुई है।

श्री दयाराम शाक्य—

कानपुर एग्रीकल्चर कालेज में एक कृषि विशेषज्ञ ने खोज की है कि उनकी औषधि खिलाने से चूहे बच्चे देना बन्द कर देते हैं, तो उसका लाभ उठायेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

हां, यह बात सही है कि ऐसी दवा निकली है जिससे चूहे नपुंसक हो जाते हैं। उस पर भी प्रयोग किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में मिट्टी के तेल का अभाव

१—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल मिलना एक समस्या हो गयी है और गरीब जनता को किसी भी कीमत में तेल नहीं मिलता, इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

२—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला कानपुर के सदेलपुर ब्लाक, राजपुर ब्लाक एवं मलासा ब्लाक जो सार्वजनिक पिछड़े ब्लाक हैं, नदियों (जमुना एवं सेंगुर) से घिरे हैं इन ब्लाकों के एक भी ग्राम में बिजली नहीं है ऐसी स्थिति को देखते हुए इन ब्लाकों को मिट्टी के तेल सुलभ कराने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

राजपुर और मलासा विकास क्षेत्र में मिट्टी का तेल सुलभ कराने की समुचित व्यवस्था है। तहसील देराकुर में १७ और दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार सदेलपुर ब्लाक की समस्या सुलझ जायेगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जालौन जिले में मिट्टी के तेल का अभाव

३—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में दिनांक १५ फरवरी से मिट्टी का तेल नहीं पहुंच रहा है और किसानों को भी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सही नहीं है कि जालौन जिले में तेल नहीं पहुंच रहा है ।

४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जालौन जिले में कोंच तहसील में १ रुपया प्रति बोतल तेल बिक रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है ।

५—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय सरकारी कृषि फार्मों में कितनी एकड़ जमीन है और उसमें कितने कितने प्रतिशत में सिंचाई का प्रबन्ध है ? यदि कुछ जमीन में सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है, तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह—

इस समय सरकारी कृषि फार्मों में १९४९० एकड़ जमीन है जिसमें से १३१३७ एकड़ में खेती होती है और जिसमें ८० प्रतिशत सिंचाई का प्रबन्ध है । शेष २० प्रतिशत में सिंचाई का प्रबन्ध जमीन की विशेष प्रकार की बनावट की दिक्कत तथा कुछ फार्मों में बोरिंग के साधनों की कमी के कारण नहीं उपलब्ध है ।

६—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकारी फार्मों से वर्ष १९६४–६५ में कितना क्विन्टल गेहूं, कितना क्विन्टल चावल तथा कितना क्विन्टल चना पैदा हुआ ?

श्री गेंदासिंह—

सरकारी फार्मों से वर्ष १९६४–६५ में २१,२५९ क्विन्टल गेहूं, १७२६१ क्विन्टल धान तथा २६७९ क्विन्टल चना पैदा हुआ ।

प्राविंशियल स्माल काज कोर्टस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०५–९०६ पर)

म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

२६–३–६६ को मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था । आपने कहा था कि सोमवार को व्यवस्था देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने मंत्री जी के पास भेजा है । उत्तर आने पर हम आपको बतलावेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

हम अभी सुनेंगे । पहले नियम ५२ समाप्त कर लें ।

कामरोको प्रस्ताव २, और १ नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास सूचनायें आई हैं कानपुर नगर स्थित म्योर मिल के संबंध में । तीनों का विषय एक ही है और नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने इसे स्वीकार किया है । नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना माननीय चन्द्रजीत यादव, नेकराम शर्मा, माननीय सुरजनराम विशारद, बी० डी० मायर और बालोजी अग्रवाल की है । कामरोको प्रस्ताव के रूप में माननीय टम्बेश्वरप्रसाद, माननीय रक्षपाल सिंह, हरीशकुमार गंगवार की है । और दूसरा कामरो को प्रस्ताव माननीय संतसिंह यूसुफ का भी है । माननीय चन्द्रजीत यादव द्वारा दी गई सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत में पढ़कर सुनाता हूं । कानपुर नगर स्थित म्योर मिल के साढ़े छः हजार बेकार मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में २००० मजदूर पैदल चलकर आज विधान भवन के सामने धरना दे रहे हैं । सरकार ने मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया है परन्तु फिर भी मिल अभी तक चालू नहीं हुई है । उपरोक्त मजदूरों के परिवारों के २५,००० लोग भूखों मर रहे हैं । अतः उपरोक्त अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर हम लोग श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं । मंत्री जी, इसपर कब बयान होगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

११ तारीख को ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

६ हजार आदमी भूखों मर रहे हैं । पैदल चलकर आ रहे हैं । हमको सिर्फ मुख्य मंत्री जी बतला दें कि कब कारखाना चालू होगा । हम चीफ मिनिस्टर से, लेबर मिनिस्टर से, और लेबर कमिश्नर से मिले और ५ बार यहां सवाल उठा चुके हैं । भीख मांगने को मजबूर मजबूर हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह सवाल इस दौरान में उठा था जब यहां श्रम पर बहस हो रही थी । उस समय श्रम मंत्री और सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया था । उसके बावजूद भी मैंने इस सूचना को स्वीकार किया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो आज इस स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री को आप कहें कि मिल को एक हफ्ते में खुलवा दें, नहीं तो सब लोग सेक्रेटेरियेट को घेर कर बैठेंगे । वे लोग तो भूखों मर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वे बयान देना चाहें तो दे सकती हैं । आज बयान देना चाहें तो दे दें ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

खाली बयान से क्या होगा ?

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

कल से वे लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

श्रम के ऊपर जब बहस हो रही थी तब यह प्रश्न उठाया गया था । इस संबंध में माननीय संतसिंह जी ने बहुत-सी बातें कही थीं जिस पर माननीय श्रम मंत्री जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिये थे। मैं चाहता हूं कि ११ तारीख के बजाय सरकार परसों ३० तारीख को अपना वक्तव्य दे दे ।

श्री उग्रसेन—

उन लोगों का क्या होगा , पहले यह बतला दीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इस समय इन लोगों को कुछ तात्कालिक सहायता देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कहें ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, लोग मुझे सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री उग्रसेन—

केन्द्रीय सरकार ने ३०-३० हजार के ड्राफ्ट के लिये कहा था और २ लाख के टिकट के लिये कहा था, लेकिन ६ बरस में म्योर मिल के मालिक टिकट नहीं लगा पायें । इधर वित्त विभाग के आफिसरों को ड्राफट बनाने की फुरसत नहीं है। यह सब पोल है। ये ६ बरस अभी और मिल को नहीं खोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय संसदीय मंत्री इस हफ्ते का कार्यक्रम बतायेंगे ।

श्री रक्षपालसिंह—

वह भूख हड़ताल करनेवाले हैं । उसके बारे में कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

भूख हड़ताल किसी कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती, माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं । (व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे वे सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री उग्रसेन—

मुख्य मंत्री बयान तभी दें जब वे यह बतायें कि ये दो हजार जो पैदल चलकर आये हैं, उनके लिये वे क्या कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन अगर आप बैठते नहीं हैं तो मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ेगा कि आप सदन छोड़ें । मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

म्योर मिल के मजदूर मिल खुलवा कर रहेंगे । आज रात को हम सारे मंत्रियों के बंगलों को घेर लेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आज संसदीय मंत्री जी इस सप्ताह का सदन का कार्यक्रम घोषित करेंगे ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

नहीं सुनते हैं तो अब हम सदन से वाक आउट करते हैं, हजारों आदमी पैदल चलकर आये हैं और सरकार पर कोई असर नहीं है. . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने संसदीय मंत्री को बुला लिया है । उनको सुन लें ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सूबे की श्रम स्थिति के बारे में आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और उसकी गम्भीरता को यहां कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाकर प्रकट किया गया और दफा ५२ का नोटिस भी दिया गया और आपने भी इस भयावह परिस्थिति को देख कर माननीया मुख्य मंत्री से आग्रह किया कि वह इस विषय में कुछ कहें लेकिन हम मान भी लें कि एक आध माननीय सदस्य यहां कुछ उत्तेजित हो गये पर मुख्य मंत्री जी ने आप के आग्रह को भी अस्वीकार कर के यह कह कर बैठ सकती हैं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं । एक मेम्बर पूरे विरोधी पक्ष की नुमाइन्दगी नहीं करता, हम सब सुनना चाहते हैं कि वह क्या कहना चाहती हैं । तो वह आपके आग्रह को कैसे टाल सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं चाहता था कि माननीया मुख्य मंत्री को शान्तिपूर्वक सुन लिया जाय, लेकिन माननीय यूसुफ तथा माननीय उग्रसेन जी उसमें बाधा डाल रहे थे और उसका परिणाम यह हुआ । मैं चाहता हूं कि आप खामोशी से सुनें और मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहती हैं तो अब कहें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, हम सम्पूर्ण परिस्थिति से अवगत हैं और स्टेट गवर्नमेंट का पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द कारखाना खुले । आज ही साढ़े १२ बजे से लेबर के जो नुमाइन्दे हैं, उन के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही जो कुछ मुझे कहना होगा वह मैं कह सकूंगी ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

इस तरह की बात तो ३ मास से हो रही है. . . . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह तय हो चुका है कि जब सदन में कुछ लोग अव्यवस्था करेंगे तो काम होता रहेगा और उसको ही बन्द कर दिया जायगा ।

सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होगा कि आज २८ मार्च को वित्तीय वर्ष १९६६–६७ की वित्त विभाग की शेष मांगों पर मतदान होगा और उसके बाद विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार तथा उस का पारण होगा और २९ मार्च को उत्तर प्रदेश विद्युत् कर विधेयक पर विचार तथा उसका पारण और ३० मार्च को वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा । उसके बाद ३१ मार्च से १० अप्रैल, १९६६, तक सदन बन्द रहेगा ।

म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आज सारे सूबे की स्थिति अत्यन्त भयंकर हो गई है । आज ४३ हजार चूड़ी और जूता मजदूर इस लाक आउट के शिकार हैं, ७५ हजार के करीब दरी कालीन के वाराणसी मिर्जापुर, जौनपुर के मजदूर कारीगर हड़ताल पर हैं, म्योर मिल इतने दिनों से बन्द पड़ी है और ६ हजार मजदूरों पर आश्रित ३०,००० आदमी अर्द्ध भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, ९ सूती मिलें प्रदेश में बन्द पड़ी हैं फिर भी यह सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है । हम इस बात की आशा करते थे और मजदूर भी आशा करते थे कि सरकार इतने समय के अन्दर म्योर मिल खुलवायेंगी । अगर मिल मालिक नहीं खोलेंगे तो सरकार स्वयं खुलवायेगी । इसकी स्पष्ट घोषणा होनी चहिये थी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने टालू मिक्सचर पिला दिया कि बात करेंगे । तो यह रवइया पूंजीवादी है, पूंजी परस्ती का है । यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, घुटना टेक रही है। इसका हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम एक घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

१९६६–६७ के आय-व्ययक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गई धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री टम्बेश्वरप्रसाद की आपत्ति

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत बजट में इस सरकार ने जानबूझ कर, जो रकमें केन्द्रीय सरकार से इन्हें मिलती है, उन्हें घटा कर दिखाया हैं । केन्द्रीय सरकार का बजट पेश हो चुका है । जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें ३१ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। आय कर में उन्होंने १९.०५ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का दिखाया है जबकि उन्होंने १९.०४ दिखाया है । बुनियादी उत्पादन में केन्द्रीय बजट में जो दिखाया है वह २४.८२ करोड़ रुपये का जब कि इन्होंने २३.७० करोड़ दिखाया है । रेलयात्री कर का भाग केन्द्रीय सरकार ने २९.६ करोड़ दिखाया है जबकि इन्होंने २३.४ करोड़ दिखाया है । इसी प्रकार से और भी शुल्कों में अन्तर है । इस प्रकार इन्होंने लगभग ३ करोड़ की फीगर को अपने बजट में गलत दिखलाई है । अतः जब तक यह अशुद्ध बजट शुद्ध नहीं किया जाता है, मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार न किया जाय ।

म्योर मिल, कानपुर, की लगातार बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार उठा, पर आपका आदर करके बैठ जाता हूं । मेरा...

श्री अध्यक्ष —

आप क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं ? आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था यह है कि सदन में म्योर मिल के बारे में एक बार नहीं कई बार दफा ५२ की सूचना हो चुकी है और फिर इसको आप दफा ५२ में ही ले रहे हैं । आज सरकार की श्रम नीति ऐसी हो गयी है कि हजारों मजदूर भूखों मर रहे हैं, और या वे रिक्शा चला रहे हैं या

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

भीख मांग कर गुजर कर रहे हैं । वहां पर जो प्रशासक है, वह मिल नहीं चलवाता है । माननीया मुख्य मंत्री जी इसके लिये जिम्मेदार हैं, उस मिल को नहीं खुलवाती हैं और अब वे इस मसले को टाल रही हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि मजदूरों की ताकत बढ़े, उनकी मांगे पूरी हों, उनका संगठन बढ़े । इस मिल के न खुलने के विरोध में हम १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि अगर सरकार मजदूरों की मांगों को स्वीकार नहीं करती है और मिल नहीं खुलवाती है तो हम एक दिन कानपुर बन्द करने जा रहे हैं ।

(संयुक्त समाज वादी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया

१९६६–६७ के आय-व्ययक में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को दी गयी धनराशि का विवरण ठीक प्रकार से न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री टम्बेश्वरप्रसाद की आपत्ति (क्रमागत)

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, २४ नवम्बर, १९६५, को प्लानिंग कमीशन से बात करके कि इतने टैक्सेज की आमदनी होगी, बात हुयी थी । उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करके राज्य सरकार को बताया कि इसमें इनकम जो टैक्सेज से मिलेगी, टैक्सेज और रेल पसेन्जर्स को छोड़कर ५१ करोड़ होगी । उन्होंने कोई ब्रेकअप नहीं बताया । उसी के आधार पर अपने बजट में शो किया है । हमने जो ब्रेक अप किया है वह इन्कम टैक्सेज में १९ करोड़, ४ लाख, ५७ हजार, स्टेट ड्यूटीज से १ करोड़, २५ लाख का होगा, यूनियन एक्साइज से २३ करोड़, ७० लाख और इस २३ करोड़ ७० लाख का कन्फर्मेशन उन्होंने २३ जनवरी, १९६६, को भी किया । एडिशनल एक्साइज से जहां ६ करोड़, ८० लाख, २६ हजार की आमदनी होगी, वहां ६ करोड़ ८० लाख, २७ हजार की आमदनी हमने दिखलायी है । उनके यहां से हमको दूसरी कोई सूचना मिली नहीं और यह बजट छप चुका था । स्टेट ड्यूटी से जहां हमने अन्दाजा किया था कि १ करोड़, २५ लाख की आमदनी होगी वहां १८ फरवरी को उन्होंने सूचित किया कि इससे १ करोड़, १७ लाख, ७० हजार रु० की आमदनी होगी । १८ फरवरी, ६६ को यह सूचना मिली । बेसिक यूनियन ड्यूटी से जहां अन्दाजा था कि २३ करोड़ ७० लाख ४४ हजार की आमदनी होगी वहां बाद में मालूम हुआ कि इस से २४ करोड़ ८१ लाख ५९ हजार की आमदनी होगी । आमदनी के फर्क का कोई पता हमें नहीं था जब तक कि बजट छप गया था । इसकी सूचना हमें १३ फरवरी को मिली ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

रेल यात्री-कर से आय इन्होंने २ करोड़ ३४ लाख बतलायी है जबकि उन्होंने २ करोड़ ९६ लाख बतलाया है । यह ११ फरवरी की सूचना है ।

श्री जयराम वर्मा—

ये सारी सूचनायें जब मिलीं, तब तक बजट तैयार हो चुका था । बजट का पहले एस्टीमेट के अनुसार है, बाद में सप्लीमेंटरी बजट में यह सब आयेगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बजट का एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट आने वाला है और आज बजट का अन्तिम दिन है, तो आप इस को क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हैं ? ३१ मार्च के पहले सरकार अपने आंकड़े को शुद्ध क्यों नहीं करती, आप घाटा क्यों दिखला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहां १४ फरवरी को बजट पेश हुआ और यह भी कहते हैं कि १४ फरवरी के पहले हमारे पास कोई सूचना नहीं थी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

३१ मार्च तक हम पिछला बजट ले रहे हैं, तो आप सही स्थिति क्यों नहीं रखते ? जब अगला साल शुरू होने वाला है और हम लगान माफी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि रुपया कहां से आयेगा, करोड़ों रुपया आपने गलत दिखलाया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको अभी करेक्ट कर लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि अभी करेक्ट करने में क्या दिक्कत मालूम होती है ।

श्री जयराम वर्मा—

यह तो बाद में करेक्ट होगा, इस वक्त कैसे करेक्ट हो ?

श्री अध्यक्ष—

करेक्ट करने या न करने की बात तो मुझे नहीं मालूम है कि कैसे हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसी सूचना प्राप्त हो जाय जिस सूचना के आधार पर आपकी आय अधिक हो जाती है तो उचित यही ज्ञात होता है कि किसी न किसी बजट में इस बात की सूचना सदन को मिल जानी चाहिये ताकि सदन अवगत हो जाय कि क्या वस्तुस्थिति है, नहीं तो शिकायत का मौका हो सकता है और ऐसा लांछन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है कि आप कुछ मदों को छिपाये हैं । इस वजह से उचित यही होगा कि ऐसी सूचना सदन में आ जाया करे ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना जो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने दी है क्या सही ? और अगर सही है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी सूचना उन्होंने सदन में पहले क्यों नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि यह सही है, अब आप कृपया बैठें ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

एस्टीमेटेड बजट पहले बनता है और बाद में रिवाइज्ड बजट सदन के सामने करेक्ट कर के आता है, तो इसमें छिपाने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस तरह से आपका ३ करोड़ का सरप्लस बजट हो जाता है, और जब हम कहते हैं कि लगान माफी कीजिये, भूमि-भवन-कर का पैसा वापस कीजिये, तब आप रुपया न होने की बात कहते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो फीगर है बजट का उसको शुद्ध करके आज ही घोषित करना चाहिये कि हमारा बजट इतने करोड़ सरप्लस का है । दूसरी बात यह है कि लगान जो बढ़ा है, उसको भी वापस लेना चाहिये, बढ़े हुये सेल्स टैक्स वापस लेना चाहिये । जब माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है तो फिर विलम्ब काहे का ?

श्री जयराम वर्मा—

जब रिवाइज्ड बजट आता है तो उसमें सारी चीजें दिखलायी जाती हैं, छिपाने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

रिवाइज्ड बजट में तब देखा जायगा । लेकिन जो बजट प्रस्तुत है, उसके आंकड़े ठीक नहीं किये जा सकते हैं ? आप रूलिंग दें कि प्रस्तुत बजट के आंकड़े ठीक किये जायें क्योंकि अभी ३१ मार्च समाप्त नहीं हुई, अभी तो हमारा पिछला बजट चल रहा है । आप सरकार से बजट आंकड़ें ठीक करायें, तभी इस पर विवाद होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो सरकार से कह दिया है कि इस प्रकार की सूचनायें जो आयें.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप सरकार से पूछिये कि वह तैयार हैं कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें ।

इस प्रकार की सूचनायें जब भी प्राप्त हों वे सदन के सामने रख दी जायें तो उचित होगा, और जहां तक इस वर्ष का प्रश्न है, वह बजट तो आपके सामने आ गया है । हमारे पास सूचना भी आ गई है । आज विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा । उस पर जब विचार हो तो आप इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रस्तुत कर दीजियेगा । इस समय बजट को ठीक करने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, आपकी इस रूलिंग के विरोध में और सरकार ने जो लगान और टैक्स बढ़ाया है और जो बहाना लिया है और बजट को ठीक न करके अब भी जो घाटे का बजट हम लोगों के सामने रखा गया है यह जानबूझ कर किया गया है, छिपाने वाला बजट रखा गया है । इसलिये इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं और साथ ही म्योर मिल के सम्बन्ध में जो तानाशाही रवैया अख्तियार किया गया है उसके विरोध में भी हम १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(जनसंघ दल सदन का त्याग कर चला गया ।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, घाटे का बजट दिखा कर गरीब किसानों की गठरी काटने की कोशिश की जा रही है, इसलिये मैं इस सदन का त्याग करता हूं ।

(जन संघ दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मुझे बड़ा दुख है कि जान कर सेन्टर से आये हुये रुपये को न दिखा कर सरकार ने जो घाटे का बजट पेश किया है और किसानों पर इस बहाने लगान बढ़ाया है उसके विरोध में मैं भी अपनी पार्टी के साथ ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क—के अन्तर्गत ४३,५०,७०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क—के अन्तर्गत ४३,५०,७०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत १३,८४,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प—के अन्तर्गत १३,८४,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)—के अन्तर्गत २८,०५,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत २८,०५,६०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें—के अन्तर्गत ३,६२,९६,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ३,६२,९६,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशिमूल्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशिमूल्य के अन्तर्गत ८,७१,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत ८,७१,१०० रु० की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत ७४,३५,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है कल और परसों बोलने का उस पर व्यवस्था दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो माननीय वित्त मंत्री बोल रहे हैं। आप लिख कर दे दीजियेगा और मैं कल व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, भारत सरकार के करीब-करीब सभी राज्यों में टैक्स के ढांचे में बिक्री कर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया है । यह एक लचीला टैक्स है । इसी कारण सभी राज्यों ने अपने अतिरिक्त व्यय को मीट करने के लिये इस सिद्धान्त को अपनाया है । हमारे राज्य में अब यह सबसे बड़ा आमदनी का जरिया हो गया है । मालगुजारी से केवल २१, २२ करोड़ की आमदनी होती है और इस वर्ष के अन्त में बिक्री कर से २५ करोड़ की आमदनी हो गयी है । सन् ४८–४९ में पहली बार जब यह टैक्स लगाया गया था तो उस साल की आमदनी ४ करोड़ २३ लाख थी और सन् ६५–६६ के अन्त में यह आमदनी करीब-करीब २५ करोड़ हो जायगी । इस बीच में इससे हमारी आमदनी काफी बढ़ गयी है ।

एक दो सालों के बीच में काम को और मुस्तैदी से करने के लिये काफी प्रयास किया गया है और उसमें काफी सफलता मिली है। जहां सन् ६२–६३ के अन्त में पेंडिंग अपीलों की संख्या ७३,२१६ थी अब उसकी संख्या फरवरी, ६५ तक ३२,०६५ हो गयी है। पहले ३, ४ वर्ष का टैक्स एसेस होने को बाकी रहता था लेकिन इधर जो प्रयास किये गये हैं उसका यह परिणाम है कि लखनऊ और कानपुर, मेरठ तथा बरेली जैसे बड़े शहरों को छोड़कर बाकी स्थानों में एसेसमेंट

का काम करीब-करीब अप-टू-डेट हो गया है। एक साल के अन्दर कानपुर और लखनऊ आदि में भी एसेसमेंट का काम अप-टू-डेट हो जायगा। इसलिये काफी यह प्रयास हो रहा है कि यह जो आमदनी का हमारा जरिया है वह ठीक हो और उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाय और जो कर प्रवचन है उसको रोका जाय। इस सम्बन्ध में हमारी आमदनी काफी बढ़े और इसकी बुराइयां रुकें इसके लिये हमने जो प्रयास किये उसका काफी अच्छा परिणाम रहा है माननीय सदस्यों को याद होगा कि कर प्रवंचन रोकने के लिये और कच्चे आढ़तियों के सामने जो परेशानी थी उसको दूर करने के लिये पहली अक्तूबर, १९६४ से कुछ वस्तुओं पर बिक्री-कर के स्थान पर क्रय कर लगाया गया और कर प्रवंचन रोकने के लिये और अधिक विशेष अनुसंधान शाखायें स्थापित की गयीं। इसी तरह से रोके गये शुल्कों की अपेक्षाकृत अधिक वसूली करने की दृष्टि से विचाराधीन अपीलों का और अधिक शीघ्रतापूर्वक समापन करने के लिये सहायक अपील न्याय की संख्या बढ़ाई गयी।

(इस समय १२ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्दराय पीठासीन हुए।) इस सबका अच्छा परिणाम हुआ और जो आमदनी हमने आंकी थी उससे भी अधिक हमारी आमदनी हुई है। इस सिलसिले में जरा माननीय सदस्य आंकड़ों की तरफ देखें। मैंने बताया कि २५ करोड़ की आमदनी इस साल के अन्त में होगी और इस साल के अन्त में इस विभाग पर हमारा खर्चा ७३,६८,९०० रुपये का है। यह करीब ३ फीसदी आता है। इससे माननीय सदस्य यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने कम खर्चे पर इतना बड़ा काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मैं माननीय सदस्य कभी कभी जब दूसरी तरफ सोचते हैं तो बकाया की धनराशि को देखकर एक ऐसी तस्वीर बनाने का प्रयास करते हैं कि मानों इस विभाग में बड़ी लापरवाही हो रही है और जो आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। कभी-कभी माननीय सदस्यों का यह खयाल हो जाता है कि यह क्यों संभव नहीं है कि बकाया न हो और मालगुजारी से भी इसका मुकाबला करते हैं। पूरी तस्वीर सामने न रहने से इस तरह की बातें होती हैं। एक तो मालगुजारी से इसका मुकाबिला नहीं हो सकता क्योंकि मालगुजारी एक निश्चित रकम होती है और बिक्री कर का एसेसमेंट हर साल होता है। मालगुजारी देने वाला हर आदमी शुरू से ही जानता है कि उसको कितना देना है। सेल्स टैक्स हर साल एसेस होता है और वह रकम निश्चित नहीं रहती है। असेसमेंट के बाद जो संतुष्ट नहीं होता वह अपील में जाता है, जो अपील में संतुष्ट नहीं होता वह रिवीजन में आता है और जो रिवीजन में संतुष्ट नहीं होता वह रिफ़ेन्स के लिये हाई कोर्ट में जाता है। इतनी कार्यवाही करनी पड़ती है और बहुत सी रकम स्टे हो जाती है। यह सब कठिनाइयां बीच में आ जाती है और रकम स्टे हो जाती हैं। तब भी जो कार्यवाही की जाती है उसका परिणाम मैंने आपके सामने रखा है।

अभी मैंने कहा है कि माननीय सदस्य सोचते हैं कि बकाया नहीं रहना चाहिये लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती है कि कोई बकाया न रहे सेल्स टैक्स में। जिस तारीख को यह असेस होता है दूसरे ही दिन इसकी गणना हो जाती है। ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो जाये कि आज जो रकम असेस होगी वह आज ही अदा हो जायेगी और बकाया न रहेगा। इसके अलावा असेसमेंट के बाद एक महीने का नोटिस दिया जाये और न दे तब रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो और राजस्व विभाग को सूचना भेजी जाये तब वसूली की कार्यवाही हो। एक ही महीना नहीं लगता है बल्कि २/३ महीने लग जाते हैं। अगर व्यापारी ने त्रैमासिक टर्न ओवर के अनुसार टैक्स नहीं जमा किया है। असेसमेंट होने के बाद तीन महीने लग जाते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उसके बाद रिकवरी सार्टीफिकेट जारी होगा और तब कार्यवाही होगी। इसलिये ऐसी स्थिति नहीं होती है कि कोई बकाया नहीं रहेगा जब तक कि सारा बकाया खत्म न हो जाये। चाहे वह वसूल होकर हो या राइट आफ होकर हो और व्यापारी इतना ईमानदार हो जाये कि अपने बहीखाते को ठीक रखे और इतना ईमानदार हो कि टर्नओवर के अनुसार जो टैक्सेबिल है उसकी सूचना दे दे और अपना त्रैमासिक रिटर्न भेजे उसी के साथ उसके हिसाब से जितना टैक्स हो, जमा न कर दे तब तक सेल्स टैक्स बकाया न रहे, ऐसी स्थिति नहीं होती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, व्यापारी कहां बेईमान होता है ? यह तो गवर्नमेंट सिखाती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको तो भाषण देना है, क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

इस चीज को इस तरह से कह देना मुनासिब बात नहीं है और जिम्मेदारी की भी बात नहीं है । जो गलत बात है उसे नहीं कहना चाहिये । इस तरह से नहीं कहना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि परसों राज्यसभा के चुनाव के सम्बन्ध में जो चार्चा हुई वह बुरी है उससे हमारा सिर झुक जाता है और हमारी बात का असर नहीं पड़ता है । अगर हम आक्षेप भी लगाना चाहते हैं तो हमें अपनी कमजोरी दूर करनी होगी तब हम अपनी बात का प्रभाव रख सकते हैं वरना नहीं रख सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इस बात से और सेल्स टैक्स से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात से और इससे क्या सम्बन्ध है ? इसे रहने दीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी बात से तो सम्बन्ध था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कटौती के प्रस्ताव में कह दीजिये ।

श्री जयराम वर्मा—

इस तरह की स्थिति पैदा करना कि बकाया न रहे यह असम्भव है । जब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी क्रय राशि बकाया कब रही और कितना हमने वसूल किया वह मैं आपके सामने रखूंगा । मैंने अभी बताया था कि शुरू में—१९४८–४९ में जबकि यह टैक्स का विभाग शुरू हुआ, इसकी आमदनी ४ करोड़ २३ लाख की थी । अब हर वर्ष की फीगर्स आमदनी के बारे में आपके सामने नहीं दूंगा लेकिन अन्तिम पांच वर्षों की देना चाहूंगा । तो ६०–६१ में इस विभाग से हमारी आमदनी ११ करोड़ ७० लाख की थी, ६१–६२ में १३ करोड़ १ लाख थी, ६२–६३ में १४ करोड़ ९६ लाख रुपये रही, ६३–६४ में आमदनी १८ करोड़ ३४ लाख रही, ६४–६५ में २१ करोड़ ११ लाख और कुछ हजार की थी और सन् ६५–६६ के अन्त में हमारा अन्दाजा है कि २५ करोड़ रुपये की आमदनी हो जायेगी । तो आप देखें इस तरह से इसमें वृद्धि हुई । आज से पांच वर्ष पहले ६०–६१ में ११ करोड़ ७० लाख रुपया आमदनी थी और अब ६५–६६ में बढ़कर यह करीब २५ करोड़ हो जायेगी, इस तरह से पांच वर्षों में इस विभाग से हमारी आमदनी दुगुनी से भी ज्यादा हो जायेगी । इधर करीब के सालों में हर साल नये जो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा टैक्सएसेस होते हैं, वे ५ करोड़ रुपये के होते हैं । फ्रेश असेसमेंट से करीब ५ करोड़ साढ़े चार करोड़ की वृद्धि होती है, उसमें से डेढ़ करोड़ से लेकर दो करोड़ रुपये तक विभाग नोटिस आफ डिमाण्ड के जरिये वसूल कर लेता है, और इतनी ही वसूली रेवेन्यू विभाग उस बढ़े हुये असेसमेंट का और पिछले साल के बकाया को मिलाकर वसूल कर लेता है । तो डेढ़ करोड़ पौने दो करोड़ या दो करोड़ विभाग वसूल कर लेता है और उतना ही रेवेन्यू विभाग करता है । ५ करोड़ के करीब की जो वृद्धि होती है, उससे साढ़े तीन या ४ करोड़ करीब हम वसूल कर लेते हैं, और एक करीब करीब बाकी रह जाता है । इस तरह से आप देखेंगे कि १ करोड़ रुपया की प्रति साल की बकाया की रकम में वृद्धि होती जाती है ।

इसी से माननीय सदस्यों को बड़ी नाराजगी रहती है। असेसमेंट को अप-टू-डेट लेने की कोशिश की जा रही है। पहले जहां ३–४ साल का असेसमेंट एरियर्स में होता था, अब उसकी जगह पर अप-टू-डेट हो जाने के कारण यह बकाया की रकम और अधिक दिखाई पड़ रही है। एक बार यदि यह रकम वसूल हो गयी और वसूली की कार्यवाही ठीक रही तो हम जब अप-टू-डेट हो जायेंगे, तो बकाया की रकम में जो हर साल एक करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई पड़ती है, वह नहीं दिखाई पड़ेगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है और माननीय मंत्री जी बोलते चले जा रहे हैं।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, १–४–६३ को कुल बकाये की रकम १० करोड़ ७१ लाख थी। सन् ४८ से उस वक्त तक कुल वसूल हो चुका था ११८ करोड़ ३५ लाख। इस तरह से कुल ड्यू रकम ३१ मार्च, ६३ तक १२९ करोड़ ६ लाख थी जिसमें से १० करोड़ ७१ लाख बकाया रह गया था और इस तरह पर यह कुल रकम का ८.३ परसेंट है।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

सदन जो आपसे पूछने के लिये बकाया के बारे में उत्सुक है वह छोटी रकमों के लिये नहीं बल्कि असली खयाल लोगों का यह है बड़ी-बड़ी कम्पनियों और बड़े सरमायेदारों पर बकाया ज्यादा है और बड़ी-बड़ी रकमें हैं और उसकी वजह से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। तो आप कृपा करके यह बताइये कि बड़े-बड़े लोगों पर बड़ी-बड़ी रकमें कितनी हैं?

श्री बांकेलाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बड़ी कम्पनियों पर बकाया है उनकी वसूली में आपको दिक्कत है?

श्री जयराम वर्मा—

मैं यह आंकड़े बता दूं फिर उस पर भी आता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

हिन्दुस्तान में तो अब सब गरीब हो गये हैं कोई पूंजीपति नहीं है।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, पूंजीपति बढ़ गये हैं, कुछ लोगों में अमीरी बढ़ रही है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, १–४–६४ को यह बकाया रकम ११ करोड़ ७१ लाख थी। उस वक्त कुल वसूली १३६ करोड़ ६९ लाख हुई यानी असेस्ड रकम १४७ करोड़ ४० लाख थी। तो यह जितना हमको मिलना चाहिये था उसका ७.८९ प्रतिशत है।

इसी तरह से १–४–६५ को बकाया रकम २ १२ करोड़ ७५ लाख थी और कुल वसूली रकम उस वक्त तक १५७ करोड़ ८१ लाख थी यानी कुल असेस्ड रकम १७० करोड़ ५६ लाख थी। इस प्रकार यह बकाया ७.४७ परसेंट हो गयी यानी फिर घट गयी। अब अप टू डेट यानी इस वक्त तक का नहीं है मेरे पास लेकिन १–१–६६ तक बकाया १३ करोड़ ३९ लाख थी और उस वक्त तक वसूली हुई थी १७६ करोड़ ८४ लाख की यानी कुल ड्यू रकम थी १९० करोड़ २३ लाख थी। यानी बकाये का परसेंटेज १–१–६६ को घटकर सिर्फ ७.३ रह गया। तो यह बकाया १–४–६३ को ३.३ परसेंट, १–४–६४ को ७.८९ परसेंट, १–४–६५ को ७.४७ परसेंट और

[श्री जयराम वर्मा]

१-१-६६ को ७.३ परसेंट है। इस तरह आप देखेंगे कि यह परसेंटेज बराबर घटता गया है। ज्यादा बाकी धनराशि जो दिखाई पड़ रही है उसका भी कारण है, परसेंटेज तो कम हो गया है लेकिन रकम तो ज्यादा दिखाई देती है बकाया रकम का परसेंटेज ज्यादा हो तो अच्छी बात नहीं कही जायगी। लेकिन मैंने बताया कि रकम जो बकाये की बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है उसका एक कारण यह भी है कि हम असेसमेंट का काम करीब-करीब समाप्त कर चुके हैं। अब अगले साल इन चार जिलों लखनऊ, कानपुर, मेरठ और बरेली का असेस्मेंट हम पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो हर साल एक करोड़ की रकम बढ़ जाती है वह भी नहीं बढ़ेगी।

अब आपको यह बतलाऊं कि ४ जनवरी, १९६६ को जो १३ करोड़ ३९ लाख की रकम थी उसका ब्रेक अप किस प्रकार से है। इसमें ९ करोड़ ८१ लाख रुपये के वसूली के सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। यानी यह रकम राजस्व विभाग के पास वसूल करने के लिए पड़ी है। वह वसूल कर रहे हैं। ३ करोड़ ५८ लाख रूपये के पहली जनवरी, १९६६ तक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए थे। रिकवरी सर्टिफिकेट तब जारी होते हैं जब एक महीना बीत जाय। असेसमेंट हो जाने के बाद एक महीने का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद मियाद खत्म होने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होती है। उसमें कुछ फार्मलिटीज करनी पड़ती है। उसमें करीब करीब ३ महीने का समय लग जाता है। नोटिस देना और फिर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना इसमें तीन महीने का समय लग जाता है ...

श्री बांकेलाल—

जो बकायेदार हैं, उसके ऊपर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

१९६४ के बारे में आप पूछें तो बतायें।

श्री बांकेलाल—

मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि किसानों के ऊपर जो बकाये का रुपया रह जाता है, उसको आप जेल में बन्द कर देते हैं लेकिन इन लोगों के पास इतनी बड़ी रकम पड़ी हुई है तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

तो इस ३ करोड़ ५८ लाख रूपये के सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए थे। यह कर निर्धारण इधर ३ महीने के अन्दर का है जिस पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है। अब इसमें २ करोड़ ९१ लाख रुपये की वसूली अदालत और दूसरे संबंधित अधिकारियों द्वारा रुकी हुई है। उसकी वसूली रोक दी गई है इसलिए उसको वसूल नहीं कर सकते। इसमें कुछ रकम ऐसी है जो सचमुच वसूल होने के लायक नहीं है। एक समय जब देश का बटवारा हुआ था। बहुत से लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए। बहुत से नये व्यापारी हो गए उन्होंने काम शुरू किया और वे एक साल के अन्दर गायब हो गए। कुछ लोग दिवालिए हो गए। इसलिए इस रकम को एडजस्ट करने के लिए राजस्व विभाग और बिक्री कर ज्वाइंट इंसपेक्शन करके यह तय करें कि कौन-कौन सी रकम ऐसी है जो वसूल होने के लायक नहीं है जिससे वह अनिश्चितता न बनी रहे। यह २ करोड़ १९ लाख की रकम ऐसी थी पहली जनवरी, ६६ को जो वसूल करने के योग्य नहीं है। तो मैंने आप को बताया कि २ करोड़ ५८ लाख के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए थे इसलिए हम उस पर कार्यवाही नहीं कर सकत थ। ९ करोड़ ८१ लाख के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी थे, जिस पर कार्यवाही हो सकती थी। उसमें २ करोड़ ९१ लाख स्थगन कार्यवाही अदालतों आदि के द्वारा की गयी और २ करोड़ १९ लाख की वसूली होने लायक नहीं है। ४ करोड़ ७१ लाख की रकम ऐसी बचती है जो वसूल होने के लायक है, जिस के बारे में आप शिकायत कर सकते हैं कि वह वसूल क्यों नहीं हुई। यह

१ जनवरी, १९६१ तक कुल वसूल होने योग्य रकम है जो कुल एसेस्ड रकम है १९० करोड़ २३ लाख में से, बाकी रह गयी है। तो अगर इसको आप सही दृष्टि से देखें तो आप समझेंगे कि तस्वीर जो है वह काफी अच्छी है और अगर माननीय सदस्यों का सहयोग मिले तो और अच्छी हो सकती है।

मैंने इसका रेवन्यू से मुकाबला करना नहीं चाहा, लेकिन मैंने यह बतलाया था कि रेवेन्यू में और इसमें फर्क क्या है। रेवन्यू में हर एक को मालूम रहता है कि हमको कितनी मालगुजारी देनी है इसलिए उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती और जब साल शुरू होता है उसके साथ साथ ही उनको कार्यवाही जारी हो जाती है। यहां पहले असेसमेंट होता है, फिर उसकी अपील होती है, फिर रिवीजन होता है, फिर कोई कोई लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। इन सब कार्यवाहियों को पार करने के बाद वसूली कार्यवाही ढंग से शुरू होती है, इसके पहले नहीं। बहुतसी वसूली रोक भी दी जाती है। इसलिए रेवेन्यू से मुकाबला करना कभी संभव नहीं होता और न इसका मुकाबला इंकम टैक्स से किया जा सकता है। इंकम टैक्स तो लोग अपनी आमदनी से देते हैं, और यह टैक्स जो है वह व्यापारी वसूली करके सरकार को देता है सरकार को जो रकम उसके पास है, उसमें से वह देता है। वह इसे अपने पास से नहीं देता। इसमें अगर किसी को बहुत ज्यादा शिकायत हो सकती है तो वह कंज्यूमर को हो सकती है। वसूल करने वाले को तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो दर मुकर्रर है उस हिसाब से वसूल करके वह हमको देता है।

कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा खयाल है कि हम को व्यापारियों के साथ कुछ खास हमदर्दी है। मैंने कई बार कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मिल की बात चल रही थी और उसमें इतनी आफत हो गयी और कहा गया कि अगर सरकार फौरन कार्यवाही नहीं कर सकती तो स्वयं सब कार्यवाही कर लेंगे, आदि। इस तरह की वसूली में अगर हम किसी मिल को अपने कब्जे में लें लें तो उसके बन्द रहने से हर्ज ही होगा। लेकिन सरकार को यह भी देखना पड़ता है कि हम कोई ऐसी कार्यवाही न कर लें कि जिससे मजदूर की कमर ही टूट जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मिल को अपने कब्जे में लेकर उसे आप चलाइये।

श्री जयराम वर्मा—

फौरन मिल चलाना सम्भव नहीं होता। जिस मिल में बाकायदा आमदनी हो रही हो उस में वसूली करने में दिक्कत नहीं होती, जहां कोई गड़बड़ होती है, वहीं वसूली में दिक्कत होती है। यह बकाया रुक जाता है, मिल नहीं देती है। कानपुर वाले माननीय सदस्यों से पूछिये कि कितनी सख्ती वसूली की हो रही है। एक प्रश्न आया था, मैंने कहा कि लाखों रूपया जो जुर्माना हो गया है। तो हमारा मंशा यह नहीं है कि आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ही खत्म हो जाय। सख्ती हो वसूली में लेकिन इतनी नहीं कि टूट जाय और आमदनी का जरिया ही बन्द हो जाय और व्यापार बन्द होने से औद्योगीकरण में रुकावट पैदा हो जाय। इसलिए इन सब बातों पर पर्दा डालकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए नहीं तो हमारे साथ अन्याय होगा। आपको मालूम ही है कि एक मिल की वजह से कितना आफत पैदा हो गयी थी, क्या ऐसी ही आफत सब जगह करा देना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बांकेलाल जी, आप बैठें। माननीय मंत्री जी समय का ध्यान रखेंगे।

श्री जयराम वर्मा—

इसके लिए कितना समय है?

श्री अधिष्ठाता—

कोईहय तीन बजे तक चलेगा, बाद में अप्रोप्रिएशन बिल चलेगा।

श्री जयराम वर्मा—

तो बड़े बड़े व्यापारियों पर जितना ज्यादा बकाया है, उतनी ही सख्ती से वसूली की जाती है। कानपुर जाकर जरा डी० एम० से बात करें तो पता चलेगा कि कितनी सख्ती होती है। व्यापारियों से पूछिए तो कहेंगे कि ऐसा डिप्टी कमिश्नर आ गया कि इतना सख्त कभी नहीं आया। इसलिए सब बातों को सोचकर ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है कि लेबर प्राबलम न पैदा हो जाय।

जब पुराना बकाया है वह भी वसूल होता है। १९६०-६१ का ३१ मार्च, १९६३ को बकाया था, १,४७ लाख वह ३१ मार्च, १९६४ में घट कर १,१४ लाख हो गया और ३१ मार्च, ६५ को ६८ लाख रह गया। जो बकाया की वसूली होती जा रही है वरना घटता कैसे? इसी तरह से ६२-६३ का जो पिछला बकाया था वह ३१ मार्च, १९६३ को २,७६ लाख था। वह ३१ मार्च, १९६४ को घट कर १,९० लाख हो गया और ३१ मार्च, १९६५ को १,०४ लाख हो गया। इसी तरह से १९६२-६३ का जो बकाया था वह ३१ मार्च, १९६३ को ३,७५ लाख थी। वह ३१ मार्च, १९६४ को २,३४ लाख हो गया और ३१ मार्च, १९६५ को १,३२ लाख रह गया। जो पिछली जिन सालों का बकाया रकम है उसमें भी बराबर वसूली हो रही है, इसी वजह से बकाया बहुत नहीं बढ़ा है। वसूली में और तेजी लाने के लिए यानी दबाव डालने के लिए ताकि व्यापारी वसूल करके उस रकम को दूसरे काम में न ला सकें, और भी इंतजाम किया गया है। आपको मालूम हो गया कि हमने पीनल इंटरेस्ट भी लगाया है। महीने का नोटिस आफ डिमान्ड का रहता है, उसके ६ महीने के अन्दर अगर कोई असेसमेंट रकम को नहीं देता तब उस पर हम १८ प्रतिशत का सूद लेते हैं। फिर इसको मालगुजारी की तरह तो वसूल किया ही जाता है, हमने कलेक्टर को सिविल कोर्ट के भी अधिकार दे दिए हैं यह हब इसीलिए किया गया है ताकि रुपये की वसूली शीघ्रता से हो सके। और भी इसके लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। यह हमारी आय का सबसे बड़ा जरिया है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब बातों को ध्यानमें रखकर ही अपनी आलोचना करें और सुझाव दें।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं—

सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बिक्री-कर विभाग की ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश की जो वास्तविकता से दूर थी। तस्वीर उसी की अच्छी होती है जिसकी शक्ल भी अच्छी हो। जिसकी सूरत अच्छी न हो, फोटोग्राफी के आर्ट द्वारा उसको अच्छी बनाने का प्रयास किया गया हो, तो वह फोटो भोंडी कही जाती है। १४ तारीख को भाषण करते वक्त भी मैंने इस विभाग के बारे में कहा था कि वित्त मंत्रालय की स्थिति एक अजीबोगरीब है, उसकी अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता तथा निकम्मेपन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति ध्वस्त होती चली जा रही है, जिसका कि ज्वलन्त उदाहरण माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने दिया। इस विभाग को प्रदेश की आमदनी का कोई अन्दाज नहीं है और खर्चा यह विभाग बेतहाशा करता जा रहा है। मेरी तो धारणा यह है कि इस विभाग का स्ट्रक्चरल रिआर्गेनाइजेशन किया जाय, और इसका इस तरह से संगठन किया जाय जिससे कि इस तरह की बुराइयां दूर हो सकें।

जहां तक सेल्स-टैक्स का संबंध है, इसका प्रचलन पहले महायुद्ध के बाद हुआ। आज सारे विश्व में इसका प्रचलन है। हमारे यहां सन् १९३९ में सबसे पहले मद्रास में यह शुरू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया, फिर बंगाल में हुआ, फिर सन् ४८ में यू० पी० में शुरू हुआ। इसके शुरू करने का जो उद्देश्य था, वह उस कमी को पूरा करना था जो मद्य निषेध की कमी के कारण हो रहा था और उसमें एक कमेटी बनी थी जिसकी वजह से भी खर्च बढ़ गया था। इस कारण यह टैक्स लगाया गया। इस टैक्स के लगाने पर सरकार ने यह कहा था कि यह तो इन्डायरेक्ट टैक्सेशन है। यह तो कहने की बात थी कि यह इन्डायरेक्ट है पर यह सीधा डायरेक्ट टैक्स है कन्ज्यूमर्स पर और यह उनकी कमर तोड़ता है और इसमें स्थिति यह है कि एक बिचौलिया बीच में आ जाता है। आज की जो हालत है वह बदतर होती जा रही है क्योंकि यहां पर सिंगल प्वाइंट और मल्टीपल प्वाइंट दोनों प्रकार के टैक्सेज हैं। अगर वह एक रुपये का माल खरीदे तो एक पैसा देना पड़ेगा, सिंगिल प्वाइंट में और मल्टीपल प्वाइंट में मैनुफैक्चरर से लेकर कन्ज्यूमर तक एक रुपया तीन पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से जो भार है इस टैक्स का भार उस कन्ज्यूमर पर आ रहा है जो गरीब किसान हैं और मजदूर हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि रुपये की कीमत करीब-करीब बहुत कम हो गई है। वह करीब दस गुना कम हो गई है। पहले जो एक रुपये का माल १९४७ में पाते थे वह आज दस रुपये में मिल रहा है। अर्थात् हमको एक पैसा सन् ४७-४८ में देना पड़ता था वह एक रुपये पर दस पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार का भार साधारण जन पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हमारी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है।

मैं आपको बताऊं कि सन् ४७ में जो टैक्स लगाया गया वह ४,८१ लाख के करीब था। उस समय प्रति व्यक्ति .६२५ कर पड़ता था लेकिन आज आप .३८ लाख के करीब वसूल करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि ३.२५ प्रति व्यक्ति यह कर साधारण जनता पर आखिर पड़ जायगा और जिस स्थिति में यह कर पड़ेगा वह स्थिति अत्यन्त भयानक है। हमारी आमदनी जो बढ़ रही है वह मैं आपको बताऊं कि सन् ६०-६१ में २५० थी, सन् ६१-६२ में २५७ और सन् ६२-६३ में वह २६० ही हुई है, वह इस क्रम से बढ़ रही है। बड़ी मन्थर गति से यह आमदनी बढ़ रही है लेकिन टैक्स हमारे ऊपर छः गुना बढ़ गया है। सन् ४७ से लेकर सन् ६६-६७ तक वह आज ३.२५ हो गया है। यह स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सिवाय गरीब के खून चूसने के और कोई चीज टैक्स में नहीं है। वित्त मंत्रालय की स्थिति को देखते हुए, हमारी आमदनी की मन्थर गति को देखते हुए, टैक्स को निरन्तर बढ़ता देखते हुए, हमारी राय है कि आप एक फाइनेंस कमीशन नियुक्त करें जो सारे मामलों पर पुनः विचार करे।

अभी आपने कहा कि असेसमेंट वगैरह की बात हुई। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन्होंने पहले पहले जब टैक्सेज किए तभी भ्रष्टाचार की नींव डाली एजेम्पशन द्वारा। इन्होंने यह कर दिया कि अगर कोई व्यापारी पांच सौ रुपये या हजार रुपये जमा कर दे तो वह चाहे जितना भी व्यापार करे। उसका नतीजा यह हुआ कि छोटा व्यापारी जो पढ़ा-लिखा नहीं था उसकी जानकारी में यह चीज नहीं थी, और उसके लिए यह था कि वह इतना रुपया जमा कर के व्यापार करे। तो इस तरह से उसका फायदा न हो कर बड़े व्यापारियों ने लाखों रुपयों का व्यापार किया और सरकार को कम से कम टैक्स दिया। उसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। आगरा में पांच ऐसे डीलर्स हैं और बहराइच में १८ ऐसे डीलर्स हैं, जिसमें कि सरकार को पैसा नहीं मिल सका। यह आडिट रिपोर्ट में दिया हुआ है। मैं उसके ब्यौरे में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसमें समय ज्यादा लग जायगा। दूसरी स्थिति असेसमेंट की है। ओवर असेसमेंट यह कर दिया करते हैं। ओवर असेसमेंट करने का तरीका यह है कि इनको हिसाब-किताब की तमीज नहीं है। ये अन्दाजे से व्यापारी पर ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट कर देते हैं। उसका नतीजा यह है कि सारे प्रदेश में मुकदमे बढ़ रहे हैं। आज उसकी स्थिति यह है कि ७५ हजार केसेज पेंडिंग हैं और १० हजार जजेज के यहां रिवीजन में पेंडिंग हैं। यह ओवर असेसमेंट अनुभवहीनता, अकर्मण्यता के कारण होता है।

अण्डर असेसमेंट की स्थिति यह है कि जाने पहचाने आदमियों को, बड़े-बड़े व्यापारियों को अन्डर असेस किया जाता है। एक श्री डी० पी० श्रीवास्तव साहब ने भगवान इंडस्ट्रीज, लखनऊ को अन्डर असेस किया जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को ४५ हजार रुपये का

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

नुकसान हुआ। एक गुप्ता सोप फैक्टरी, बरेली है। इसको भी अन्डर असेस किया गया है, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसके अलावा बहुत से केसेज में असेसमेंट हुआ ही नहीं। उसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि डायर मोकिन एक लखनऊ के बड़े भारी पूंजीपति हैं। इनका सन् ६३-६४, ६४-६५, ६५-६६ में कोई असेसमेंट ही नहीं हुआ। डायर मोकिन जैसे पूंजीपति का असेसमेंट न होना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई छोटा अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता है। इसमें बड़े अधिकारी और विभाग का ही हाथ होगा। इसके लिए मंत्री जी के पास क्या जवाब है? आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि उनका व्यापार मंडल बहुत फैला हुआ है। इससे क्या होता है? जिस क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसी क्षेत्र में उसका असेसमेंट हो सकता है। इस प्रकार वह किया जाकर इतने बड़े व्यापारी को छोड़ा गया है। केवल इसलिए कि वे इलेक्शन के समय बड़ी-बड़ी रकमें आपको देते हैं जिससे आप जीतते हैं और इसीलिए उनका गुणगान करते हैं।

अब रेमीशन की बात ले लीजिए। जो लोग बड़े-बड़े हथकंडे अख्तियार करते हैं उनको आपके विभाग से रेमीशन मिल जाता है। शाहाबाद, जिला हरदोई में एक व्यापारी हैं उनको माननीय कमिश्नर साहब ने कर मुक्त कर दिया। इसमें माननीय मेहरोत्रा साहब आयुक्त का मुख्य हाथ है। जिसको ये फेवर करना चाहते हैं उसको अनेक प्रकार से राहत दे देते हैं। सीतापुर प्लाई वुड की एक दूकान है। प्लाई वुड उनको अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए थी। उसके लिए बारबार ये सरकारी काम दिखा कर वह गए और टी० ए० चार्ज किया। इसके बाद उनको ७० हजार का स्टे दे दिया।

अब टैक्स इवेजन को ले लीजिए। एक केस के बारे में मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। यह कानपुर का केस है और ३० लाख ६७ हजार रुपये का मामला है। "कानपुर के उन तीन व्यापारियों से, जिन्होंने सन् १९५८-५९, १९५९-६० और ६०-६१ के दौरान में कानपुर के अन्य तीन व्यापारियों के हाथ ३०.६७ लाख रुपया के मूल्य की खालें और चमड़ा बेचा था, उनके विक्रय धन पर बिक्री कर नहीं लिया गया क्योंकि क्रेताओं ने इस आशय के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे कि क्रय किया गया माल उसी दशा में पुनः विक्रय के लिए है। किन्तु क्रेता व्यापारियों की कर-निर्धारण संबंधी पत्रावलियों की स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान में यह विदित हुआ कि उनके द्वारा क्रय किए गए (३०.६७ लाख रुपये मूल्य के) खालों और चमड़े का संपूर्ण स्टाक एक मामले में वास्तव में जूता बनाने के लिए (१९.४३ लाख रुपया) और, अन्य २ मामलों में कमाए हुए औद्योगिक चमड़े (११.२४ लाख रुपये) के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया था। ३ विक्रेताओं के करापवंचित विक्रय धन पर कर की धनराशि हिसाब लगाने पर ५०,००० रुपया आती है।" यह इस बात का पता नहीं रख सकते कि माल किस काम के लिये आया और यहां तक है कि प्रमाण-पत्र भी गलत दिया गया। ऐसे लोगों को क्यों नहीं दंडित किया जाता बल्कि ऐसे लोग और तरक्की पाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है जो मैं अभी पेश करता हूं वह है अन्डर असेसमेंट का। बलिया के एक मामले में सरकार का १७ हजार रु० का नुकसान हुआ और उसमें ८९ कैसेज ऐसे थे कि जिन में २.३८ लाख का नुकसान हुआ, दस केस ऐसे थे कि जिस में १.९९ लाख का नुकसान हुआ। इनका कारण इन अधिकारियों की लापरवाही, अकर्मण्यता, अक्षमता थी और अगर मैं सही कहूं तो यह इनकी बेईमानी थी और यह कहना अत्युक्ति न होगी। चार केस ऐसे भी थे कि जिन में डिक्लेरेशन्स रजिस्टर ही नहीं हुए और सात केस ऐसे थे कि जिनमें तारीख भी नहीं दी गई थी और दो केस ऐसे

थे कि जिन में डिक्लेरेशन फार्म ही सबमिट नहीं हुआ था। इस तरह की तमाम अनियमितताओं के रहते हुए भी माननीय मंत्री जी एक तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं कि विभाग ठीक काम कर रहा है, वह वितंडावाद नहीं तो और क्या है ?

दूसरे मुझे यह भी मालूम है कि इस बिक्री-कर विभाग में बड़ा असंतोष है और पार्टीबन्दी है और उसका नतीजा यह है कि अयोग्य व्यक्तियों की उन्नति हो रही है और योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि वह भी आगे बढ़ सकें। विभाग में २५ से ३० प्रतिशत ऐसे अफसर और ए० एस० टी० ओ० हैं कि जिनका एफीशियेंसी बार रुका हुआ है लेकिन फिर भी उनकी ए० सी० (ई०) और एस० सी० (जे०) में पदोन्नति की जा रही है। जब कभी भी यह बात चली तो कमिश्नर बिक्री-कर ने इस मसले को छिपाने की कोशिश की और जब कभी किसी व्यापारी के बारे में कोई चीज रिवीजन की तरफ से रिफर हुई तो रिपोर्ट को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए रामगोपाल जौहरी, बलिया, अग्रवाल ज्वेलर्स, वाराणसी और छीतलमल नारायणदास, सैतूमल महेन्द्र लाल, टूंडला आदि के बारे में जांच की जाय तो मालूम हो जायगा कि किस प्रकार आप के अधिकारियों ने बेईमानी और बदमाशी की है। आप ए० सी० (जे०) आगरा के फैसले देखें तो आप को सारी बेईमानी का पता लग जायगा और मालूम होगा कि इनके कारण से कितना सरकार का नुकसान होता है। इसके अलावा एस० टी० ओ० आगरा को एन्ट्री दी गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे लोगों को कन्फर्म किया जा रहा है। आगरे के एस० टी० ओ० को निम्नलिखित एन्ट्री दी गई कि—

"The Officer's knowledge of Sales Tax law is not quite satisfactory. The A. C. (E) considers it to be below average. The disposal of assessment cases is also not up to the standard. Only 21·8% office assessment orders got confirmed in appeal and as many as 31% has to be reminded. His surveys are also inadequate in number and not of satisfactory quality. At Allahabad some of the survey notes were found not to have been placed on the conridential file of the dealers, At Agra his A. C. (E) was not quite satisfied with the officer's performance. He considers the Officer not dependable."

इस तरह के लोगों के खिलाफ भी जब कार्यवाही नहीं की जाती तो किस तरह से मंत्री कहते हैं कि विभाग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। दूसरी एक और स्थिति यह है कि इनके यहां एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं पी० एल०, इनकी हालत यह है कि अधिकारियों के सामने तो वह बिलकुल भीगी बिल्ली की तरह जाते हैं लेकिन जो उनके सबार्डिनेटस हैं उनके साथ वह बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। यह रहते यहां हैं और बाराबंकी में उन्होंने अपना घर बनवा लिया है और वहां जाकर वे आराम और ऐश की जिन्दगी बसर करते हैं। १४ मार्च को आप बाराबंकी गये। जब वहां से चले आ रहे थे तो लखनऊ और बाराबंकी के बीच में वह कार जो इन्होंने प्लानिंग विभाग से ले रखी है टकरा गयी। उस समय वे कार को स्वयं चला रहे थे, होशोहवास में थे नहीं और ड्राइवर जो पास में बैठा रखा था वह मर गया। अब उस स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग विभाग का वह ड्राइवर है जो बिना कसूर ही मर गया है। ऐसे अफसर को जो अपने दफ्तर में काम न करें, इस जगह पर रखने से आप अपने कार्य को संचालित नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप जांच करें और यदि ये बातें सही निकलें, उनको यहां से हटा दें।

एक मजे की बात यह है कि उनके यहां पर भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। आगरा में एक केन्टीन है, जिसमें बाबू लोग वहां पर चाय पीते हैं और जो भी काम करते हों अपने आराम के लिये। वहां का एक किस्सा है। वहां पर कुछ फाइल्स दफ्तर से लायी गयीं और उनको जलाने का उपक्रम किया गया। उनमें कुछ, आधी के लगभग, जला भी दी गयी लेकिन यह बात तुरन्त खुल गयी और शायद यह मसला पुलिस को सौंप दिया गया लेकिन यदि नहीं सौंपा गया तो अब उन्हें दे दिया जाय। यदि यही हालत रही तो जो आप आमदनी दिखा रहे हैं वह न होगी और आप कहीं के भी न रहेंगे।

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

जौनपुर के व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाने की बात थी। व्यापारी बहुत परेशान था। उसने बिक्री-कर अधिकारी को मिला लिया और आपको आश्चर्य होगा कि दफ्तर को तुड़वाकर और अल्मारी को भी तुड़वाकर बहीखाते को उठाया गया। इस संबंध में मैंने सवाल भी किया था और उसके उत्तर में मुझे बताया गया कि २–४ रुपये का नुकसान हुआ। अगर वह कार्य कोई चोर करता तो कुछ और चीजों का भी नुकसान होता। अगर उसमें दफ्तर के अधिकारियों का हाथ न होता तो इस प्रकार की चोरी नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार से विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है और इससे इस विभाग का कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

जहां तक एरियर्स का सम्बन्ध है, मैं सुझाव देता हूं कि कलैक्शन का काम आप इसे अपने विभाग द्वारा ही करायें। आपने जो इसे राजस्व विभाग को सौंप रखा है उससे काम नहीं चल पाता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप नोटिस आफ डिमान्ड पर वसूल कर लेते हैं, ऐसे ही आप अपने विभाग में स्टाफ बढ़ाकर इस कलैक्शन के काम को उनसे करायें। इससे आपको पता भी लगता रहेगा कि आप किस हद तक कलैक्शन करते चले जा रहे हैं। आपका रिकवरी नोटिस हो चुका है लेकिन आप अंधेरे में हैं कि वह वसूल हो चुका है अथवा नहीं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि डीलर्स को उचित समय पर रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। कभी-कभी तो एक एक महीने बाद में मिलता है इससे उन्हें कष्ट होता है। अतः प्रार्थना है कि उचित समय पर उन्हें रिकवरी सर्टिफिकेट मिलना चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि कुछ बैंड और डाउटफुल डेट्स चला करते हैं। शाहजहांपुर में एक फर्म है। उसका फार्म "सी" का झगड़ा चला। उसने १० लाख ८० हजार का घी (वेजीटेबिल आयल) प्राप्त किया लेकिन उसने केवल २६.५० रुपया ही जमा किया। २७ बड़े फर्म्स हैं, जिनसे १२ लाख रुपये की वसूली नहीं हुई। इसी तरह से इर्रीगेशन में ६०.६३ लाख रुपये की वसूली होनी चाहिये थी जिसमें से मुश्किल से ३८.६८ लाख रुपये की वसूली हुई, यह इनकी कारगुजारी है।

अब मैं आपको आडिट सेल की बात बतलाऊं। आडिट सेल आपने इस बात की जानकारी रखने के लिये कायम कर रखा है कि किसी तरह का कोई इवेजन न हो और उसमें ठीक ढंग से काम हो। इसमें एक एकाउन्ट आफिसर आपने ६०० रु० माहवार का रखा है तथा ३ सीनियर एकाउन्ट आफिसर और ३ जूनियर एकाउन्ट आफिसर भी रख छोड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि १२ दिसम्बर, ६५ तक इन लोगों ने कितनी फाइलें देखी, कितना आडिट किया और इनकी क्या रिपोर्ट है और उससे कितना लाभ आपको हुआ। जब इस सारी स्थिति को आप देखेंगे तो पायेंगे कि वे आपको और इस प्रदेश को अन्धकार में रखना चाहते हैं।

इसी तरह से ५०० रुपये माहवार पर इन्होंने एक सांख्यिकी अधिकारी रखा है और उसके साथ १८ बाबू भी दे रखा है। उनका काम यह है कि वे तिमाही रिव्यू करते रहें सारे काम की ताकि सारे प्रदेश की स्थिति सब के सामने रखे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां पहले एक माहवारी और तिमाही रिव्यू का प्रचलन था वह भी बन्द हो गया और इस तरह से यह विभाग उस काम को करने में असमर्थ है। मेरा निवेदन है कि आप इस विभाग को परवरिशगाह मत बनाइये।

सी० फार्म के सवाल पर बड़ा झगड़ा है। सी० आई० डी० को यह काम सौंपा गया और दो लाख रुपया उस पर खर्च किया गया, लेकिन वहां भी सरकारी फन्ड का मिसयूज किया गया। जिन अधिकारियों के जरिये यह गड़बड़ी की गयी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। नमूने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को उनके नाम दे रहा हूं, वे हैं श्री श्यामलाल श्रीवास्तव और श्री एस० एस० श्रीवास्तव।

इनका एक जुडिशियल ब्रांच भी है। जुडिशियल ब्रांच में इन्होंने ३ सहायक आयुक्त और ४ रिवीजन जज रखे हैं तथा ७ बाबू है। जहां तक जुडिशियल आयुक्त का प्रश्न है, मैं दावा करता हूं कि वे बहुत आसानी से व्यापारियों के असर में आ जाते हैं और उनके हक में फैसला कर देते हैं। आप स्वयं ही देखें कि ३१ मार्च, ६४ में ७४,८३३ बिल्डिग केसेज थे और उनमें ३९,५६३ ऐसे केसेज हैं जो कि एक साल से ज्यादा पड़े हैं। यह इनकी कारगुजारी है। जुडिशियल रिविजन के मामले ३१ मार्च, ६४ में १०,४७७ केसेज थे जिनमें ५,६४९ केसेज पेंडिग पड़े हैं एक साल से ज्यादा से। अब असेसमेन्ट की स्थिति में बतला दूं। ३१ मार्च, ६४ में असेसमेन्ट के ७४,५९७ पेंडिग केसेज थे। जोकि बाद में ७५,२९२ हो गये। कोर्ट-फीस वगैरह के मामले आपको बहुत समझ कर लेने चाहिये। मेरा सुझाव है कि १ हजार तक को तो आप माफ ही कर दें क्योंकि सभी जानते हैं कि जिसका ओवर असेसमेन्ट हो जाता है वही अपील में जाता है। गरीब लोग जिनका कोई असर नहीं होता है और जो अधिकारियों के पास जा भी नहीं सकते हैं, इसको समझ कर मैं चाहता हूं कि एक हजार तक तो आप माफ कर दें और उससे ऊपर के लिये २० आने या एक रुपये के टिकट के साथ दरख्वास्त देने की बात रख दें।

दूसरी बात यह है कि जजों का दौरा होना चाहिये जिससे उन्हें वस्तु स्थिति का ज्ञान हो सके। तीसरी बात यह है कि आपके जो दफ्तर हैं वहां पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के जो चपरासी हैं ५, ५ वे कमिश्नर के घर पर चौकीदारी करते हैं और दफ्तर के बाबू और वहां जाने वाले व्यापारियों तथा और लोगों को पानी नहीं मिलता है।

गृह उद्योग पर सरकार जितना कुठाराघात कर सकती है कर रही है। एक मामला है दरी का। दरी उद्योग कानपुर, सीतापुर, आगरा और बरेली में है। इस पर इन्होंने २ परसेन्ट टैक्स लगा दिया है जब कि इनको टैक्स नहीं लगाना चाहिये था। पहले भी लगाया था लेकिन सरकार ने मुक्त कर दिया था। उनका खत मेरे पास है उस खत के हिसाब से बरी कर दिया था :

"With ref. to his letter dated nil to the Minister of Industries, U. P. The Secretary Sitapur Durry Weavers and Commission Agents Association, Sitapur is informed that govt. have since issued orders exempting from April 1, 1954, durries manufactured on handloom, from the operation of section 3 of the U. P. Sales Tax Act, 1948....."

जब आपने एक बार इसको रोक दिया था तो फिर लगाने की क्या जरूरत है। एक दलील आप देते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमको आज्ञा नहीं देती। आप देखेंगे सेन्टर ने भी उसको ३ परसेन्ट तक कर दिया है। तो हमारा सुझाव है कि दरी पर न लगा करके सूत पर लगा दें और १ परसेन्ट लगा दें जिससे कि अधिक से अधिक फायदा हो। सीतापुर के दो स्टेशनों के आंकड़े मैं देना चाहता हूं उससे कितना लाभ होगा यह आप सोचें। दरी की बिक्री पहले २९ लाख रुपये की थी, लेकिन अब यह १५ लाख रु० हो गई। सूत की बिक्री साढ़े २० लाख थी, अब साढ़े १७ लाख हो गई। बुनकर अपने सूत को गोंछे में इस्तेमाल करते हैं, दरी नहीं बन रही है। रंग में ४५ लाख रु० की बिक्री होती, लेकिन वह भी गिरती चली जा रही है। नतीजा यह है कि ४७,६०० रु० इनको रेलवे का भी मिलता लेकिन वह घटाकर २९,६०० रु० हो गया। इस प्रकार आमदनी अगर समझी जाय तो ३०,००० रु० इनको मिलेगी लेकिन ४४,००० का नुकसान होगा जैसे ६,००० सेल्स टैक्स में, ३,००० ऐक्साइज में, ५,००० रंग पर ऐक्साइज और सेल्स टैक्स, २०,००० रेलवे का नुकसान होगा, १०,००० इन्कम टैक्स का नुकसान होगा, इस तरह से ४४ हजार का नुकसान होता है और ३०,००० रु० की आपको आमदनी होती है। तो ऐसा सौदा सरकार क्यों करती है जिससे गृह उद्योग चौपट हो जाय।

फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के सिलसिले में यह कहना है कि इन्होंने ७ परसेन्ट उस पर लगा दिया है, चूड़ी का मुलम्मा करने के लिये। उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि फीरोजाबाद पर जितना टैक्स लगना चाहिये अगर आपके अधिकारी उतना ही ईमानदारी से टैक्स लगा दें तो आपको टैक्स लेने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि फिरोजाबाद के लोगों को मैं जानता हूं, मुझे जानकारी है कि आज से दो वर्ष पहले या पिछले साल कुछ अधिकारी गये और

[श्री केशरी प्रसाद पांडेय]

वहां के लोग इतने शातिर हैं कि उसको ले गये किसी जगह और उसको मारने पीटने की धमकी दी। तो जहां के लोग ऐसे हों, उनके साथ सख्ती के साथ व्यवहार करना चाहिये, न कि टैक्स बढ़ा करके और वसूली को फिर धपले में डाल दिया जाय। तो मैं चाहूंगा कि इस गृह उद्योग को पनपाने के लिये उस उद्योग में काम कर रहे लोगों के आश्रितों को जिन्दा रहने के लिये आपको चाहिये ७ परसेन्ट कर अ.प न लगायें बल्कि जो कर जितना निश्चित रूप से लगना चाहिये वह उचित रूप से वसूल हो तो आप को कोई परेशानी नहीं हो सकेगी और आप का कोई घाटा नहीं हो सकेगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा माननीय उप मंत्री जी ने कहा जिस कर से २५ करोड़ की आमदनी प्रदेश को हो उसका हमारी राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और प्लानिंग के युग में हमें ऐसी आय के जरिये को सुरक्षित रखना पड़ेगा लेकिन जहां यह ठीक है वहां पर यह भी ठीक है कि यह वह कर है जिसका जन साधारण पर असर पड़ता है। इसलिये इसके इम्पिलिमेंटेशन में कोई कमी होती है तो उससे जनता में बड़ा असन्तोष होता है और एक व्यापक अशान्ति होती है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय मंत्री जी ने राजस्व या इनकम टैक्स का मुकाबला इस टैक्स से किया तो राजस्व और इनकम टैक्स किसी विशेष वर्ग पर पड़ता है जिसकी आय किसी निश्चित आय से अधिक होती है लेकिन यह कर हर एक पर पड़ता है। इसलिये इसके इम्पलिमें-टेशन में बड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है। इस दृष्टि से हम देखें तो कई बातें बड़ी परेशानी की आती हैं। माननीय मंत्री जी ने सबसे ज्यादा अपने भाषण में एरियर्स के ऊपर व्याख्या की। मैं बधाई देता हूं उनको उस व्याख्या के लिये। उस व्याख्या से शंका समाधान तो नहीं हुई लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहूंगा कि जहां तक उन्होंने इस बात से सन्तोष किया कि हमारे टोटल रिलायइजेशन्स के अनुपात में जो हमारे १३ करोड़ के एरियर्स हैं वे ८ या ९ प्रतिशत हैं वहां इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जो स्थिति आपने बतलाई वह अपने प्रदेश पर लागू होती होगी लेकिन दूसरे प्रदेशों से तुलना करके भी आप देखें कि वहां पर कितनी आय सेल्स टैक्स से है और कितने एरियर्स हैं तो कदाचित मंत्री जी को यह मानना पड़ेगा कि तस्वीर उतनी ब्राइट नहीं है जितनी उन्होंने रखने की कोशिश की। मैं एक स्टेट को लेता हूं। महाराष्ट्र में आयकर से आमदनी ५५ करोड़ के करीब हैं और उसके अगेन्स्ट एरियर्स ६ करोड़ के करीब हैं। हमारे यहां इस वर्ष की अनुमानित आय २५ करोड़ है इस टैक्स से और जो लेटेस्ट एरियर्स बतलाये गये हैं वे हैं १३ करोड़। तो जब महाराष्ट्र की वार्षिक आय के अनुपात में एरियर्स १० परसेन्ट आते हैं तो उत्तर प्रदेश में ५० परसेन्ट आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो आपको यह मानना पड़ेगा कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी हमारे यहां एरियर्स अभी काफी हैं और हमें उन प्रयत्नों को जारी रखना है।

इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है पेंडेंसी आफ केसेज इन अपील्स एन्ड रिवीजन्स। उस विषय में यह मालूम हुआ कि पिछले एक दो वर्ष में खास तौर से विशेष प्रयत्न हुए जिसके कारण पेंडेंसी अपील्स की और केसेज की कम हुई। लेकिन अब भी जो तसवीर है वह बड़ी भयानक है। मैं समझ नहीं सका माननीय मंत्री जी ने बताया कि फरवरी, ६५ तक ३२,०७५ अपीलें पेंडिंग हैं पिछले अनुपात से उनको कम बतलाया। पता नहीं मुझे भ्रम हुआ अथवा माननीय मंत्री जी को भ्रम हुआ लेकिन ऐसा मालुम होता है कि जरूर कुछ भ्रम था। जहां तक इन अपीलों का ताल्लुक है ३१ मार्च, ६३ तक ११,२३२ पेंडेंसी थीं। ३१ मार्च, ६४ को उनकी पेंडेंसी १०,४७७ थी। जितनी घटोत्तरी बतलाई गयी थी प्रतिशत में उससे बहुत कम घटोत्तरी हुई। लेकिन अपीलों और रिवीजन्स को मिला कर संख्या ८४,४४८ थी ३१ मार्च, ६३

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक और वह संख्या ८५,३१० थी मार्च, ६४ तक। जहां तक एसेसमेन्ट के केसेज का ताल्लुक है उनकी पेंडेंसी ३१ मार्च, ६४ तक ८४,८४४ है और इस ८४,८४४ में ५०–६० में ८,६२७ केसेज थे, ६०–६१ में ९,१५७ केसेज थे, ६१–६२ में १७,६९९ तथा ६२–६३ में ३९,७८९ केसेज थे। यह जो मैंने पेन्डेन्सी आफ अपील्स, रेवीजन्स और केसेज बताये इनकी कुल संख्या ४५,२१२ है। तो यह अब भी बहुत भयानक स्थिति है। अगर यह कम हो सके, जिसका प्रयत्न अवश्य हो रहा है, तो एरियर्स स्वतः कम हो जायेंगे।

आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जो रिमान्ड केसेज हो जाते हैं उनके लिये आपके ऐक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने समय तक वह तय हों। इसलिये उनकी संख्या बहुत ही बड़ी है क्योंकि वे बिलकुल कोल्ड स्टोरेज में डाल दिये जाते हैं और जब सब केसेज से फुर्सत हो जाती है तब वे लिये जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बैड डेट की रकम बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि जो आपका संचालन है वह रिमान्ड केसेज को प्राथमिकता नहीं देता। एक आदमी पर आज पया है लेकिन दस साल बाद जब उसका फैसला होता है तो उस समय उसके पास रुपया नहीं होता इसलिये वह बैड डेट में परिणत हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जो बैड डेट के मसले हर साल आते हैं उनको स्ट्राइक आफ कर देना चाहिये। उनको पेन्डेन्सी में दिखाने से खामखाह के लिये एक बड़ी भयानक तस्वीर हमारे सामने आती है और कोई लाभ नहीं होता। मेरे सुझाव का यह मतलब नहीं है कि जहां वसूली की गुंजाइश हो वह भी स्ट्राइक आफ कर दिये जायं।

मैं आशा करता था कि मंत्री जी कोई और मालिक बातों से सदन को अवगत करायेंगे। जो खामियां सेल्स टैक्स में समय-समय पर आती रहीं उनको दूर करने के लिये मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जुलाई, १९६२ में। उसका नाम था हाई पावर सेल्स टैक्स कमेटी। और उसने अपनी रिपोर्ट दी १० फरवरी, १९६५ को। दरअसल में बकाया पर मंत्री जी ने इतना जोर दिया कि उनके पास समय बकाया नहीं रहा। कदाचित इसी वजह से वे इस विषय पर नहीं आ पाये। सदन यह उपेक्षा करता था कि इस सदन की एक कमेटी बैठी जिसकी २७ मीटिंग्स हुईं और १९६५ में रिपोर्ट दी। उसने ५७ रेकमेन्डेशन्स दीं। उनके बारे में अब क्या करना चाहिये। वह रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है इसलिये उसका मेम्बर रहते हुए भी अब मैं उसका जिक्र कर सकता हूं। वह सारी रेकमेन्डेशन्स कैबिनेट ने स्वीकार कर लीं। उसमें से आधे से ज्यादा ऐसी हैं जो ऐक्ट में बिना कोई परिवर्तन लाये कार्यान्वित की जा सकती है। और आधे के करीब ऐसी हैं जिनके लिये ऐक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज २८ मार्च है। वह ऐक्ट कहां हैं? क्यों आपको फुर्सत नहीं है उस ऐक्ट को परिवर्तित करने की? इस पर भी कुछ प्रकाश पड़ता।

दूसरी बात यह कि जो ऐसी रेकमेन्डेन्स हैं जिनमें ऐक्ट के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है उसमें आपको कौन कठिनाई है? उनमें से कितनी पूरी हो गईं? अगर मैं अपनी जानकारी से कहूं तो मैं समझता हूं कि उनमें से अधिकांश के ऊपर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में एक धारा है ७ (बी)। आठ साल पहले एक अमेंडिंग बिल आया था उस धारा को निकालने के लिये इसलिये कि जो छोटी-छोटी पूंजी के आदमी हैं उसको हिसाब किताब के झंझट में न पड़ना पड़े, उनका समरी असेसमेन्ट हो सके। आज ७, ८ वर्ष बीत गए हैं और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से भी सरकार को सचेत किया गया था कि यह बड़ा अशोभनीय है कि इस पर कोई नियम नहीं बने और इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। समिति की १९६२ की रिपोर्ट ६ मार्च, १९६४ को पेश हुई थी। इसके बाद जयराम वर्मा हाई पावर सेल्स कमेटी बैठी। उसकी भी रिपोट आ चुकी है। लेकिन अभी रूल्स नहीं आए जिनके लिए किसी ऐक्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परिवर्तन करना है जैसी कि कमेटी ने सिफारिश की है कि जो आपने मैक्जिमम लिमिट रखी थी उसको २५ हजार तक ले जाने की इसके लिए आप इन्तजार करते। लेकिन नियम क्यों नहीं बने। जो कमियां हैं उनकी वजह से ही एरियर्स होते हैं और दिक्कत होती है। मन्त्री जी ने ठीक

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट]

कहा कि यह टैक्स ऐसा है कि जो व्यापारी उपभोक्ता से वसूल करता है। लेकिन कठिनाई इसलिए होती है कि इसमें अनिश्चितता रहती है और इसमें आप दिशा नहीं दे पाते।

(लाल बत्ती होने पर)

अब मुझे एक आध बात की तरफ ही ध्यान दिलाना है क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सिर्फ अपने समय से २ मिनट और लूंगा। अब देखना यह है कि जो परचेज टैक्स लगा, उसके सम्बन्ध में सारे प्रदेश के लोगों के रिप्रेजेन्टेशन्स आए और जैसा कि कमेटी की रिपोर्ट में है और सदन में भी कहा गया है कि अगर यह रहता है तो जनता को सहूलियतें भी होनी चाहिए। लेकिन बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है उसे पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। ५० परसेन्ट रिलीफ दी। एक मौलिक मांग थी, एक वर्ग कहता था कि टैक्स नहीं होना चाहिए और आप कहते थे कि रहेगा तो बीच का सौदा हुआ और ५० परसेन्ट की रिलीफ दी गई। लेकिन एप्लीकेशन्स को ४-४ साल हो गए पड़ी हुई हैं लेकिन उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ, बरेली जिले की बात मैं जानता हूं।

जहां यह आवश्यक हो कि हम कड़ाई से वसूली करें उसके लिए मैं हमेशा से सहमत रहा हूं और मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य अपना सहयोग देंगे लेकिन यह जरूरी है कि रिफंड में भी जल्दी होनी चाहिए। जिस तरह से पैसा वसूल करने में जल्दी की जाती है उसी तरह से रिफंड में जल्दी होनी चाहिए। सदस्यों ने कहा कि लोगों को पानी की शिकायत होती है। हम लोग भी कमेटी में गए थे तो मालूम हुआ कि जनता की सुविधा कोई इन्तजाम नहीं होता है। जहां टैक्स वसूली का प्राविधान वहां जनता को सहूलियत देने का भी प्राविधान होना चाहिए। इस कमेटी ने जोर दिया है कि गवर्नमेंट की जो टैक्स पालिसी हो वह ऐसी हो कि इंडस्ट्रीज को नुकसान न पहुंचे और विशेषकर काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में जोर दिया गया है। लेकिन उसकी सियाही सूखी भी नहीं थी कि आपने परचेज टैक्स लगा दिया राब पर ५ परसेन्ट और जितने रिप्रेजेन्टेशन आए सब विचाराधीन हैं। सालों गुजर गए लेकिन विचार समाप्त नहीं होता। दरी के बारे में माननीय सदस्य की दलील ठीक है कि जो टैक्स लगा है उससे लाभ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि काटन वेस्ट पर बढ़ा दें। ३ परसेन्ट बढ़ा है इसलिए १ परसेन्ट बढ़ाने की गुंजायश है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह वह विषय है, जिस पर आप ध्यान दीजिए और आपका ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपने स्वयं वसूलयाबी के सम्बन्ध में कहा इंडस्ट्री कायम रहें, तो आप मुर्गी का पेट न चीरें उसका अंडा लीजिए। यदि आपने अपनी पालिसी के फलस्वरूप मुर्गी का पेट चीर दिया तो आप प्रदेश की इंडस्ट्री को नष्ट-भ्रष्ट करने और उसकी हत्या के दोषी होंगे। आप अपने नीतियों के द्वारा उनका अधिक से अधिक विकास करें वे आपकी कृपा पात्र हैं। इस कारण आपका इस सम्बन्ध में जो निश्चय है वह शीघ्र ही कार्यान्वित हो जाना चाहिए। आज सरकार का रवैया यह है कि जो टैक्स समय पर न दे डिफाल्टर हो वह फायदा उठाता है और जो देने में देरी न करे, समय पर आपकी मांग पर अपना टैक्स अदा कर दे वह नुकसान में रहता है। यह आपकी कैसी उल्टी नीति है। जिस पर रुपया बाकी है, बाकी पड़ा रहा आ रहा है, उसे तो छूट मिल जाती है लकिन जो तुरन्त ही आपको रुपया दे दे उससे पूरा का पूरा रुपया जमा हो जाता है और उसे कोई छूट नहीं मिलती है और न फिर आगे ही मिलती है। जिन्होंने पूरा रुपया पेमेन्ट कर दिया, उनको ५० परसेन्ट की छूट नहीं दी गयी और जिन्होंने नहीं दिया लापरवाही की उनको अब आपने ५० परसेन्ट की छूट दे दी। जो आदमी ईमानदार हो अपने कर्तव्य का पालन करके आपकी मदद करे, उसको आप रिलीफ नहीं देंगे और जो न दे आपका समय नष्ट करे आपको नुकसान पहुंचाए उसे आप छूट दे देते हैं। आपका कार्यान्वयन बहुत दोषपूर्ण है और यदि आप उसमें सुधार नहीं करते हैं, तो यह चीज बहुत गलत है।

मेरी आखिरी बात यह है कि आपके सेल्स टैक्स विभाग में जो कर्मचारी हैं, उसमें टेम्पोरेरी कर्मचारियों की संख्या सरकार के सभी विभागों और सेक्रेटेरियट के सभी विभागों से ज्यादा है।

आधे से अधिक कर्मचारी सेल्स टैक्स विभाग में अस्थायी हैं और यह जब कि ८–८ साल से आपकी सर्विस में हैं। इन अस्थायी कर्मचारियों में सबसे ज्यादा परसेन्टेज चपरासियों या अन्य दूसरे छोटे वेतन वालों का है। एस्टीमेट कमेटी के सदस्य के नाते जब मेरी अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे सर्विस रूल्स नहीं बने थे इसलिये लोग टेम्परेरी पड़े हुए हैं लेकिन अब सर्विस रूल्स बन गए हैं और इस पर शीघ्र कार्यवाही हो जाएगी। किन्तु आश्वासन दिए आज २–३ साल हो गए, उस दशा में अब भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा यह जानकर कि गरीबों से उन्हें हमदर्दी है, वह अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जितनी घटा सकें घटायें जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़े और वह निश्चिन्त होकर ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकें और जनता को सच्ची सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, बिक्री-कर हमारे प्रदेश की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। श्रीमन् हमारे पूरे बजट की जो संख्या है—२ अरब ९१ करोड़ ७४ लाख उस बजट में हमारे केवल इस कर की आदमनी का २५ करोड़ रुपया इस वर्ष आंका गया है और सन् ६६–६७ में श्रीमन् २५ करोड़ ३८ लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है। श्रीमन् मैं समझता हूं कि जब इस कर से अनुमान २४ करोड़ २३ लाख था वह २५ करोड़ से ऊपर पहुंच गया तो अगले वर्ष २७–२८ करोड़ इसके द्वारा हम वसूल कर लेंगे।

श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि सरकार इस टैक्स का शरीर उसी तरह से बढ़ाती चली जा रही है जिस तरह से सुरसा ने हनुमान जी को निगलने के लिए बनाया था। क्योंकि यह सरकार यह नहीं देखती है कि इससे जनता की क्या हालत हो सकती है वह तो बराबर टैक्स बढ़ाती चली जा रही है और इसके द्वारा सरकार की जो आमदनी आती है उससे वह इतनी फूली हुई है कि वह एक प्रकार से महान् लालच में पड़ गई है और जनता रूपी मुर्गी से सब अंडे एक साथ ही मार कर वसूल कर लेना चाहती है। यह नहीं देखते कि इस गरीब जनता का क्या हाल होता जा रहा है। सरकार का टैक्स लगाने का मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम कड़ाई के साथ चमड़ा खींच लें लेकिन जिससे हम टैक्स वसूल करते हैं उसको कोई सहूलियत नहीं पहुंचावें। श्रीमन् बिक्री कर समिति का गठन हुआ और बैठक हुई हम लोगों ने भी यहां बारबार सुझाव दिए कि जिस वर्ग के जरिए इस टैक्स को वसूल किया जाता है उसको कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए आपने उसको देने का क्या उपाय किया? मैंने बिक्री-कर समिति की रिपोर्ट को पढ़ा। कहीं पर यह नहीं दिखाई दिया कि व्यापारियों को यह सुविधायें और यह आराम मिलेगा। आज हालत यह है कि एक व्यापारी जो बड़ा हो वह दो चार मुनीम रख ले लेकिन जो छोटा है वह भी कम से कम डेढ़ सौ रुपए वाला एक मुनीम न रखे तब तक वह सेल्स टैक्स का हिसाब नहीं रख पाता। इसी लिए व्यापारी को दुःख होता है और वह करापवंचन की ओर जाता है और बहीखाता झूठा पेश करता है क्योंकि उसे यह भरोसा नहीं होता कि सही हिसाब किताब रखने पर सुविधा मिलेगी। जरा सी चूक हो जाय सर्वे के समय एक दो रुपए का फर्क आ जाय तो उस समय उसकी किताब रिजेक्ट कर दी जाती है और स्वविवेक से निर्णय लिया जाता है और मनमानी टैक्स उससे वसूल किया जाता है। मैं व्यापारी वर्ग का वकील नहीं हूं मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसा तरीका अपनायें जिससे व्यापारी को भी सहूलियत हो और वह उस तरफ न जाय जिस तरफ जाने से रोकने की आप भरसक चेष्टा करते हैं परन्तु आज वह उधर चला जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज में ही व्यापारी को बेईमानी समझकर उससे बर्ताव करने का आपका विभाग का जो तरीका है वह न अपनाया जाय तो सारे प्रदेश में एक शान्ति और शुद्धता का वातावरण बन सकता है।

आपने बताया कि सन् ५१–५२ में बिक्री-कर ४८१ लाख था और आज सन् ६६–६७ में २५ करोड़ ३८ लाख के अनुमान में परिवर्तित हो जायगा। लेकिन श्रीमन् उधर भू-राजस्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

देखें कि ७.५८ करोड़ जो उस वर्ष की थी इस वर्ष २७ करोड़ ७ लाख होगा। बीच में उसमें छूट दी गयी है आमदनी भी कम हो गयी है लेकिन इधर आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है। गन्ना कर से सन् ५१–५२ में ३२४ लाख आपने वसूल किया और आज जब गन्ना कर बढ़ा तब ६ करोड़ का अनुमान दिखाई पड़ता है। इससे जाहिर है कि आपने मिल मालिकों और पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं लेकिन यह जो नुसखा मिलाया है कि भोली-भाली जनता पर टैक्स वसूल करो वह बढ़ती चली जा रही है। गन्ना कर पूंजीपति देता है तो उसके साथ जो बर्ताव करते हैं लेकिन उधर यह बिक्री कर समस्त जनता पर टैक्स है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं।

इधर हैंडलूम की बात देखिए। केवल दरी उद्योग का प्रश्न नहीं है तमाम हैंडलूम इंडस्ट्री की बात है। आपने एक बार टैक्स लगाया समाप्त कर दिया कोई आपकी बुद्धिमानी होगी, आपने कोई कठिनाई समझी होगी और उसको कम किया होगा। अब ऐसी कौन सी नई हालत पैदा हो गई जबकि २ फीसदी बहुसूत्री कर लगाया गया। ऐसी स्थिति में यह उद्योग चौपट हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् १९६४ के ३ महीने में वह दरी का उद्योग आधा भी नहीं रह गया है। इस तरीके से यह रोजगार चौपट होता जा रहा है। सरकार कहती है कि हम हडलूम को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और इधर रिबेट, लोन, ग्रान्ट में रकम लोगों को देकर प्रोत्साहित करते हैं लेकिन उधर टैक्स लगाकर आप इस इंडस्ट्री को समाप्त करने जा रहे हैं। श्रीमन्, दिल्ली और मद्रास में इस पर टैक्स नहीं है। मद्रास में जब टैक्स नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है तो वहां पर इंडस्ट्री पनप रही है। लखनऊ में भी दूकानें खुली हुई हैं लेकिन वहां पर मद्रास की दूकान से कपड़ा लेना लोग ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि उनको वहां पर सस्ता मिलता है। यहां पर आप हैंडलूम को समाप्त कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने शहद के ऊपर भी टैक्स लगाया है जो कि औषधि के अन्तर्गत आता है। शहद वही इस्तेमाल करता है जिसको औषधि के साथ उसको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि शहद के ऊपर जो यह टैक्स लगाया है यह बहुत अनुचित है। शहद के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके ऊपर सरकार विचार करे कि इसको कौन इस्तेमाल करते हैं। उसको लोग स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे स्वास्थ और फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए निश्चय ही शहद के ऊपर से बिक्री-कर हटाया जाय। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप न्याय जनता के साथ नहीं कर पायेंगे।

इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो १९४९ में केस हाई कोर्ट में दोबारा रिमाईन्ड के लिए कर दिए थे, उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। यह बराबर पेन्डिंग होते चले जाते हैं। यह बहुत पुराने मुकदमें हैं। इनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। इन मुकदमों को जल्दी से जल्दी तय करना चाहिए। मैं आपका ध्यान विभाग में फैले भ्रष्टाचार की ओर भी दिलाना चाहता हूं। जिन अधिकारियों को माननीय हाई कोर्ट ने बहुत बुरा कहा है और जिनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए हैं उनको आप किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैं इसका उदाहरण आपके सन्मुख रखना चाहता हूं। एक बिक्री-कर अधिकारी थे बी० आर० मेहरोत्रा। उन्होंने बरेली में क्वालिटी सेन्टर का निरीक्षण किया। वहां पर अचानक पहुंच गए और उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके फलस्वरूप बरेली में हड़ताल रही। उसका मुकदमा चला। जब उसका फैसला हुआ तो उन्होंने अपील कर दी। अपील में उसका नम्बर न्यायाधीश रिवीजन २३३७ सन् १९५९ था जिसका फैसला २९ अगस्त, १९६२ में हुआ। बी० आर० मेहरोत्रा के लिए उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वह मैं सुनाना चाहता हूं। वे शब्द ये हैं कि—

"His action has brought bad name not only to the department but to the entire Government. It was capricious and malacious and should not go unnoticed."

लेकिन आपने क्या किया ? आपने फौरन तरक्की दे दी। हाई कोर्ट ने इन रिमार्क्स को कन्फर्म किया। आपने तरक्की देकर उनको जज अपील्स बना दिया। अभी तक वह काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह एक उदाहरण आपकी आंखों,को खोलने के लिये काफी होना चाहिये। आपने बराबर यह कहा है कि बकाया बहुत कम है। मैं कहता हूं कि बकाया कम हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो बकाया की रकम है वह सन् ४८-४९ से पड़ी हुई है और उनकी आप वसूली नहीं कर रहे हैं। आप पक्षपात करते हैं और इसका भी मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। कन्नौज की एक फर्म है बेलराम मूलचन्द। पिछली बार बतलाया गया था कि उस पर ३८,००० से ज्यादा बकाया की रकम है। उसने सन् ४८-४९ से सेल्स टैक्स दिया ही नहीं, आप असेस करते रहे और फिर यह हुआ कि आपने कहा कि हम मोहलत नहीं देंगे, आप की निलामी होगी। आपने यहां सवाल करने के बाद यह आश्वासन दिया था लेकिन श्रीमान् ,३१ मार्च से पहले एक दिन की मोहलत उसको दे दी गयी। कहा गया कि १० हजार रुपया अगर तुम जमा कर दो तो हम तुमको बाकी पैसे की किश्त बांध देंगे। उसने वह दस हजार रुपया भी जमा नहीं किया। फिर भी आपने उसकी किस्तें कर दीं। आप इस एक ही मामले की जांच कर लें जिसने सन् १९४८-४९ से टैक्स ही नहीं दिया है उसके लिये आपने क्या किया ? मैं इस को पक्षपात ही समझता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर इस प्रकार की रकमों को वसूल करिये और इनके लिये आप निलामी करिये, किसी तरह से रिकवरी करिये। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। अन्यथा आप इस विभाग का कार्य भली प्रकार नहीं चला सकें।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। आपके यह बिक्री-कर अधिकारी आज न्याय नहीं करते। आज हाल यह है कि कमिश्नर साहब पूरे प्रदेश में कोटा बांट देते हैं कि इतना-इतना रुपया इस-इस जिले से आयेगा अन्यथा वे सेल्स टैक्स अफसर अयोग्य करार दिये जाते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि वे अफसर लोग सेक्शन २१ में अथवा स्व-विवेक से निर्णय दे कर मनमानी करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आप की आमदनी बढ जाती है क्योंकि आप ने तो सुरसा की तरह पैर बढाना शुरू कर दिया है। जितनी कैपेसिटी है जनता की उसका आप ध्यान नहीं रखते, लेकिन इसका नतीजा यह भी हुआ है कि जो इंडस्ट्री है वह मरती जा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप इस २५ करोड़ की आमदनी को इसी तक सीमित रखेंगे और इसे और आगे बढ़ा कर जनता का सत्यानाश नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बिक्री-कर के बारे में प्रारम्भ से ले कर आज तक की बढ़ती हुई आय का इतिहास बतलाया और उन्होंने उसके साथ ही अपनी दिक्कतों को भी बतलाया जो कि उनकी वसूलयाबी के बारे में हैं। मैं यह मानता हूं। कि उनकी बहुत सी बातें सही हैं और यह बिक्री-कर हमारे प्रदेश की आय का एक बडा साधन है, आय का एक मुख्य स्रोत है। किन्तु माननीय मंत्री महोदय से मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने पुराने केसेज के बारे में बतलाया कि वे बहुत तेजी के साथ निर्णय हो रहे हैं यह मैं समझता हूं कि बनारस के बारे में सही नहीं है। वहां सन् ६३-६४ के केसेज में अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो सका है। मुझे अभी मालुम है कि किस प्रकार के अनियंत्रित ढंग से एक-एक असेसी को २० और २५ बार दौड़ाया जाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और उनको इस प्रकार के निश्चित आदेश दें कि किसी भी व्यापारी को इतनी बार से अधिक उसको केस निपटाने के लिये बुलाया नहीं जाना चाहिये। उसका भी हर्जा होता है, उसके समय का भी दाम है। मैं समझता हूं कि इस बात इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिये और इस पर कुछ नियंत्रण किया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

मुझे एक बात यह कहना है कि हमारे प्रदेश के बिक्री कर ऐक्ट के जो रेट निर्धारित हुये हैं उनकी यदि अन्य प्रदेश के रेटों से तुलना की जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के रेट सबसे ज्यादा हैं । बहुत सी चीजों में तो रेट इस प्रकार बढ़ाये गये हैं कि जिस के कुछ माने समझ में नहीं आते । १० परसेंट सेल्स टैक्स लगाना तो एक प्रकार से एक्सेस प्राफिट हो गया । बहुत जगह तो इतना प्राफिट उसी चीज को बनाने वाले को भी नहीं मिलता । इसके अलावा कानून का इंटरप्रिटेशन बहुत बार साफ-साफ नहीं किया जा पाता । हमारे यहां चीनी के बरतन के बारे में आपका जो जी० ओ० निकला है, उसे लेकर बनारस की कमेटी में बात चल पड़ी और यह निर्णय नहीं हो पाया कि वह वास्तव में किसी चीज पर लगाया गया है । और उसका नतीजा यह हुआ कि चीनी की जितनी चीजें थीं, कमोड्स आदि, उन सब पर दस परसेंट टैक्स लगा दिया गया है। यह मैं समझता हूं कि जरूरत से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ एक समय था कि जब धनिया, मिर्च पर एक दो पैसा टैक्स था और उसके लिये भी प्रदेश भर में देखने के लिये एक कमेटी बनी थी कि यह बहुत ज्यादा है । इसलिये सारे देश के टैक्स में एकरूपता लाने के लिये एक कमेटी जो बनी थी उसने देश भर का दौरा किया था, लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर विचार करें कि प्रदेश में ऐसी कौन कौन चीजें है कि जिन पर टैक्स बहुत ज्यादा और दूसरे प्रदेश में उन्हीं चीजों पर टैक्स बहुत कम है। आपके यह कमोड आदि पर दिल्ली में दो या तीन पैसे का सेल्स टैक्स है । यदि यहां कोई व्यक्ति यह सामान दिल्ली से मंगाना चाहे तो उसे १३ पैसे टैक्स देना पड़ेगा । इसमें व्यापारी लोग बहुत स्मगलिंग करके आपका टैक्स इवेड करते है । आज चीजों के दाम भी बहुत बढ़ गये है इसलिये सेल्स टैक्स दो, तीन परसेंट ही रहना चाहिये । वह बहुत काफी है । आपने यह भी बतलाया कि व्यापारियों को सेल्स टैक्स अपने पास से नहीं देना पड़ता । लेकिन बहुत से समान ऐसे है कि जिनको छोटे दूकानदार बेच लेते हैं और वे आपके यहां रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बड़ा दूकानदार जो आपके यहां रजिस्टर्ड है वह बिना सेल्स टैक्स के उनको बेच नहीं पाता कंपिटीशन में, और इस प्रकार उसको घाटा उठाना पड़ता है और आप का टैक्स भी मारा जाता है । इन कठिनाइयों को आप समझें । यदि आप इन दिक्कतों को दूर करें और ठीक से टैक्स को असेस करायें तो आपकी यह आमदनी और ज्यादा बढ़ सकती है । इसके साथ भी आप का यह टैक्स अन्य प्रदेशों के मुकाबले मे समान दर पर होना चाहिये तभी आपकी करापवंचना रुक सकती है । अन्यथा नहीं । इन शब्दों के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान प्रस्तुत है, उस के संबंध कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर,बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो सदा उपभोक्ता को ही देना पड़ता है । साधारण जनता पर इसका भार रहता है और वह आदमी जो इस टैक्स की अहमियत को जानते है, समझते हैं, हर चीज को खरीदते समय इस टैक्स को देते हैं और इससे सरकार को बड़ी आमदनी होती है । सरकार भी इसे ज्यादा से ज्यादा इम्पोज करने की कोशिश करती है ।

लेकिन इसकी सुव्यवस्था की तरफ जितना कार्य करना चाहिए वह सरकार नहीं करती। कुछ चीजों पर जिन पर टैक्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है उससे बचने के लिये दूकानदारों और व्यापारियों ने एक वाया—मीडिया निकाला है । वह इस प्रदेश में उत्पादन करते हैं उसके साथ उन स्थानों पर जहां टैक्स की दरें बहुत कम हैं अपनी एजेंसिया खोल कर अपना माल वहां ट्रांसफर कर देते हैं । तो न तो प्रदेश में जितना लाभ होना चाहिए वह होता है और ऊंची दरों से जो सरकार का मंतव्य है न वह ही सिद्ध होता है । सरकार ने कुछ चीजों पर इसलिये दर बढ़ायीं कि उनका प्रयोग ज्यादा है , आमदनी ज्यादा होगी । उदाहरण के लिए फीरोजाबाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की चूड़ी का झगड़ा चल रहा है। वहां स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक के संबंध में मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को नोटिसेज दिये जा चुके हैं और बहुत विचार करने के बाद जनता में खलबली पैदा हो गयी है। ३ जगहों पर टैक्स एक ही कमोडिटी पर पड़ रहा है। एक जब साबा जोड़ा बनता है तो टैक्स पड़ता है, फिर जब कारीगर सजावट का सामान खरीदता है तब और तीसरे जब वह सजावट करता है तो देना पड़ता है। इस तरफ से २१ परसेंट और २ परसेंट सेंट्रल का, यानी २३ परसेंट हो जाती है। वहां व्यापारी क्या करते हैं कि नागपुर में अपनी एजेंसी खोल रखी है, दूसरी दिल्ली में है, बिहार, पटना में है और अपनी एजंसी के नाम से माल वहां ट्रांस्फर करते हैं कि फलां जगह हमारी एजेंसी में जा रहा है। वहां पर उनको सस्ता पड़ जाता है। तो बड़े दूकानदार जो साधन संपन्न हैं वह तो बच गये और वह बेचारा जो सजावट का काम कर रहा है, जो अपनी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाना चाहता है उसपर आज आफत आ रही है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। इस प्रकार के कार्य के आयोजन से प्रदेश की क्या भलाई हो सकती है? मैं मानता हूं कि टैक्स के इम्पोज करने से सरकार को कोई बहुत बड़ी आमदनी होती है तब भी संतोष होता। लेकिन जहां तक उस छोटे से शहर के चूड़ी के व्यापार का संबंध है उसका ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट १० लाख के करीब का था। उसको भी प्रदेश के व्यवसाय में इतना विघ्न पैदा करके वसुल करें, इसमें कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता।

दूसरी बात यह कि फिर सरकार का कुछ ऐसा विचार हो रहा है कि संभव है कि इस टैक्स को ७ प्रतिशत न करके ३ प्रतिशत कर दिया जाय। उससे लगभग ४ लाख के करीब वह रह जाता है। अगर इसको न लगाया जाय और बेचारे काम करने वालों को मुक्त कर दिया जाय तो उत्पादन बढ़ेगा और गरीबों की जीविका भी चल सकेगी। यह भी मुझे कहना है कि उन गृह उद्योग वालों के लिए जो कुटीर उद्योग के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे वहीं पर पीतल का काम है खिलौने का काम, कहीं लेदर का काम होता है और चर्म वस्तुओं को बनाने के लिये ज्यादातर आदमी घर के बैसिस पर २-२ मिलकर काम करते हैं कारीगर और सेल्स टैक्स के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे लम्पसम सैल्स टैक्स का चार्ज करते हैं। जो आदमी उसको संभाल नहीं सकता है, जिसको पैचीदगियां नहीं मालूम हैं, जो

(इस समय २ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

घबराता है वह उस काम को ठप कर देता है और जीविकाहीन होकर दूसरी जगह चला जाता है। यही कारण है कि आगरे में लाक-आउट की वजह से ३० हजार के मजदूर आज बेकार हो रहे हैं। अगर वह अपने घर पर इस काम को चलाते और उनमें डिपेंडेंसी आती तो ऐसी नौबत न आती कि बड़े-बड़े फैक्टरी ओनर्स- लाक-आउट करें तो उन पर मुसीबत आ जाय।

तीसरी बात यह है, उस ओर केशरी प्रसाद जी ने कहा था और ट्रेजरी बेंच के एक अच्छे समझदार सदस्य हैं जगदीशशरण अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हमारी वसूली ५२ से ५६ परसेंट तक कम है। २५ करोड़ की इनकम और १३-१४ करोड़ का बकाया है यह रफ्तार है और हम इस प्रदेश की व्यवस्था को कहते हैं कि वह संतोषजनक है। यह संतोष की बात नहीं है। यह लोग तो मीडिएटर हैं, अमानत में खयानत करते हैं, इसलिये उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिये। यह जनता का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जनता की भलाई के कामों में ही इसको खर्च होना चाहिये।

तीसरी बात मैं इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में कहना चाहता हूं। सरकार को उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। जो सेल्स-टैक्स अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं सरकार की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं, सरकार उनको ट्रान्सफर कर देती है। एक अधिकारी ने एक बहुत बड़े डालडा के व्यापारी को पकड़ा, ३-४ लाख का उसके खिलाफ उसने असेस किया, लेकिन उस व्यापारी ने सरकार पर कुछ पहुंच की, उसका कुछ नहीं हुआ और अधिकारी को ट्रान्सफर कर दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जनता की इस गाढ़ी कमाई के पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। इस तरह की चीजों को आप रोकने के लिये सख्त कदम उठाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और अपने उपयोगी सुझाव दिये। मान्यवर, उधर बैठने वाले लोगों ने भी मेरी बातों का करीब-करीब समर्थन ही किया है। यह बात सही है कि यदि यही नीति इस विभाग की रही तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जायेगी। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं इस समय दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार का जो टार्गेट फिक्स करने का तरीका है, वह गलत है। सरकार को इसे समाप्त कर देना चाहिये। जब सरकार एक टार्गेट फिक्स कर देती है तो उसका नतीजा यह होता है कि अधिकारी किसी पर बिना उस की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा बिना अन्य आवश्यक बातों पर विचार किये हुये टैक्स की रकम को फिक्स कर देते हैं। वे मजबूर होते हैं क्योंकि उनको यह टार्गेट फिक्स करना होता है। इससे जनता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिये सरकार को इसे खत्म करना चाहिये।

पहली अप्रैल से सरकार जो पेशा-कर लगाने जा रही है इससे कोई बचेगा नहीं सिवाय उनके जिनको कि सरकार ने कुछ छूट दे रखी है। इस संबंध में ३६ आदमियों को भी नियुक्त करने जा रही है। इनको सरकार सेक्रेटेरिएट से ले रही है, जिनको रिट्रेंच किया है, उनको शायद लेगी मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर मैं यह चाहताहूं कि सरकार इसमें कम से कम २५ फीसदी विभागीय लोगों को ले जिनको कि इस काम का तजुर्बा हो। इससे काम अच्छी तरह चल सकेगा।

वसूली के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये और कहा कि बकाया ८.३ प्रतिशत से घटाकर ७.३ प्रतिशत रह गया है। मंत्री जी के विभाग द्वारा ही जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि चूंकि बिक्री कर की काफी धनराशि वसूल होने को शेष है। अतः कुछ अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। और ये अधिकारी करीब-करीब १०३ होंगे। इसमें आप समझ लें कि लेखक, प्रालेखक ८६, टंकक १५ और ड्राइवर २०। इस प्रकार से आप देखें कि १०३ अधिकारी रखने जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि यह प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे जबकि इतना शेष रह गया और जिस पर इतना रुपया ये खर्च करने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी बात सही है।

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं जैसा मैंने पहिले जिक्र किया कि २९६ लाख के करीब जो केन्द्र से हमको बढ़ोत्तरी मिलने जा रही है, इसको मद्दे नजर रखते हुए और हमारे यहां बिक्री कर की जो संख्या है। उसको भी मद्दे नजर रखते हुये जो सरकार २५ फीसदी किसानों पर आपातिक कर लगाये हुए है उस को वापिस कर ले। जब आप को २९६ लाख मिलेगा तो आप का बजट सरप्लस हो जायेगा तो ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं है कि आप का चार आने वाला आपातिक कर किसान पर लगा रहे। जहां तक दरी के उद्योग का सम्बन्ध है, दरी एक काटन फैबरिक है और वह अन्डर आर्टिक्ल १४ (२) (सेल्स टैक्स ऐक्ट) डिफाईन्ड है। इस पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। इस पर सिंगिल प्वाइन्ट टैक्सेशन होना चाहिये। इस पर भी माननीय मंत्री जी विचार कर लें जिससे वह उद्योग नष्ट न हो जाय। क्योंकि मैं आप को बताऊं कि इस दरी को हम बाहर भेज रहे हैं। मक्का, मदीना और अरब वगैरह यह ज ती है। अब इसकी खपत कम होती जा रही है जिसके कारण फारेन एक्स्चेन्ज भी कम होती जा रही है। ऐसी हालत में माननीय मंत्री जी को इस उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं एक चीज न्यायिक विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। जमानत जो दाखिल करनी पड़ी है और कानूनी तरीके से करनी ही चाहिये उस सिलसिले में यह दिक्कत

होती है कि जमानतदार का वेरीफिकेशन करने के लिये तहसील में भेजा जाता है। इसलिये इस चीज को जज की डिस्क्रिशन पर छोड़ दें। वह जिस तरीके से चाहे उसे स्वीकार कर ले। जो डीलर्स हैं वे रेगुलरली आप के विभाग के डीलर्स हैं, उन पर टैक्सेज लगे हुए हैं। उनकी जमानत का वेरिफिकेशन करने के लिये तहसील में या कानूनगो के पास भेजना होता है, उसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब आप जानते हैं कि वह रेगुलर डीलर हैं तो उसकी जमानत आप को स्वीकार कर लेनी चाहिये। आखिर में मुझे यह कहना है कि जिन पर आप टैक्सेशन करते हैं, जहां तक उपभोक्ताओं का प्रश्न है उसको छोड़ दीजिये, जो इन्टरमीडियेट है, जो आप का दरवाजा खटखटाते हैं, उनके पानी पीने की व्यवस्था, उसके बैठने की व्यवस्था यह सब आप को करनी चाहिये। वे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं उनके लिये यह इन्तजाम तो कम से कम कर ही देना चाहिये। अन्त में मुझे माननीय मंत्री जी से केवल एक बात कहनी है कि इन्हें अपने विभाग के प्रति सतर्क रहना चाहिये। यह विभाग ऐसा जरूर है कि कम खर्च कर रहा है और कमाता ज्यादा है लकिन अगर व ईमानदारी स और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है और टैक्स लगाने की नौबत नहीं आयेगी। अगर इसका असेसमेन्ट ठीक से हो जाय, इसके फैसले जल्दी हों तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी नहीं होगी और टक्स की स्थिति सुधरती रहेगी और जनता को राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं जिनसे हम लोग लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ खास बातों की ओर जो उन्होंने इशारा किया है, उनमें से मुख्य बातों का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है जो म देना चाहूंगा।

जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था कुछ धारणायें सूचना के अभाव में बन जाया करती हैं। बहुत सी बातें जो उठाई गयी हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वे सूचना की कमी के कारण हैं। अगर सही सूचना होती तो व न उठायी जातीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पांडेयजी ने पहली बात यह कही कि विभाग की अदूरदर्शिता है क्योंकि उन्होंने बजट बनने से पहले यह नहीं जान लिया कि केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली निश्चित रकम क्या होगी। यह तो शायद ईश्वर ही जान सकता है। २४–११–१९६५ को प्लानिंग कमीशन से बात हुई थी और जो उन्होंने आमदनी बताई उसके आधार पर बजट बनाया गया। अब यह कहना कि उसमें जो प्लानिंग कमीशन ने पहले बताया था उसमें कितनी तब्दीली होगी, उसे हमारा वित्त विभाग कैसे जान सकता था? इसलिये इसके बारे में दोषारोपण करना उचित नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि एक तो स्टेट ड्यूटी के बारे में १८ फरवरी को खबर आयी जब कि बजट १४ फरवरी को ही पेश हो गया था और कई दिन पहले वह छपने के लिये जा चुका था। जब गवर्नमेन्ट आफ इंडिया बतावेंगी तब ही हम जान सकेंगे कि हमारा अन्दाजा कितना सही या गलत है। इसी तरह से और भी रकमें हैं, एक्साइज ड्यूटी की है। वह भी खबर उन्होंने १३ फरवरी को दी, टैक्स आन रेलवे पैसिन्जर्स है जिसकी खबर ११ फरवरी को दी। अगर इन तीन खबरों को हमारा वित्त विभाग पहले से निश्चित रूप से नहीं जान पाया तो उस का दोष कैसे हो सकता है? जो खबर हुई उसके आधार पर सप्लीमेंटरी बजट में अगर हमारी इन्कम के रिवाइज्ड आंकड़े न हों तो शिकायत की बात हो सकती है बजट की सारी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद उसका समावेश उसके पहले की तिथियों में करना सम्भव नहीं है। अगर पांडेय जी को पूरी जानकारी होती तो मुझे विश्वास है कि वह इस तरह की बात न कहते।

मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय पांडेय जी ने यह कैसे कहा कि सिंगिल प्वाइन्ट सेल्स टैक्स गरीबों के ऊपर नही पड़ता है और मल्टीपिल प्वाइंट सेल्स टैक्स गरीबों पर पड़ता है। चाहे सिंगिल या मल्टीपिल प्वाइंट सेल्स टैक्स हो, उसका बोझ कंज्यूमर पर तो पड़ता ही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपने सिंगिल प्वाइंट और मल्टीपिल प्वाइंट दोनों को प्रचलित कर रखा है। इस प्रकार से उसके ऊपर दोहरा पड़ता है।

श्री जयराम वर्मा—

किसी चीज पर सेल्स टैक्स या तो मल्टीपिल प्वाइंट है या सिंगिल प्वाइंट है, दोहरे का क्या सवाल है? अगर सिंगिल प्वाइंट टैक्स काफी ऊंचा हो और मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स काफी कम हो और जितने हाथों से गुजरता है उतने हाथों पर टैक्स देना होगा, तो वह भी सिंगिल प्वाइंट टैक्स की दर से कम हो सकता है, इस प्रकार कम बोझ पड़ेगा। सवाल तो टैक्स के रेट का है। पहली अक्तूबर, १९६४ से कुछ आर्टिकिल्स पर परचेज टैक्स लगाया गया और वह सिंगिल प्वाइंट हो गया। अब ऐसी बात नहीं कि सिंगिल प्वाइंट हो जाने से हमारी आमदनी कम हो गई। हमारी आमदनी तो बढ़ी है, उसमें इवेजन कुछ कम हुआ है।

माननीय जगदीश शरण जी शिकायत कर रहे थे कि इसमें राब भी शामिल कर ली गयी। व्यापारियों ने आ कर हमसे स्वयं कहा ,मुझसे कहा, कि जब आप ने गुड़ को शामिल किया तो राब को क्यों परचेज टैक्स से छोड़ दिया गुड़ और राब में क्यों भेद करते हैं। अब यह अलग सवाल है कि कितने परसेंट उस पर लगे। यह जरूर है कि पहले ३ पर सेंट उस पर लगाया और फिर ५ परसेंट कर दिया। उस का एक विशेष कारण था। शुगर मिल्स को जो गन्ना मिलना चाहिये था वहां से वह दूसरी तरफ जा रहाथा। एक कंट्रैक्ट होता है, जिम्मेदारी होती है जिसके आधार पर मिलें काम करना शुरू करती हैं। अगर गन्ने की पैदावार अच्छी न हो और गुन्जाइश न हो, तब तो सोचना पड़ता है। चूंकि गन्ना शुगर मिल्स से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा था, इसलिये यह ऐक्शन लेना जरूरी हो गया था। खांडसारी जो हमारे प्रदेश में बनती है, बहुत से व्यापारी राब को दूसरे प्रदेश में ले जाते थे, और हमारे सूबे की खांडसारी व्यापार को कम्पीट करना पड़ता था दूसरे प्रदेशों से। यह बात दूसरी है कि रेट ज्यादा हैं और उस पर विचार किया जाय।

माननीय पांडेय जी ने कुछ जिक्र किया डायरमीकिन ब्रुअरीज का, कि इनके ऊपर सन् १९६३–६४ और सन् १९६४–६५ में असेसमेंट क्यों नहीं हुआ। मैंने जब इस ग्रान्ट को विचार के लिए रखा था तभी यह निवेदन किया था कि हमारी यह कोशिश है कि असेसमेंट बिलकुल अप-टूडेट हो जाय और मैंने यह भी कहा था कि करीब-करीब अप-टु-डेट हो गया है बड़े शहरों को छोड़ कर। ऐसी बात नहीं है कि सेंट-परसेंट हो गया है। हम अन्दाजा लगाते हैं कि १ वर्ष में बाकी भी अप-टू-डेट हो जावेंगे। १९६२–६३ का हो गया है, १९६३–६४, व १९६४–६५ का असेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन एक बात शायद पांडेय जी को नहीं मालूम है कि ये व्यापारी अपना त्रै-मासिक रिटर्न दाखिल किया करते हैं और उसके अनुसार जितना टैक्स होना चाहिये उतना बहुत से लोग दे देते हैं। यह विभाग १॥, २ करोड़ वसूल करता है और रेवेन्यू विभाग को मिला कर ३॥, ४ करोड़ वार्षिक वसूल होता है और बाकी २१ करोड़ के लगभग व्यापारियों ने उस साल स्वयं दिया। यह त्रै-मासिक रिटर्न्स के साथ उन्होंने दिया। माननीय पांडेय जी को शिकायत तब होनी चाहिये थी यदि इस कम्पनी ने अपने रिटर्न के साथ रुपया न दिया होता। एक्जैक्ट फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि १९५२–६३ में हमने ६ लाख रुपया इनके ऊपर असेस किया था। हमने जो डिटरमिन किया और उन्होंने जो दिया उसमें बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। हमने ६ लाख कुछ हजार असेस किया और उन्होंने दे दिया। १९६३–६४ में असेसमेंट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने अपने त्रै-मासिक रिटर्न के साथ ९ लाख रुपया अदा किया। १९६४–६५ में उन्होंने अपने त्रै-मासिक रिटर्न के साथ १३ लाखां रुपया अदा किया है। इससे अन्दाजा लगता है कि उनका काम ठीक होगा। इसलिये वह बहुत शिकायत की गुन्जाइश नहीं है। असेसमेंट हो जाना चाहिये था लेकिन उसके न होने से कोई बड़ी हानि नहीं हुई है।

ग्लास बेंगिल्स के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। किसी माननीय सदस्य की राय है कि इन पर टैक्स लगना चाहिये और किसी की राय है कि न लगना चाहिये इसलिये गवर्नमेन्ट बीच का रास्ता अपनाती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

किसी की राय है कि लेना चाहिये ?

श्री जयराम वर्मा—

मेरे बताने की जरूरत नहीं है। यही तो सब लोग बताते हैं। फीरोजाबाद में जो चूड़ी बनती है उन पर अभी तक ७ प्रतिशत टैक्स लगता था, जो बनाते थे या जो बाहर ले जाते थे, उन पर बिक्री-कर लगता था। माननीय जगदीश शरण जी ने जिक्र किया कि इस बारे में सरकार ने एक कमेटी नियुक्ति की थी जिससे टैक्स में जो खराबियां हैं उनको दूर करने का उपाय बतायें, व्यापारियों को जो दिक्कत होती है उनको दूर करने के लिये, काननी खराबियों को दूर करने के लिये। इन चीजों को सुधारने के लिये सिफारिश करने के लिये कमेटी की स्थापना की गई थी। कमेटी ने इस मामले पर भी विचार किया और अपनी यह राय दी कि टैक्स सादा चूड़ी और अलंकृत चूड़ी दोनों पर लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सादा चूड़ी पर ५ प्रतिशत कर दिया जाय बजाय ७ प्रतिशत के और अलंकृत चूड़ी पर उतना ही कर दिया जाय। लेकिन हमने दोनों जगह ७–७ प्रतिशत कर दिया, आज की जरूरतों को देखते हुए। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि सादा चूड़ी जब अलंकृत की जाती है तो उसकी कीमत तिगुनी हो जाती है। पहले अलंकृत चूड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहां आकर चूड़ी खरीदते थे और वह चूड़ी खरीद कर दूसरे सूबों को ले जाते थे तो केवल एक कर लगा और वह सादी चूड़ी खरीदकर दूसरे सूबों में ले गये और जो कीमतें बढ़ती हैं वह भी केवल व्यापारियों को मिलती हैं, हम कुछ नहीं पाते थे। इस तरह से कमेटी ने देखा कि यह आय जो सरकार को होनी चाहिये थी वह सरकार को न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हो पा रही है और वह होना चाहिये। अलंकृत चूड़ी जिसकी कीमत तिगुनी हो जाती है और जिसको व्यापारी बिना किसी कर के बेचते थे उन पर सरकार ने ७ प्रतिशत का कर लगा दिया और उस पर वहां कुछ आन्दोलन, हड़ताल हुये लेकिन अब मैं सदन को सूचित कर दूं कि अब वहां समझौता हो गया है और वहां काम भी चालू हो गया है। हुआ केवल इतना है कि जो सिफारिश कमेटी ने की थी कि दोनों जगह मिलाकर कर दस प्रतिशत का बिक्री-कर हो तो सात प्रतिशत हम ने सादी पर और ३ प्रतिशत अलंकृत चूड़ी पर कर दिया है, इस तरह से दोनों जगह मिलाकर दस प्रतिशत हो गया है। वह आपस में मिलकर फैसला हो गया है और अब सब काम पर चले गये हैं और काम चालू हो गया है। इसलिये अब इस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दरी के सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और कर लगा हुआ है। जो अभी तक एग्जेम्पशन था वह हटाया गया है और कर लग गया है। फरवरी तक तो व्यापारियों ने दिया नहीं था लेकिन सीतापुर के लोगों ने फरवरी के बाद कर दे दिया, ४० हजार एक क्वार्टर का दिया है। इस तरह से सरकार को २ लाख की आय होगी। इस संबंध में हमारी नीति में अभी कोई तब्दीली नहीं हुई है जो कर लगाया गया था वह अब भी वैसे ही लगा है।

माननीय पांडेय जी ने एक लखनऊ के भगवान इंडस्ट्रीज के केस के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि वहां बड़ा इवेजन है। वह जरूर हुआ था और उस के लिये करीब २ लाख की पेनाल्टी कम्पनी पर लगाई गई है और मुझे मालूम हुआ है कि उसकी वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

वह बी० आई० सी० के सेल्स टैक्स इवेजन के बारे में क्या हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—

हर मामले के बारे में तो इस वक्त बताना मुश्किल है, आप सवालों के जरिये से पूछेंगे तो बता दिया जायगा, सब मामलों की जानकारी तो इस वक्त मेरे पास यहां नहीं है।

श्री कशरीप्रसाद पांडेय—

यह जो भगवान इंडस्ट्रीज पर २ लाख की आपने पेनाल्टी लगाई है वह वसूल हुई या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन वह वसूल न हो ऐसी बात नहीं है। माननीय जगदीश शरण जी ने कुछ आडिट रिपोर्ट के आंकड़ों के बारे में कहा कि हम ने जो आंकड़े दिये वह सही नहीं हैं। आडिट रिपोर्ट के आंकड़े गलत हैं, जो अपील के आंकड़े थे वह रिवीजन में छप गये हैं, हमारे विभाग ने इसकी सूचना दे दी है लोक लेखा समितियों को, हमारे विभाग ने रिपोर्ट को देखा तो उनको सूचना दे दी है कि इस तरह से अपील के फिगर रिवीजन में चले गये और रिवीजन के अपील में लग गये। वे टोटल केसेज हैं, कितने अपील के हैं और कितने रिवीजन के पेंडिंग हैं।

माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने यह भी कहा कि एक कमेटी की रिपोर्ट है, वह हाउस में भी पेश हो गयी है पर अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुयी है। उनका यह भी खयाल है कि बहुत सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनको ऐक्ट का संशोधन किये बिना हम लागू कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सिफारिशें हैं जिनको हमने लागू कर दिया है और १५ सर्क्यूलर हमने जारी कर दिये हैं।

जहां तक विधेयक का ताल्लुक है, उस पर भी कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही वह भी पेश हो जायगा।

जहां तक कम्पोजीशन की स्कीम है, उसके बारे में जो उन्होंने कहा वह ठीक है। उसमें जो देरी हुयी है, वह नहीं होनी चाहिये थी। उस पर भी कार्यवाही हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विभाग में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वर्षों से लिपिक वर्ग के कर्मचारी अस्थायी पड़े हुए हैं लेकिन इसका जवाब उन्होंने स्वयं ही दे दिया है। इसके बारे में भी जितनी देर लगी है, वह नहीं लगनी चाहिये लेकिन अब नियम करीब करीब बन गये हैं और थोड़ी सी फार्मेलिटी बाकी है वह भी जल्दी हो जायगी। चूंकि नियम नहीं थे, तो मुश्किल हो गया था कि उन्हें कैसे स्थायी किया जाय क्योंकि विभिन्न कर्जों से भी उसमें प्रोमोट हुये लोग हैं, उनकी सिनियारिटी वगैरह लगाने का प्रश्न था। वह कार्यवाही पूरी हो जायगी और शीघ्र ही कर्मचारियों की वह शिकायत भी दूर हो जायगी।

जहां तक हाइड और स्किन पर टैक्स का सवाल है यह लास्ट प्वाइन्ट पर लगता है, जब वह कन्जूमर के हाथ बिकता है तभी वहां पर टैक्स लगता है। व्यापारी व्यापारी के बीच में में वह नहीं लगता है। यदि एक व्यापारी उसी शक्ल में दूसरे व्यापारी को बेचता है तो कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। जो व्यापारी लेता है अगर वह सर्टीफिकेट दे देता कि हम उसी शकल में बेचने के लिये ले रहे हैं तो उसे बेचने वाले को मानना पड़ता है। बाद में जब आडिट हुआ कि वह रिसेल नहीं हुआ बल्कि कन्ज्यूम हो गया। उसके सिलसिले में कार्यवाही की जा रही है। कुछ टैक्स तो उस व्यापारी से ले लिया गया जिसने सेल किया था अगर कुछ परचेज करने वाले व्यापारी से। उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। कुछ वसूल हो गया है अगर बाकी के लिये कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा यह विभाग इस धारण से काम करता है, असेसमेंट का, कि व्यापारी ईमानदार नहीं है। पाडेय जी ने कहा कि कहीं कहीं अंडर असेसमेंट कर दिया जाता है यानी जितना लगना चाहिये नहीं लगाया जाता है। अब अगर कोई एकाउन्ट को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाय तब कई माननीय सदस्य कहते हैं कि आप उसके एकाउन्ट पर एतबार क्यों नहीं कर लेते और अगर कहीं उसके एकाउन्ट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने में कोई कमी हुई तो कह देते हैं कि अधिकारियों ने जान बूझ कर

कर यह कर दिया है। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ? मुनासिब उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिये, बगैर समझे हुये कोई कैसे कह सकता है कि जो एकाउन्ट है वह सही है या सही नहीं है या जो सेल हुई उसकी सही एंट्री हुई है या नहीं हुई है। इन सारी बातों को अधिकारियों को देखना पड़ता है। इसका सर्वे किया जाता है और अगर कहीं कोई कागज या पर्चा मिल गया तो देखा जाता है कि उसकी एंट्री रजिस्टर में है या नहीं है या विभाग को कोई एकाउन्ट ही ऐसा मिल जाता है जिसका कोई कागजी प्रमाण नहीं मिलता तो वहां शक की गुंजायश हो जाती है और फिर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

ऐसा है कि बड़े व्यापारियों का तो अंडर असेसमेंट हो जाता है और छोटे व्यापारियों का ओवर असेसमेंट हो जाता है तो इससे उनको बड़ी परेशानी हो जाती है।

श्री जयराम वर्मा—

ऐसी बात नहीं है कि किसी बुराई के खयाल से कोई अधिकारी ऐसा करता हो। अधिकारियों में बुरे हो सकते हैं लेकिन एकाउन्ट की जांच पड़ताल करने में भी भूल हो सकती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपने पी० ए० सी० की रिपोर्ट देखी है ? उसमें ५९ अंडर असेसमेंट केसेज की बात लिखी है।

श्री जयराम वर्मा—

ये खास खास बातें हैं जो माननीय सदस्यों ने रखी। कुछ छोटी-मोटी बातें और भी उठाई गयी हैं। माननीय पंडित जी ने कहा कि कोई वसूली बाकी नहीं रही है तो आप और कर्मचारियों को क्यों रखे जा रहे हैं। यह बात सही है। लेकिन बात यह है कि यदि आप बजट के भाग २ को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि बढ़े हुये कार्य को पूरा करने तथा विचाराधीन कर निर्धारण के मामले के जल्दी निबटारे के लिये ये नियुक्तियां की जा रही हैं। हम तो कहते हैं कि कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये और अपटुडेट करना आदि जितनी रकम बाकी हैं उससे और कम होनी चाहिये।

इसमें एक असिस्टेंट आयुक्त न्यायिक रखने की बात है। ताकि ३२ हजार अपील के केसेज जो पड़े हैं वे और कम हो जायं। इसमें कोई अधिक खर्चा नहीं बढ़ा है। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिसों को लागू करने के बाद कुल करीब १ लाख का खर्च बढ़ा है और इस तरह से कोई ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ा है और बातें जो माननीय सदस्यों ने बतलायी हैं उनको विभाग नोट कर रहा है और उसका वह पूरा लाभ उठावेगा। जिन खास बातों की तरफ इशारा किया गया है उनको देखा जायगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। यदि कोई अधिकारी गड़बड़ी करने के आरोप में पकड़ा जाय और वह साबित हो जाय तो उस पर कार्यवाही होगी। इन शब्दों के साथ में पांडेय जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कटमोशन को वापस ले लें और अगर वे ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हैं तो सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे कृपा करके इस कटौती के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण में चाहता हूं। ४० हजार रुपया आपको सीतापुर से दरी के सेल्स टैक्स से मिल रहा है। और यानें सेल्स टैक्स पर आपका २ लाख रुपया कम हो जाता है, तो क्या इसको आप लाभ समझते हैं ? एक तरफ तो आप ४० हजार रुपया लें और दूसरी तरफ एक लाख या दो लाख रिबेट का छोड़ें, यह कौन सी नीति आपकी ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने वस्तु स्थिति सदन के सामने रख दी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तभी तो आपके लिये रीकन्सीलियेशन के लिये रखा ?

श्री जयराम वर्मा—

तो वह तो है ही ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत ७४,३५,२०० रु० की मांग वर्ष, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर —

श्रीमन्, मैंने प्रातःकाल ही कहा था और उस समय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऐप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने आ रहा है वह बिलकुल जिस प्रकार से जो नये आंकड़े इस सदन ने स्वीकार किये, उसके हिसाब से है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐप्रोप्रियेशन बिल में तो सब होता है ।

श्री जयराम वर्मा—

यह जब आ जाय तब बात कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

श्रीमान् जी, माननीय सदस्यों ने ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये जिन जिन सेवाओं के लिये जितनी-जितनी धनराशियां स्वीकृत की हैं उन्हीं सेवाओं के लिए उतनी उतनी धनराशियां संहत निधि से निकाल कर विनियोग के लिये अधिकार मांगने की बात इस विधेयक के द्वारा सदन के सामने रखी गई हैं। माननीय सदस्यों ने जो धनराशियां स्वीकृत की हैं और जो आदेश दिया है . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल के द्वितीय पैरा के सामने लिखा है "उत्तर प्रदेश संहत निधि से"। तो संहत निधि की पूंजी क्या है मंत्री जी बतायें।

श्री जयराम वर्मा—

मैं बता दूंगा। आप तो बोलेंगे ही।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बोलने का सवाल थोड़े ही है, आप बतायें।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने विचार करने का प्रस्ताव किया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

संहत निधि क्या है ? जब उतनी होगी, तभी तो हम देंगे।

श्री जयराम वर्मा—

बजट लिट्रेचर में सब लिखा हुआ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय टम्बेश्वर जी ने जो प्वाइंट उठाया वह यह है कि भारत सरकार से ३ करोड़ रुपया मिला है तो बजट की एक्चुअल पोजीशन क्या है और वह पोजीशन इसमें छपी हुई है या नहीं। अध्यक्ष महोदय की सुबह इस पर व्यवस्था हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में बतला दें कि केन्द्रीय सरकार से जो रुपया मिलने वाला था, वह कम है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कम था नहीं, कम बतलाया था।

श्री जयराम वर्मा—

जो सूचना हमारे पास रहती है, उसके आधार पर हम बजट बनाते हैं। हमको कितनी रकम मिलने वाली है भारत सरकार से उसके आधार पर हम आमदनी दिखा देते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब तो फीगर्स आ गये हैं, लिहाजा बतलाइये कि अब संहत निधि कितनी है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त--

अब तक के फीगर्स को लेकर बतलाइये कि सही फीगर्स क्या हैं और बजट सरप्लस है या ३१ लाख का घाटा है ?

श्री जयराम वर्मा--

मैंने यह निवेदन किया कि २४ नवम्बर, ६५ को प्लानिंग कमीशन से बातचीत कर के.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

व्यवस्था का प्रश्न है। ३१ मार्च को जो बजट है, जिसे हम पास करने जा रहे हैं और जो विनियोग विधेयक इस समय हमारे सामने आ रहा है उसमें संहत निधि क्या है यह सूचना हमको प्राप्त होनी चाहिये। वह हमको १५ नवम्बर का कंसालिडेटेड फंड नहीं बतला रहे हैं। सुबह अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर व्यवस्था भी दी थी, आप कार्यवाही मंगा कर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके पास है तो जरूर देनी चाहिये। अगर उनके पास है ही नहीं, तो दूसरी बात है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

'अगर' का सवाल नहीं है। इसको उन्होंने स्वीकार किया है।

श्री जयराम वर्मा--

जो हमको आमदनी की सूचना हो, उस सूचना को इस बजट में शामिल होना चाहिये जो बजट कि १४ फरवरी को पेश हो और उसके पहले की सूचना के आधार पर ही बजट बनाया जा सकता है उसके बाद में क्या होगा उसके आधार पर तो हम रिवाइज करेंगे और उसके लिये बाद में सप्लीमेंटरी बजट आता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट आ गया, वित्त मंत्री का भाषण हो गया, आपको अभी पता नहीं, हम लोगों को मालूम हो गया, कितने दुर्भाग्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

दुनिया में जहां बजट का मामला होता है, वहां यही होता है कि बजट जिस दिन पेश होता है उस दिन तक की फीगर्स रखते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मंत्री जी तो पूरे बजट की बात करते हैं। यहां प्रश्न तो केवल एक आइटम का है। उसकी रिवाइज्ड फीगर्स भारत सरकार की घोषणा के अनुरूप हमें बता दें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या रिवाइज्ड बजट पास होने से पहले ही वह फीगर्स पेश हो जाती हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त--

इसमें गलती किसकी है ? फीगर्स इनके पास आ चुकी हैं। ये उसे छिपाये बैठे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या आप अध्यक्ष की रूलिंग को रिवाइज कर रहे हैं ? सुबह उन्होंने रूलिंग दी थी कि हाउस की गेज पर रख देना चाहिए, जब आपके पास फीगर आ चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दो बातें मैं कह रहा हूं। एक तो यह बजट में वह चीज शामिल हो सकती है जो उस वक्त इन्फार्मेशन थी और अगर नहीं शामिल की तो गलत बात है। दूसरी बात यह कि अगर बाद में कुछ बात मालूम हुई है तो वह इन्फार्मेशन दे दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह नहीं समझा जाता है कि मक्षिका स्थाने मक्षिका बजट में रख दी जायगी। मंत्री जी ने इन संख्याओं को स्वीकार कर लिया है और आज जब यह अनुदान हम स्वीकार कर देंगे तब वह रुपया खर्च कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में हमें संहत निधि का पता होना चाहिये। जब तक यह नहीं देंगे तब तक इस विनियोग विधेयक पर कोई वाद-विवाद नहीं चलने दिया जायगा। यह इस सदन के साथ निश्चित रूप से बहुत ज्यादती है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

एक बात मैं कह दूं। उपाध्यक्ष जी, यह हम और आप सभी जानते हैं कि जब कभी कोई बजट बनाया जाता है वह हमारी जो अनुमानित आय होगी उस पर बनाया जाता है। अगले साल जब बजट पेश होगा तो वह फीगर दी जायगी जो बजट में दी जाती है, यानी हमारी ऐक्चुअल आमदनी क्या हुई। तो अगर कोई तब्दीली होती है तो वह साल भर में होती ही रहती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी ऐसा बच्चा हमको क्यों समझते हैं। आप अनुमानित आय को कम मान कर करोड़ों रुपया प्रदेश की जनता पर टैक्स लगा देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार ने जो घोषणा कर रखी है, उसको दृष्टि में रखते हुये आप बताइये।

श्री राममूर्ति—

केन्द्रीय सरकार भी अपने अनुमान के ऊपर बजट बनाती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

केन्द्रीय सरकार ने तो कर दिया। फीगर्स इनको दी है। इसमें तो अनुमान का सवाल नहीं है। हम तो सही फीगर्स उस सूचना के आधार पर चाहते हैं। सरकार बताये। और अगर नहीं बताती है तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि यह जबर्दस्ती है और यह सरकार छिपाती है। वह आंकड़ा दिल्ली में पब्लिश हो चुका है और अध्यक्ष महोदय की भी रूलिंग इस विषय पर हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी, देखिये, मैं यह चाहता हूं कि अगर आपके पास इन्फार्मेशन है तो वह सब दे दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

इनके पास कुछ है नहीं। इसको आज स्थगित कर दीजिये, कल पेश हो।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, जो पहले की सूचना थी, उसके आंकड़े और जो अब सूचना मिली है उसको भी सामने रखना चाहता हूं। इनकम टैक्स के अन्दर हमने नवम्बर में प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से बात चीत करके जो अनुमान लगाया था.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, उन्होंने बजट रखा है फरवरी में और सूचना आ गई जनवरी में तो क्या वह इन आंकड़ों को ठीक नहीं कर सकते थे ? नवम्बर के आंकड़ों के आधार पर बजट क्यों बनाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उनको बताने दीजिये ।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, यह निराधार बात है । वह सूचना जनवरी में नहीं थी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी निराधार बात कह रहे हैं । मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं । आप अपनी व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था यह है कि जो इनफारमेशन उनको नहीं होगी, वह बजट में कैसे आ सकती है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, आप दोनों की बात सुन रहे हैं । आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये आफीशियल इनफारमेशन जो गवर्नमेंट को होगी, वही तो मानी जायेगी । आपके कहने से अन्दाज नहीं माना जायेगा ।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, पहले इनकम टैक्स से आय की सूचना जो हमने लगाई वह यह थी १९,०४,५७,००० रु० के और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भी वही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं तो केन्द्रीय बजट सामने रखता हूं । मंत्री जी कुछ भी कहें । आप मनगढ़न्त आंकड़े रखते हैं । केन्द्रीय मंत्री झूठे हैं या आप झूठे हैं, इसको मैं क्या बताऊं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात बता दीजिये ।

श्री जयराम वर्मा—

हमने जो अंदाजा लगाया था एस्टेट ड्यूटी का वह १ करोड़ २५ लाख था और अब जो १८ फरवरी की सूचना है, उसमें १ करोड़ १७ लाख ७० हजार है । बेसिक यूनियन एक्साइज ड्यूटी में हमने अंदाजा लगाया था २३ करोड़ ७० लाख ४४ हजार और अब १३ फरवरी को सूचना है कि २४ करोड़ ८१ लाख ५९ हजार मिलेगा । इसमें एक करोड़ ११ लाख १५ हजार की ज्यादा आय की सूचना है । इसी तरह से एडीशनल एक्साइज में ६ करोड़ ८० लाख २६ हजार का हमारा अनुमान था वही अब भी है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नहीं साहब, ६ करोड़ ८४ लाख है ।

श्री राममूर्ति—

इसमें क्या फर्क है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

४ लाख की कोई सूचना नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, जब तक हमारे पास सूचना न आये तब तक हम कैसे मान सकते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हमारे सामने तो सेंट्रल गवर्नमेंन्ट का बजट है । हम तो इसको मानेंगे ।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फीगर्स हैं वह भी अनुमान पर ही हैं । कन्सोलिडेटेड फंड का आज पता नहीं लग सकता है । ३१ मार्च खत्म होगी और ए०जी० रिपोर्ट करेंगे तब पता लगेगा । आज कैसे बता देंगे ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह दोनों अनुमानित आंकड़े हैं । पिछले साल का इस साल बताइये । आप यह भी पढ़कर आइये । लेकिन जो आपका अनुमान हो वह सही होना चाहिये, गलत नहीं होना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं एक अर्ज कर दूं । जब भारत सरकार का भी बजट अनुमानित और श्री आपका भी बजट अनुमानित है दोनों के आंकड़े में बड़ा भेद है, तो मैं किसे सही मानूं । (श्री चरणसिंह के बोलने का प्रयास करने पर) देखिये आप क्यों बोलते हैं ? आपको तो सब चीज मालुम ही है, फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं । आपको भारत सरकार के अन्दर इतना ज्यादा पैसा मिला है । अब यह पैसा मिल जाने के बाद आपका बजट सरप्लस का हो गया है, इस चीज को आप स्वीकार कीजिये ।

श्री राममूर्ति—

मैं इसके बारे में अर्ज करता हूं, इसको लोग सुनें । भारत सरकार की रिपोर्ट आयी १३ तारीख को और रिपोर्ट छपने चली गयी ११ तारीख को । ऐसी हालत में इसका एक्चुअल अगले साल दिखाया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट छपने चली गयी तो कलम उनको थोड़े चली गयी थी, उससे आप उसे ठीक कर सकते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी बजट में जबकि वह पेश हो जाता है, उसमें कहीं कोई फीगर तरमीम होती है ? जब रिवाइज्ड बजट आता है, उसमें वह दिखा दिया जाता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो क्या आज तक आपको कभी ऐसी मिसाल के मंत्री मिले थे कि केन्द्रीय सरकार ज्यादा दे और यह कम दिखावें ?

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अर्ज किया उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि हर दुनिया के देश में ऐसा ही हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, जैसा कि इस सरकार ने किया है केन्द्रीय सरकार के धन को छिपा कर। अगर ११ को उनका गजट छपने को गया था और १३ को सूचना आयी तो एप्रोप्रिएशन बिल के साथ यह एक इरेटा या अडेंडा लगाकर उसे प्रकट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा न कर हमें अन्धकार में रखा है। मार्च महीने में जब ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब भी ऐसा हुआ। मैं एक नहीं अनेक आपको मिसाल दे सकता हूं। अमेरिका में मैकेनमारा डिफेंस सेक्रेटरी हुआ . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वहां तो गवर्नमेंट बदली थी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जी नहीं। मैकेनमारा डिफेंस सेक्रेटरी हुआ, उसने डिफेंस बजट में जब भी उसके कैल्कुलेशन में कोई गलती हुई, उन्होंने अपना इरेटा या अडेंडा लगाया है।

(व्यवधान)

मैकेनमारा ने एक एस्टीमेट दिया, फिर दूसरा दिया। गवर्नमेंट भी बदले तो ईमानदारी नहीं बदलती है, वह एक रहती है।

अध्यक्ष महोदय की जो रूलिंग है, उसके अनुसार आप फीगर मानें और सही इन्फा-मेंशन दें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जहां तक एप्रोप्रिएशन बिल का संबंध है, आखिर हम किसको एप्रोप्रिएट करते हैं? जो भी आय-व्यय अनुमानतः पारित होता है, उसके संबंध में एप्रोप्रिएशन बिल आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें आय नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री रामायणराय—

बजट तैयार होने के पहले जो सरकार के पास सूचना थी, उसके अनुसार उसने बजट पेश किया। आग की बदली हुई सूचना के आग चलकर आगे बजट पेश किया जाता है, जिसे रिवाइज्ड बजट कहते हैं। रोज की सूचना के अनुसार हम एप्रोप्रिएशन बिल में परिवर्तन करें, यह उचित बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर अपना स्पष्ट विचार देने की कृपा करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्य मन्त्री महोदय उपस्थित हैं और मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वासन दें कि जो बढ़ोत्तरी केंद्रीय आय के बढ़ जाने से हुई है और जो हमारा घाटे का बजट है उसके अनुसार सरप्लस हो जाता है। तो प्रदेश पर अब किसी प्रकार के नये कर नहीं लगेंगे। यह आश्वासन दे दें। इस पर विचार करने की क्या जरूरत है?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

देखिये इस साल यह प्रश्न क्यों उठाया गया। होता यह है कि जब रिवाइज्ड बजट आता है उसमें जो कुछ हेरफेर होता है उसके आंकड़े उसमें आ जाते हैं। पिछले साल सन् ६४–६५ में एक्साइज में जो रकम बजट में आयी थी, उससे बाद में १ करोड़ कम आयी तो वह रिवाइज्ड

बजट में आ गयी। इसी तरह से यह भी आ जायगी। जब बजट बढ़ गया उस वक्त जो इन्फारमेशन थी वह दी गयी। बाद को १३ को कुछ और १८ को कुछ सूचनायें आयीं। अब ज्यों ज्यों इन्फारमेशन्स आती रहेंगी त्यों त्यों बताते रहेंगे। सही आंकड़े तो रिवाइज्ड बजट में आ ही जायेंगे। हर साल यही होता चला आया है।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

रिवाइज्ड बजट का आपने जिक्र किया, उसमें तो वह आंकड़े आते हैं जिनका सरकार को ज्ञान नहीं होता और अनुमानित आंकड़े भी ठीक किये जाते हैं अडेंडा द्वारा और इरेटा द्वारा और मालूम होने पर उसको अब ठीक से नहीं बताते तो यह तो इनकी जबरदस्ती है। जो भाषण वित्त मंत्री जी ने दिया है उसमें राज्य सरकार की इन्हीं भयंकर भूलों और अनियमितताओं की ओर निर्देश किया गया है और उसका परिणाम भी बताया गया है।

"मैं इस बात पर जितना भी जोर दूं वह कम ही होगा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति की कमजोरी और कुछ राज्यों की, रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप से, अपनी जमा से अधिक रकमें निकालने की प्रवृत्ति, ऐसी बातें हैं जिनका निवारण होना ही चाहिये। इन अधिक रकमों के शोधन का जो दायित्व हमने अब तक अपने ऊपर लिया है, उसके कारण केंद्र की बजट संबंधी स्थिति पर दबाव पड़ता है। और इस दबाव का प्रभाव राज्यों की आयोजनाओं के संबंध में उनकी सहायता करने की, केंद्र की क्षमता पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। कुछ राज्यों द्वारा अनधिकृत रूप से अपनी जमा से अधिक रकमें निकाली जाने तथा घाटे के बजट बनाये जाने का असर अनिवार्य रूप से अन्य राज्यों पर भी पड़ता है। जो अधिक यथार्थता के आधार पर अपने कार्यों की व्यवस्था करने में अधिक समर्थ या उसके लिये अधिक इच्छुक होते हैं। अतः केंद्र और सभी राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बांट लें कि भविष्य में अनुशासन के सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जायगा और इस प्रकार घाटे के बजट बनाने, जैसे बजट-संबंधी असंतोषजनक कार्य करने और रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अनधिकृत रूप से अधिक रकमें निकालने से बचा जायगा। योजना आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देने का हमारा विचार है। ताकि कुछ राज्यों के वित्तीय प्रबन्ध की वर्तमान असंतोषजनक स्थिति का अन्त हो जाय।"

इस पर भी सरकार को खयाल नहीं है। आप देखें कि हम तो यह समझ नहीं पाते कि क्या होगा अगर इसी तरह से होता रहेगा। अगर आज इसे रोक दें और कल ठीक कर के पेश कर दें। यह कर सकते हैं लेकिन खामखा के लिये जिद है कि एक बात कह दी तो अब उसे पूरा करना ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

सब से पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐप्रोप्रियेशन बिल में केवल खर्चे का ऐप्रोप्रियेशन किया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड से जितना रुपया इसमें दिया हुआ है उसका आंकड़ा यह है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें इन्कम साइड तो दिखाई नहीं जाती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप रूलिंग देने के पहले उनसे आग्रह करें कि वह इसको करेक्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष ने भी यही कहा था और यही रूलिंग दी थी। आप प्रोसीडिंग्ज मंगवा कर देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब कृपा करके बैठिये। मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐप्रोप्रिएशन बिल में खर्चे का सवाल होता है और उसमें कोई फर्क पहले से है नहीं। आप आमदनी में फर्क बतला रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो बजट पेश हुआ है उसमें कुछ रकमें हैं जो इसमें नहीं आयी हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बजट जिस वक्त रखा गया था उस वक्त उनको इसकी इत्तिला नहीं थी। जो इत्तिला उनको थी वह उन्होंने इसमें रखी और अब जो ज्यादा इत्तिला है वह भी आयेगी, वह कहीं भग तो नहीं जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय ने उनसे बतलाने के लिये कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बतला दिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अभी तो एक आइटम ही बताया है और भी बतायें।

श्री जयराम वर्मा—

इन्कम टैक्स में पहले सूचना थी १९,०४,५७,००० की जो बाद को भी वही सूचना रही। इस्टेट ड्यूटी में पहले सूचना थी १,२५,००,००० रुपये की तो अब उसमें १,१७,७०,००० रुपये की सूचना है। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी में पहले सूचना थी २३,७०,४४,००० रुपये की लेकिन बाद को वह हो गई १३ फरवरी की सूचना के अनुसार २४,८१,५९,००० रुपये की। इसमें १,११,१५,००० रुपये की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से एडीशनल एक्साइज में ६,८०,२६,००० रुपये की लेकिन बाद को भी वही सूचना है। उसमें तब्दीली नहीं है। टैक्सेशन आन रेलवे पैसेन्जर फेयर्स की मद में पहले जो सूचना आई थी, वह २,३४,००,००० रुपये की थी लेकिन बाद की सूचना के अनुसार २,९६,००,००० रुपये की आय हो गई। यह सूचना ११ फरवरी की है। ये इत्तिलायें बाद को आई हैं तो इनको किस प्रकार से इस बजट में शामिल किया जाता। जब बजट रिवाइज्ड होगा तो उसमें यह आमदनी बढ़ जायगी। पहले यदि सूचना मिली होती तो हम इसमें शामिल कर देते और यह बजट एक करोड़ ३५ लाख रुपये का सरप्लस बजट हो जाता। यह बात सही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जो बाद को सूचना मिली है और इस बजट से संबंधित है। जब बजट अभी पास नहीं हुआ है तो उस तरह से इस बजट को ठीक कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उनके पास पहले सूचना आ जाती तो बजट में शामिल कर देते और यह बजट सरप्लस हो जाता। यह वह मान रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आज भी यह बजट सरप्लस है। इस बात को वह मान लें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मान रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन सेवाओं के लिये इतनी धनराशि अच्छी तरह से विचार करके माननीय सदन ने स्वीकार की हैं उन्हीं सेवाओं के लिये उतनी धनराशि संहत निधि से

निकाल कर व्यय करने का अधिकार इस विधेयक के द्वारा मांगा जा रहा है। इस माननीय सदन की आज्ञा को पालन करने के लिये, किस विशिष्ट सेवा में कितना खर्च करें, यह आवश्यक हो जाता है कि संहत निधि से इतना रुपया निकाल कर खर्च करने की इजाजत यह सदन दे। हम तो सदन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब माननीय सदस्यों को और सदन को इस बात का आश्वासन होना चाहिये कि उन्होंने जो आज्ञा दी है उसका ठीक पालन हो और हमने जो उनके सामने एक तस्वीर रखी है, जो हमारा लक्ष्य है अपने सूबे को आगे बढ़ाने का हम उस लक्ष्य को पूरा करें। हमने जो माननीय सदस्यों के सामने यह रखा है कि हमारी इतनी आमदनी होगी यदि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे तो हमारी इतनी आमदनी होगी। कोई फिजूलखर्ची न होने पाये और हमारी सेवाओं में किसी प्रकार से इनएफिशियेंसी न आने पाये यह उनका कहना उचित है और यह उनको जानने का अधिकार है हम यह आश्वासन उनको देना चाहते हैं कि जो तस्वीर हमने उनके सामने रखी है उनके सहयोग से उसको हम पूरा करना चाहते हैं। जितना उनका सहयोग होगा उतनी ही हमको आसानी होगी और अगर उनका सहयोग कम हुआ तो उनके आदेश के पालन करने में हमारे लिए कठिनाई होगी। जहां तक यह सवाल है कि पहले से जानकारी क्यों नहीं हो गयी उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। रिवाइज्ड बजट जो होगा वह उसमें शामिल हो ही जायगा। सूचना पहले से नहीं थी, इसलिये इसमें शामिल करना संभव नहीं था। जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ है। इसलिये माननीय सदन को कोई खास नाराजगी नहीं होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टि से कि उनकी आज्ञा का पालन हो सके और उनके आदेश के अनुसार हम काम कर सकें वह इस बिल की स्वीकृति दें ताकि उन सेवाओं के लिये जितनी रकम हमने उनसे मांग कर स्वीकृत कराई है उसको हम संहत निधि से निकाल सकें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक द्वारा हम सरकार को यह अधिकार देते हैं कि संहत निधि से जो हमने ग्रांट्स पास की हैं वोटेड या चार्ज्ड उसे वह किसी प्रकार खर्च करें। इस के पहले कि हम इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कुछ कहें, हम पुनः जो अभी विवाद हो चुका है उसे एक वाक्य में कहना चाहते हैं कि यह इस बात का संकेत करता है कि हमारी सरकार या यों कहें कि यह कांग्रेस सरकार किस प्रकार बजट बनाती है, कितना दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण बजट रहता है कि जब दरअसल सरप्लस बजट रहता है तब भी घाटे का बजट दिखाया जाता है और इसका परिणाम क्या होता है .....

श्री रामायणराय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहता नहीं था कि नेता विरोधी दल के भाषण के बीच में व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करूं, किन्तु बार-बार मंत्री जी के कथन के बावजूद एक भ्रम है माननीय सदस्य को जब तक वह भ्रम है .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

एक बात जब समाप्त हो गयी तो फिर उठाने से क्या लाभ है?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जब स्थिति स्पष्ट कर दी और सदन ने स्वीकार कर लिया तो व्यवस्था में स्पष्ट करने की क्या आवश्यकता है, श्रीमन्? जब तक प्रोपोजीशन आपके सामने न हो, आपको कोई बात नहीं सुननी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी व्यवस्था क्या है, उसे पहले बताइये।

श्री रामायणराय—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संविधान में २०४ जो नियम है उसके मुताबिक एप्रोप्रिएशन बिल सदन के समक्ष पेश किया गया है। मैंने जानबूझ कर २०४ नियम का उद्धरण दिया है। जरा उसे पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष

रूलिंग हो गयी, बहस हो गयी, कोई आपत्ति नहीं की गयी, तब इसकी क्या जरूरत है?

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं श्रीमन्, इस एप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में संक्षेप में अपने कुछ प्वाइंट्स रख रहा था। इस एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में हमें यह देखना है कि सरकार जो रुपया खर्च करती है वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं, जिसके लिये रुपया हम दे रहे हैं वह रुपया उस काम पर खर्च हो रहा है या नहीं, तथा समय पर वह रुपया खर्च होता है या नहीं। पिछले अनुभवों से सरकार को कुछ लाभ उठाना चाहिये। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो अपने सुझाव दिये हैं, इस्टीमेट्स कमेटी ने जो अपने सुझाव दिये हैं, आडीटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है, उसमें जो सुझाव होते हैं उन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिये, उन पर विचार करना चाहिये और उनको रुपया खर्च करते समय अमल में लाना चाहिये। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यह सरकार केन्द्रीय सरकार की बात को नहीं मानती है, तो इन कमेटियों की बात को क्या मानेगी। कमेटियों ने जो अपने सुझाव दिये हैं, जो मार्ग दर्शन एक तरह से किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें सरकार की कमजोरियों को बताया गया है सरकार को उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। रिएप्रोप्रियेशन का क्या तरीका हो, किस तरह से रुपया खर्च हो, रुपया समय से सरेंडर होता है या नहीं आदि तमाम बातों के बारे में सरकार को उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। मान्यवर, जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं तो यह पता चलता है कि अक्सर बहुत सी ग्रांट्स में सेविंग्स हो जाया करती हैं। सन् १९६५ की आडीटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ११ ग्रांट्स में १० करोड़ ६९ लाख की सेविंग्स हुई हैं। यह मैंने टोटल ब्रेक अप बताया है। इसके अलावा जो ग्रांट्स इनको दी गयीं उसका १० परसेंट ५ वर्षों तक यह सरकार इस्तेमाल नहीं कर पायी। इससे पता चलता है कि इस सरकार को यह अन्दाज नहीं रहता कि उसको किसी काम के लिये कितने रुपये की आवश्यकता है कितने की कहीं। यह सरकार इतनी इन-एफीशियेंट है, इनके ऐडमिनिस्ट्रेटर इतने इन-एफीशियेंट हैं कि इनको सही-सही अन्दाजा नहीं हो पाता इनको यह पता नहीं हो पाता कि जो लक्ष्य यह रख रहे हैं वह पूरा होगा या नहीं। ऐसी स्थिति में जब कि यहां की जनता अधिक कर भार को बरदाश्त नहीं कर सकती थी सरकार ने कर लगाया और उसे वसूल किया जनता के सामने गलत स्थिति को रख कर। इनके बजट बनाने का श्रीमन्, तरीका गलत है सरकार को इसे ठीक करना चाहिये।

मान्यवर सेविंग्स किन कारणों से होती हैं? सरकार की असफल नीतियों के कारण तथा उसका पूरा नियंत्रण न होने के कारण सेविंग्स होती हैं। एक्सेसेज जो होते हैं वह भी सरकार की असफल नीति के कारण ही होते हैं। आडिटर जनरल की रिपोर्ट में उसको भी बताया गया है। सन् १९६५ में १२ ग्रांट्स में ८.२९ करोड़ का ज्यादा खर्चा हुआ। सन् १९६४ में ४ ग्रांट्स में ५.४८ करोड़ का ज्यादा खर्चा हुआ। मैं पूछता हूं यह क्यों हुआ? या तो यह इसलिये हुआ कि सरकार को पहले से उसका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था या इस सरकार ने आंख मीच कर अंधाधुंध खर्च किया। बजट नवम्बर में जब यह सरकार बनाती है तो इतनी जल्दी में बनाती है कि वह किसी चीज पर ठीक तरह से विचार नहीं करती, जो नीचे से अनुमान आ जाते हैं उसी के आधार पर यह सरकार बजट बनाती है। यह कितने लज्जा की बात है। जनता के पैसे के साथ किस तरह से खिलवाड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाता है यह श्रीमन् देखने की चीज है। मैं कहता हूं कि जिस अधिकारी ने गलत अनुमान दिया, जिसके कारण यह ज्यादा खर्च होता है अगर उसके रीजन्स" अनएक्सपेक्टेड हैं तो उसको जरूर दंडित किया जाना चाहिये। फारेन एक्सचेंज की दिक्कत उसके लिये बतायी जाती है। मैं कहता हूं कि बचत चाहे फारेन एक्सचेंज के कारण हो या अन्य किसी कारण से हो, उसका अनुमान उनको पहले से होना चाहिये।

एक चीज और कही गई अनयूटिलाइज्ड ग्रांट्स के बारे में। लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। इससे ग्रांट्स में ६१ लाख रुपये के करीब बचत रह गई और काम पूरा नहीं हुआ। इस पर भी ध्यान देना चाहिये। रि-एप्रोप्रिएशन के बारे में भी देखा गया कि उसमें भी आज तक कोई नियम नहीं बने। उसमें एक सब हेड से दूसरे सब हेड में ले जाते हैं। कोई नियम नहीं है। पावर भी डेलीगेटेड नहीं हैं। इस पर भी ध्यान जाना चाहिये। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सा धन बचा रह जाता है और यह रुपया मार्च के पहिले निकाल लेते हैं कि लैप्स न कर जाय, विशेषकर पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन में। अक्सर देखा गया है कि विभागाध्यक्ष जो होते हैं वे अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि फाईनेन्स डिपार्टमेंट से सैंक्शन नहीं आई। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंकशन लेनी है और वह बाधक है और बहुत प्राडक्टिव पीछे रह जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि एक ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर करे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के जाने में जो देर लगती है और लाल फीताशाही की रूह वहां पहुंच जाती है, वह वहां न पहुंचे। एक दिन मुझे बहुत दुःख हुआ जब मंत्री महोदय ने खड़े होकर जवाब दिया कि रुपया पर्सनल लेजर अकाउन्ट में ट्रांसफर हो जाता है। मुझे याद है कि इस बारे में एक विभाग में हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा गया। रुपया पर्सनल लेजर अकाउन्ट में रख दिया गया था पर उस पर गबन का चार्ज लगाया गया। करोड़ों रुपया जो पर्सनल लेजर अकाउन्ट में है उसका सूद का जिम्मेदार कौन है उस सूद को कौन लेता है। दस-दस पच्चीस-पच्चीस लाख रुपया सूद हो जाता है। यह कितनी घृणित बात है। कितनी अनियमित बात है। ३१ मार्च आई उसको पर्सनल लेजर अकाउन्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसका एक सस्पेंस अकाउन्ट हो गया। उसमें ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है। गरीब जनता से टैक्स के रूप में चाहे वह आपातिक कर हो चाहे भूमि भवन-कर हो या मालगुजारी हो पैसा लिया जाता है उसका क्या यही सदुपयोग है। इनका एक कांटीन्जैन्सी फंड है। उसका यह अभिप्राय है कि जो अनफोरसीन हो उसके लिये हम कांटीन्जैन्सी फंड से रुपया निकालें और काम कर लें। मगर यह रेगुलेराइज कैसे करते हैं कि जिस विभाग में रुपया नहीं होता है तो कांटीन्जैन्सी फंड से निकालकर उसका उपयोग कर लेते हैं। वह रुपया आप किस नियम से निकाल लेते हैं, उसमें भी अनियमितता है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसे बहुत से विभाग हैं जैसे मैं कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे ऐसा पढ़ने को मिला कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट पर अकाउन्टेंट जनरल का कोई नियंत्रण नहीं है। जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने जा रहा है जिसमें सरकार करोड़ों रुपया लगाती है उस पर सरकार का क्या नियंत्रण है। उसमें गबन के हजारों केसेज हैं। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ए०जी० का कोई नियंत्रण नहीं है। वह एक तरह सेआटोनामस बाडी है। आज जिस कोआपरेटिव विभाग पर आप लोग पूरा भरोसा किये हुए हैं, उसकी अर्थ व्यवस्था का यह हाल है। उसका आर्थिक ढांचा आप कैसा ही समझें लेकिन वह लड़खड़ा रहा है। उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है, कागजों पर भले ही आप कुछ दिखा लें।

मैं बजट का बहुत माहिर तो हूं नहीं, मुझ से अधिक माहिर लोग यहां मौजूद हैं लेकिन साधारण रूप से मैंने जो पाया, वह मैंने आपके सामने रख दिया। जहां तक रुपया खर्च करने की बात है २–३ चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हम लोगों को कर्जा देते हैं। लेकिन क्या आप यह देखते हैं कि वे कर्ज के बोझ से लदे जा

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

रहे हैं अथवा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जा रही है। यह सरकार जो गरीबों की अपने आपको बड़ी भारी हिमायती कहती है, जीवन के साधारण नियमों को क्यों नहीं समझती है। आप बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से तो सूद भी कम लेते हैं और जो कर्जा उनको देते हैं, उसको समय से वसूल भी नहीं करते। लेकिन जब वही रुपया किसानों को देते हैं तो ज्यादा सूद पर देते हैं। इसका क्या कारण है कि किसानों को कभी कर्ज में छूट नहीं मिलती है, पूरा-पूरा उनसे वसूल कर लिया जाता है। क्या आप इस विचार को ध्यान में रख कर अपने ऋण देने की नीति पर फिर से विचार करेंगे और आपके ऋण देने की प्रक्रिया में जो बहुत से दोष हैं उनको दूर करने की कृपा करेंगे ?

यह बड़े दुःख की बात है कि प्रदेश के बटवारे की बात कही गयी। मैं तो कहता हूं भगवान ऐसे विचारकों को न जाने कब ऐसी सद्बुद्धि देंगे जब वह सारे देश को एक शरीर ही समझेंगे और प्रदेशों को उसका अवयव समझेंगे और इस तरह से सोचेंगे कि यह शरीर कहीं इम्बैलेन्स न हो जाय। मैं अपने निजी लाभ की दृष्टि से नहीं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जहां कहीं इन्डस्ट्रियल इम्बैलेन्स है उसको आपको दूर करना चाहिये। जो भी आपके खयाल से डिस्ट्रेस्ड एरिया है उनकी ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि पूर्वी इलाकों का लाभ आप किसी का अहित करके कीजिये, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने डिस्ट्रेस्ड एरिया में छोटे छोटे उद्योग धंधों के चालू किया है, उनके लिये आपने कितना रुपया दिया है ? काटेज इन्डस्ट्रीज, विलेज इन्डस्ट्रीज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को आपने कितना चालू किया है जिससे वे सेल्फ जनरेटिंग यूनिट्स बन सकें।

इसके अलावा मैंने एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की बात भी कही। और डायरेक्टर तथा रजिस्ट्रार आदि की ओर संकेत किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीबों का पैसा है। आप अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि क्या आप बड़ों की आवश्यकताओं को उन छोटे लोगों पर टैक्स लगा कर तो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है।

आपका घाटे का बजट बचत का बजट हो जाता है, यह अनेक बार कहा जा चुका है। उन परिस्थितियों को मैं दुहराना नहीं चाहता। अभी मालुम हुआ कि केन्द्र से कितना रुपया मिला और कितना दिखाया गया, किस प्रकार से रुपये का अपव्यय होता है, बहुत सा रुपया ऐसा है जो खर्च भी नहीं होता अथवा जिसका दुरुपयोग होता है। एक ओर तो आप इस प्रकार से अपनी अकर्मण्यता दिखाते हैं और दूसरी ओर लैन्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज भी कम नहीं करते। मेरा सुझाव है कि ऐसी हालत में लैन्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज को खत्म कर दीजिये और भूमि भवन कर को घटा दीजिये। इससे आपको ही लाभ होगा क्योंकि एलेक्शन आ रहा है। जनसंघ तो २५ अप्रैल से आन्दोलन छेड़ने वाला ही है, इसलिये आप उससे पहले उसको वापस लेकर क्यों नहीं उस श्रेय को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप श्रेय ले लीजिये लेकिन गरीब जनता को राहत दे दीजिये। हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों को किसी तरह से राहत मिले। मेरा सुझाव यह है कि गरीबों पर असर डालने वाली चीजों के लिये आप एक कमीशन बिठा दें और साधारण जनता के जीवन पर जो कर असर डालने वाले हैं उन पर से आप कर क्यों नहीं उठा लेते। मेरा विचार है कि इस पर आप तुरन्त विचार करें और भूमि भवन कर और लैंड रेवेन्यू के सरचार्ज को तुरन्त हटा दें। आशा है आप इस बात पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे और जैसा कि हमने कहा कि खर्च पर नियंत्रण रखा जाय और अगर नियंत्रण न रखा गया तो जनता में एक विस्फोटक स्थिति आयेगी जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। यह सरकार कोई अंग्रेज सरकार की तरह नहीं है कि वह ६ मास पहले से कोई न समझे कि गवर्नमेन्ट पावर में है और जिस को जनता चाहे वोट दे। यह उनकी स्थिति नहीं है लेकिन अगर वह भी चाहते हैं कि करों के बारे में क्या जनता चाहती है तो वह भी अलग हो जाय और यहां प्रेसीडेंट रूल हो जाय और फिर देखें कि जनता आप की नीतियों को पसन्द करती है या नहीं। इससे उनको ही एलेक्शन में लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि सरकार इन बातों पर विचार करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विनियोग विधेयक सरकार के वित्तमंत्री ने सदन के समक्ष रखा है। यहां पर गत एक मास से बजट की विभिन्न मदों पर विवाद होता रहा और विभिन्न मंत्री गण अलग-अलग हमसे पैसा मांगते रहे और आज सरकार ने यह बिल इस लिये यहां रखा है कि हम उन्हें इस बात का अधिकार दें कि सदन ने जिस रकम की स्वीकृति दे दी है उसको यह सरकार इस्तेमाल कर सके और संहत निधि से निकाल सके। हमारा एतराज यह है कि अरबों का है बजट और फिर भी लाचारी। लाचारी यह है कि आज भी किसानों पर चवन्नी लगान लगा हुआ है, संकटकाल खत्म हो गया हमने कहा कि डी० आई० आर० को हटाया जाय, चार आना लगान वापस लिया जाय, भूमि भवन कर को वापस लिया जाय लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो फिर हम आपको क्यों यह अधिकार दें, पिछले ५ साल में या पिछले एक साल में आपने किसानों को क्या राहत दी है। किसान पर ५ रुपया बकाया होने पर माल विभाग के अफसर किसानों को मुर्गा बनाकर वसूल करते हैं और डायर मेकिन के मालिक मोहन साहब जो जनता को खूब शराब पिला रहे हैं यहां से गोआ तक उन पर ५-६ करोड़ रुपया सरकार का बाकी है और सन् ६२ से आज ६६ तक वह वसूल नहीं किया गया, ५-७ करोड़ का पुराना कर्जा भी वसूल नहीं किया गया। आज तक सरकार की जो भी नीति रही है वह जनता के हित में न जाकर पूंजीपतियों के हित में रही है। यह सरकार ही पूंजीपरस्त है और इस लिये इस धन को व्यय करने का अधिकार इस सरकार को नहीं देना चाहिये कि यह सरकार इस पैसे का भी दुरुपयोग कर सके। यह सरकार इस काबिल नहीं है। कितनी ही बार इस पर और इसके अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये, ४० करोड़ रुपया आज भी पूंजीपतियों पर बकाया है, बार-बार कहा गया लेकिन इनके पास उनसे पैसा वसूली का कोई तरीका नहीं है। तमाम मिलमालिकों पर बकाया पड़ी है और ११३ सदन के सदस्यों ने दस्तखत करके दिया कि गृह मंत्री को निकाला जाय, राष्ट्रपति से लेकर मुख्य मंत्री और राज्यपाल सभी से कहा गया और लिखा गया लेकिन एक दिन मुख्य मंत्री यहां खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई है। वह आई है उनके पास लेकिन वह नहीं कहतीं। तो जिन मंत्रियों के खिलाफ इतने लोगों ने आरोप लगाये उनको भी नहीं निकाला गया। इसी तरह से जो भ्रष्ट अफसर हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है कि वह भ्रष्टाचारी हैं, जिनके खिलाफ सदन में सवाल उठाये गये उनको भी वह शरण दिये हैं तो ऐसी सरकार को क्यों इस रुपये को व्यय करने की इजाजत हम दें।

मजदूरों की हालत यह है कि आपके नाम पर यह ६,००० बाहर रो रहे हैं, म्योर मिल बन्द पड़ी है, ९ कपड़े की मिल बन्द हैं, म्योर मिल के बारे में भारत सरकार कर्ज देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ३० लाख का ड्राफ्ट भेजा जाय लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। यह नहीं चाहते कि मिल चले और मजदूर सुखी हों। चीनी मिलों के मजदूर परेशान हैं, उन को निकाला जा रहा है। ७५ हजार कालोन के मजदूर बेकार हैं, २५ हजार मजदूर बोनस की मांग के लिये बैठे हैं, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में भी बोनस के लिये हड़ताल होने वाली है। इस तरह से सारे प्रदेश में आज श्रम संकट है और हालत खराब है। श्री गेंदासिंह क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि इस साल हमारी फसल शायद अच्छी हो जायगी। आलू के बारे में बहुत ढोल पीटा जाता है कि फसल बहुत अच्छी हुयी है लेकिन इसका श्रेय क्या आपको है? यहां पर माननीय तिवारी जी और उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। सबको मालुम है कि छितौनी बांध में ७० लाख रुपया खा गये हैं। अगर २ महीने में वह बांध नहीं बनता है तो पूरी नारायणी गन्डक में मिल जायगी और गोरखपुर और देवरिया का सत्यानाश हो जायगा। हम कहते हैं, हमारे माननीय रामसुन्दर पांडेय जी यहां पर रोज कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जब किसी मंत्री की कोठी बहे तो इन्हें पता लगे लेकिन इनकी कोठी बहने वाली नहीं है। हमारे भाई यहां पर माननीय कल्पनाथ जी मौजूद हैं, उनका तो घर ही चला गया। मेरे तो सिर्फ खेत ही बहे, घर नहीं बहा लेकिन वे फिर भी घर जाकर भी इस सरकार को मजबूर नहीं करते हैं कि वह घाघरा के कटाव को रोके।

[श्री उग्रसेन]

विद्यार्थियों की क्या हालत है। आयुर्वेदिक कालिज के विद्यार्थी आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। फीस आपने इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें देना मुश्किल हो रहा है। अब आप प्राइमरी शिक्षा की पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। आगरे की छपाई करायेंगे। इनको आप इलाहाबाद के प्रेस में नहीं छपवायेंगे। आपने अभी कैलेन्डर छपवाये हैं। ऐसे कैलेन्डरों को छपाकर आप देखेंगे कि प्रदेश और देश की जनता १९६७ में आपका कचूमर निकाल देगी।

अब आप देखें लघु उद्योग के लिये आपने ९० लाख रुपया लगाया है। लघु सिंचाई योजना के लिये आप श्रम शक्ति उपयोगी योजना चला रहे हैं। पटेल कमीशन बन गया लेकिन क्या हुआ? जहां तक विद्यार्थियों का संबंध है, जैसा मैंने निवेदन किया, उन्होंने हड़ताल की है। उनकी यूनियन को आपने तोड़ दिया है। वाराणसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का पुलिस ने प्रागंण में घुस कर कचूमर निकाल दिया है। क्या आपकी सरकार रामरतन गुप्त की एजेन्सी करती है या यह उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? ये लोग तो डेप्यूटेशन पर कार्य करते हैं। पूंजीपतियों के हित की रक्षा कर रहे हैं। हम और माननीय नरसिंहनारायण तो ३ आने प्रतिदिन में अपना पेट भर रहे हैं और इनके बिरला ३ लाख रुपये रोज पर गुजर करते हैं। यही नहीं, हमारे मंत्रियों के कुत्ते हलवा और पुरी खाते हैं। हम लोगों को ओढ़ने को कपड़ा नसीब नहीं होता लेकिन उनके कुत्तों को ४-४ लिहाफ दिये जा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि सब लोग इसका विरोध करें और इन्हें खर्च करने के लिये एक पैसा भी न दिया जाय। ये इतने नालायक हो गये हैं कि इनका विश्वास उठ गया है। इन्होंने प्रदेश के साथ विश्वासघात किया है। इसलिये मैं जनता से कहता हूं कि वह उनको रोके, इनको बन्द करे ताकि ये इस जनता के रुपये का दुरुपयोग न करें।

*श्री रामायणराय—

मान्यवर, मैं तो ऐसा समझता था कि विनियोग विधेयक की जो सीमा है उस सीमा में ही यह वाद-विवाद और माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिलेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से सरकार बजट में जो खर्च की व्यवस्था की गयी हो, उसके लिये संचित निधि से धन प्राप्त करने के लिये यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती है। ऐसे अवसर पर वे सारी बातें जो कि रोज हम यहां सुनते रहे हैं, आज भी सुनने को मिली है। मैं तो आशा करता था कि माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने सबसे पहले ऐसा बैलेंस बजट पेश किया है, जिसमें घाटा बहुत कम है यानी कुछ लाखों का ही घाटा होने वाला है, और आज माननीय सदस्यों नेजो प्रश्न सदन में उठाया और उसके द्वारा सदन को जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर मान्यवर अगर यह कहा जाय कि घाटा बिलकुल नहीं होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, माननीय सदन धन्यवाद देता। किन्तु बजाय इसके कि माननीय सदस्य माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते और सहर्ष उनके द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक को पास कर देते, उन्होंने ऐसी आलोचनायें कीं, पटेल आयोग की सिफारिशों की बात की गयी है, संसद के चुनाव में कचूमर निकालने की बात की गयी है। आज जो चुनाव हो रहा है उसमें किसका कचूमर निकलता है, अभी एक घंटे के बाद वोटों का परिणाम निकलने वाला है, उससे मालुम हो जायगा। मान्यवर, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि इधर के बैठने वाले जितने माननीय सदस्य हैं, उनकी आज जो इस सदन में उपस्थिति रही है और उनके द्वारा जो प्रस्तावित उम्मीदवार थे, उन्हें मिलने वाले वोटों से ही मालुम हो जायगा कि वास्तविकता क्या है। आप अपनी तरफ के सदस्यों की भी गिनती कर लेंगे और अपने द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों के वोटों को देख लेंगे, उसी से हकीकत का पता चल जायगा। कचूमर किसका निकलेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इधर बैठने वालों का या उधर बैठने वालों का इसका फैसला आज ही होने वाला है। (अनेक सदस्य–देख लेंगे।)

श्री उपाध्यक्ष––

कचूमर किसी का नहीं निकलेगा।

श्री रामायण राय––

मैं इस तरह की बातों का आदी नहीं हूं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि मौके बेमौके इस प्रकार की चर्चा करना जबकि माननीया मुख्य मंत्री ने इस सदन में इस बात की घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है, बार बार टैक्स की चर्चा करना, चुनाव आयोग या जनरल चुनाव की चर्चा करना, जबकि विनियोग विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो, कदापि श्रेयस्कर नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को, पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह का बजट प्रस्तुत करने के लिये, जो बजट कि अगले वर्ष में हमारी तकदीर को बनाने वाला बजट है, धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य खराब रहते हुये भी उन्होंने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया।

(व्यवधान)

कुछ लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं किन्तु वे स्वयं दूसरे की बात सुनने का साहस नहीं रखते हैं। "वादे वादे जायते, तत्व बोध :"। यदि मैं कोई बात कहूं तो हो सकता है कि वह सत्य से परे हो, परन्तु जनतंत्र में इस बात की पूरी व्यवस्था है कि मैं अपने विचार को व्यक्त करूं। किन्तु किसी माननीय सदस्य के बोलते समय बाधा उपस्थित करना, शोर मचाना, मैं समझता हूं कि यह श्रेयस्कर नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री को जो उन्होंने स्वास्थ्य के खराब रहते हुए इस प्रदेश के कल्याण के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। अन्त में माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब सारा प्रदेश विभिन्न प्रकार के संकटों में फंसा हुआ है आप अन्य राज्यों का उदाहरण यहां प्रस्तुत न करें। यदि आप ने वह गलती दोहराई जो अन्य राज्यों के विरोधी दलों ने दोहराई है तो इतिहास आपको बार-बार कोसेगा। इस आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप जिन स्वस्थ परम्पराओं का पालन करते रहे हैं, उसके अन्तर्गत सरकार को सहयोग प्रदान करें, यही मेरा निवेदन है।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

मैं समझता हूं कि २,२ मिनट माननीय सदस्य बोलें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

श्रीमन्, वैसे तो यह सही है कि प्रान्ट पास हो गई और यह बिल तो केवल एक फारमेलिटी है। परन्तु यह भी सही है कि बजट का जो गोरख धंधा है यह बहुत कम सदस्यों की समझ में आता है। आपने देखा कि माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने घाटे का बजट को सरप्लस बजट प्रदेश को जनता के सामने साबित कर दिया, इस का श्रेय उन को मिलेगा। इसके बाद मैं सरकार का ध्यान उस के कर्त्तव्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। जो टैक्स सरकार ने आपात्काल समय में लगाये थे उन टैक्सों को अब वापस करने की घोषणा करनी चाहिये।

जो राजकर्मचारी हैं इन के सम्बन्ध में वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तथा उस के लागू होने में पूरा १ साल का समय लग गया। इसी बीच केन्द्रीय सरकार ने एक बार फिर महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने पर विचार करे और जो साल भर के अन्दर महंगाई

[श्री रक्षपालसिंह]

बढ़ा है उसको एड करते हुए उन के वेतन में वृद्धि करनी चाहिये। प्रदेश में जो औद्योगिक अशान्ति पैदा हुई है उसको ओर विशेष ध्यान आप को देना चाहिये। आज म्योर मिल के ५ हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार ने ३०, ३५ लाख रु० भी दे दिया तब भी सरकार उसको चालू कराने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वहां के मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मिल जल्दी चले, वे हड़ताल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी इस मांग के बारे में क्या किया। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक और पिछले विधेयक को देखने से यह मालूम हो रहा है कि सरकार के ऊपर कोई भी लगाम नहीं है। जहां चाहे वहां पर एक्सेस खर्चा करती है और कहीं-कहीं सेविंग हो जाती है। जो प्लान के एस्टीमेट बनाये जाते हैं वे ठीक नहीं बनते हैं, जो प्लान्स बनाये जाते हैं वे भी ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं। नतीजा यह है कि जिस ध्येय को ले कर यह बजट और प्लान बनाया जाता है वह अधूरा रह जाता है और कार्य रूप में परिणत वह चीज नहीं हो पाती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस कमेटी, जो पहले थी, उसका फिर से निर्माण होना चाहिये ताकि इन के बजट पर कंट्रोल हो सके।

दूसरी चीज यह है कि हमने देखा किसानों का एक्सप्लायटेशन किया जा रहा है। यहां आज जितने कानून बनाये जा रहे हैं, वे गरीब किसानों को एक्सप्लायट करने के लिये बनाये जा रहे हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अब जो कानून नया बनाया जाय किसानों के लिये उस में फ्लैट रेट से लगान रखा जाय। ताकि किसान जिन्दा रह सकें और अपनी कमाई का फायदा उठा सकें। जिन किसान मजदूरों का हम उत्थान करना चाहते हैं, जिनकी पर कैपिटा इन्कम बढ़ाना चाहते हैं कमसे कम उनको टैक्सेज से बरी रखा जाय और अधिक से अधिक उनकी सहायता की जाय। यह भी देखा गया है कि मार्च के महीने में अन्धाधुन्ध रुपया खर्च किया जाता है और उसे बरबाद किया जाता है। सरकार को चाहिये कि फायनेन्शियल कंट्रोल रखने के लिये कोई स्कीम बनाये। पी० ए० सी०, एस्टिमेंट कमेटी तथा अन्य कमेटीज की जो रिपोर्ट्स हैं वे कार्य रूप में परिणत नहीं होतीं, हजारों रुपया इन कमेटियों पर खर्च होता है लेकिन उन की रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक पर बहुत बातें हो चुकी हैं। जो लगान वसूल किया जा रहा है साढ़े २३ करोड़ उसमें से १९ करोड़ तो सरकार लगान वसूल करने में खर्च कर देती है और साढ़े ५ करोड़ से ज्यादा लगान का रुपया उसको नहीं बचता है। ८२ प्रतिशत लोगों के पास अलाभकर जोतें हैं जिनसे यह लगान वसूल करना बिलकुल बेकार है। सरकार को खेतिहर आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री तथा शिक्षा विभाग दोनों मिले हुये हैं लेकिन वे दोनों विभागों में से किसी विभाग का काम नहीं कर रहे हैं। उनकी जब तबियत खराब है। तो मेरा सरकार से विशेष कर नेता सदन से अनुरोध है कि वर्तमान वित्त मंत्री को हटा कर दूसरे मंत्री को वित्त विभाग दें ताकि काम ठीक से चल सके।

जहां तक इन मदों का सवाल है सरकार ठीक से काम करे तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो ४८ मदें हैं उनमें से किसी में सरकार का काम अच्छा नहीं लगता तो फिर हम कैसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी तरफ से पास करने की बात कहें ? इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारा बस चलता तो सदन को हम एक पाई न देते और सरकार फेल हो जाती तो फिर इस प्रदेश के अन्दर प्रजातंत्र की नींव गहरी हो जाती ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं । एक बात तो यह कि १८ साल के अन्दर भी हरिजन, बैकवर्ड तथा भूमिहीनों का यह सरकार हित नहीं कर सकी । दूसरे इलाहाबाद के जिला परिषद् तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में ४९ से लेकर आज तक किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है । इतना ही नहीं, ग्राम उद्योग के नाम पर जो रकमें दी गयी हैं सदन में सरकार की ओर से उसके बारे में बार-बार शिकायतें की गयीं, जांच पड़ताल हुई । वास्तव में वह सारी रकम खाई जा चुकी है । इन्होंने अनुदान देकर देश को भिखारी बनाया है । इन्होंने वायदा किया था और संविधान में भी है कि प्रत्येक हरिजन और बैकवर्ड शिक्षार्थी को वजीफा दिया जायगा, फीस नहीं ली जायगी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अपने वायदों को निभाये वरना सन १९६७ में जहां थे वहीं पर पहुंचना ही है ।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो हम बजट बनाते हैं वह एक अनुमान के आधार पर बनाते हैं । आज के जमाने में जब कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है एक स्टीरियोटाइप्ड बजट हर साल पेश कर दिया जाय, ऐसा सम्भव नहीं है । यह भी सम्भव नहीं है कि जो अनुमान लगाया जाय वह बिलकुल ठीक ठीक उतरे । अगर यह सम्भव हो सके तो अच्छा है, लेकिन यह सम्भव नहीं है । तरह तरह के फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आमदनी बढ़ सकती है और घट भी सकती है । लेकिन आमदनी और खर्च में जो भी घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है वह सब माननीय सदन के सामने आती है और इसकी स्वीकृति से ही सब आगे की कार्यवाही होती है । अगर किसी सेवा के अन्तर्गत कोई रकम खर्च करने के लिये रखी गयी और वह खर्च नहीं हो रही है तो माननीय सदन की स्वीकृति से उसको दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाता है जहां उसके खर्च करने की ज्यादा गुंजायश हो । इसके बावजूद भी फिर खर्च में फर्क पड़ सकता है । लेकिन कोई जानबूझ कर सरकार की यह मंशा हो, ऐसी बात नहीं है । इसी राज्य सरकार के बजट म नहीं बल्कि दूसरी राज्य सरकारों और केन्द्र के बजट में भी आमदनी और खर्च में फर्क पड़ता है । तो यह कोई अनोखी चीज इस प्रदेश में हो रही है, ऐसी बात नहीं है । कई बार इस बात के आंकड़े रखे गये कि हमारे राज्य में अन्तर कम पड़ता है बनिस्बत अन्य राज्यों और केन्द्र के । इसलिये यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि हमारे अनुमान का तरीका गलत है चाहे वह खर्च के बारे में हो, चाहे आमदनी के बारे में हो ।

अभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिये बड़ी आपत्ति थी कि केन्द्रीय सरकार से टैक्सेज में हमारे हिस्से के बारे में जो ज्यादा मिलने की सूचना मिली वह बजट में क्यों नहीं शामिल की गयी बताया गया कि वह सूचना समय के अन्दर आयी होती तो शामिल की जा सकती थी । जब समय के अन्दर नहीं आयी तो उसका शामिल करना सम्भव नहीं था । वह रिवाइज्ड बजट में शामिल होगी । लेकिन जो अभी सूचना मिली है, जिससे हमारे अनुमान से लगभग १ करोड़ ७२ लाख रुपया बढ़ने की गुंजायश है वह भी अन्तिम नहीं है और साल के अन्दर यही एक रकम है जिसमें तब्दीली होगी, ऐसी बात भी नहीं है । हमारे सेल्स टैक्स की आमदनी में, स्टैम्प की आमदनी में फर्क पड़ेगा । इसलिये अगर आमदनी में फर्क पड़ गया तो कोई परेशानी की बात है, ऐसी बात नहीं है और हमारे बजट में जो राजस्व का व्यय है उसमें घाटा केवल ३१ लाख रुपये का है लेकिन पूंजी व्यय में घाटा १६ करोड़ १४ लाख का है । अगर राजस्व के प्राक्कलन

[श्री जयराय वर्मा]

में कुछ ज्यादा मिल जाता है तो इसमें यह भी हो सकता है हम अपनी योजनायें कुछ बदलें या पूंजी व्यय में अगर इधर से कुछ आमदनी ज्यादा हो जाये तो उसी हद तक घाटा कम हो जायेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

कोई मद आपकी ऐसी मिली जिसमें आपने जो अनुमान लगाया हो उससे कम मिला हो। अनुमान से ज्यादा ही मिला है कम नहीं मिला है।

श्री जयराम वर्मा—

यह हो सकता है। सेल्स टैक्स में जितना अनुमान लगाया है उससे ज्यादा आमदनी हो जाये, लेकिन अगर बाढ़ या ऐसी ही कोई आपदा आ जाये तो मालगुजारी कम हो सकती है। इसमें क्या बात है और इस साल तो कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिये कि टैक्स लगाने के लिये घाटा दिखाया जाता है। इस साल साफ कह दिया है कि नये टैक्स नहीं लगायेंगे। टैक्स लगाना बड़ा अप्रिय कार्य है और कोई जनता की सरकार इसको पसन्द नहीं करेगी कि बिना जरूरत के टैक्स लगाया जाय।

अगर साल के अन्दर मुस्तैदी से काम करें, आमदनी में वृद्धि हो जाये तो क्या वह न की जाय? हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आमदनी में वृद्धि हो जाये अगर आमदनी बढ़ जाती है तो इसमें नाराजी की कोई बात नहीं होनी चाहिये। बल्कि माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये कि आमदनी में वृद्धि हुई। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि पी० ए० सी० जो आलोचनायें करती हैं या कमियां दिखाती है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, जो आलोचनायें की जाती हैं या कमियां दिखाई जाती हैं उनको दुरुस्त कराने की बराबर कोशिश की जाती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने इसलिये कहा कि पी० ए० सी० की पिछले तीन साल की रिपोर्टों में वही चीज दिखाई गई है।

श्री जयराम वर्मा—

वित्त विभाग की तरफ से ध्यान दिलाया जाता है कि जहां तक सम्भव हो इन कमियों को दूर करें और पी० ए० सी० के सामने विभाग स्पष्ट करते हैं कि यह खर्च क्यों हो गया और पी० ए० सी० के संतुष्ट हो जाने पर सदन के सामने वह मामला आता है और सदन उसकी स्वीकृति देता है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अनस्पैंट मनी को छोड़ कर आपने कहीं सेविंग की है एक भी एक्जाम्पिल आप दे दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

जो सेविंग के आंकड़े रखे गये उसमें बताया गया है कि ३–४ करोड़ रुपये की हमारी सेविंग हो चुकी है और अभी आगे और सेविंग करने का प्रयास किया जा रहा है। वह आंकड़े इस समय तो यहां पर हमारे पास नहीं हैं। सम्बन्धित अनुदान के समय पूछा गया होता तो बता दिया जाता।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

सवाया लगान और भूमि भवन कर को समाप्त कर दिया जाय, यदि आपने सेविंग की है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिये और समय का ध्यान रखिये। आप पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलिये।

श्री जयराम वर्मा—

यह जो सरचार्ज लगाया है मालगुजारी पर वह इसी सदन की आज्ञा से लगाया गया है, उसकी इच्छा से लगाया गया है, यह जबरदस्ती नहीं लगाया गया है। जब तक सदन की आज्ञा है तब तक वह टैक्स है और आज्ञा नहीं रहेगी वह नहीं रहेगा। (व्यवधान)

इसके अलावा यह तो आपत्तिकाल अधिभार है और जब तक आपत्तिकाल रहेगा तब तक ही वह टैक्स रहेगा। आपत्तिकाल के हटने का निर्णय करने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को नहीं है और यह तो राष्ट्रपति करते हैं। और यह अधिनियम की धारा तीन में दिया हुआ है। जब माननीय राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे कि जब आपत्तिकाल नहीं है, जिस साल कर देंगे उसी साल जून मास में इसकी अवधि समाप्त होती है, उसी साल से इस टैक्स को हटा लेंगे। यह तो निर्भर करता है राष्ट्रपति की घोषणा पर इसमें हमारा कोई वश नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

चवन्नी जो लगी है, उसे आपने एक ही बार में वसूल किया है। पिछली बार जब बढ़ाया था तो दो-दो आने करके वसूल किया था, तो अबकी बार एक ही बार में क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

किसानों को जो रुपया दिया जाता है उसमें कठिनाइयां हैं, उन्हें कठिनाइयां न होने पायें यह बात ठीक है। माननीय सदस्यों का जितना सहयोग उसमें होगा किसानों को रुपया पाने में जो कठिनाई होती होगी दूर होगी, लेकिन केवल कह देने से वह अपने आप दूर नहीं हो सकता है। हम तो माननीय सदस्यों का सहयोग और समर्थन चाहते हैं कि जहां पर कठिनाई हों, खामियां हों, वे सबके सहयोग से दूर की जायं।

यही इसकी रकमों के बारे में आपत्तियां उठाई गयी थीं और उनका मैंने माननीय सदस्यों को समुचित उत्तर दे दिया। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करके इस पर अपनी स्वीकृति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश का संहत निधि में से वर्ष १९६६-६७ के लिये ५,८६,१९,७७,००० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध व्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है, जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ५,८६,१९,७७,००० रु० (पांच अरब, छियासी करोड़, उन्नीस लाख सतत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उसका विनियोग ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत-कर	२,८५,७००	३,०००	२,८८,७००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	९,९५,५४,४००	१४,१००	९,९५,६८,५००
३	राज्य आबकारी	४२,११,१००	२,०००	४२,१३,१००
४	बिक्री-कर	७४,३५,२००	५,०००	७४,४०,२००
५	अन्य कर और शुल्क	४३,५०,७००	१,०००	४३,५१,७००
६	स्टाम्प	१३,४८,१००	१,०००	१३,८५,१००
७	निबन्धन	२८,०५,६००	२००	२८,०५,८००
८	राज्य विधान मण्डल	१,००,६४,८००	८६,९००	१,०१,५१,७००
९	सामान्य प्रशासन	२,५५,९८,०००	१७,३४,५००	२,७३,३२,५००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	९,९५,३०,५००	१०,०००	९,९५,४०,५००
११	गांव सभायें और पंचायतें	१,६१,५५,१००	२,०००	१,६१,५७,१००
१२	न्याय प्रशासन	२,१५,५७,९००	४९,४४,१००	२,६५,०२,०००
१३	कारागार (जेल)	२,६९,१२,३००	२,०००	२,६९,१४,३००
१४	पुलिस	१७,६९,३४,८००	१०,०००	१७,६९,४४,८००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	१,३७,७५,०००	६०,०००	१,३८,३५,०००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	२२,०७,३००	३००	२२,०७,६००
१७	शिक्षा	४६,०१,२६,८००	२,०००	४६,०१,२८,८००
१८	चिकित्सा	१०,०८,८८,८००	३,०००	१०,०८,९१,८००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य	९,९३,३९,५००	७००	९,९३,४०,१००
२०	कृषि संबंधी विकास	१०,८९,६२,१००	४,०००	१०,८९,६६,१००
२१	उपनिवेशन	५,१४,८००	२००	५,१५,०००
२२	पशुपालन तथा मत्स्य-पालन	४,७८,६९,२००	२,०००	४,७८,७१,२००
२३	सहकारिता	२,४९,८१,६००	२,०००	२,४९,८३,६००
२४	उद्योग	१०,८६,५४,९००	२,५००	१०,८६,५७,४००

१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
२५	नियोजन और समन्वय	१५,४८,४०,३००	५,०००	१५,४८,४५,३००
२६	श्रम और सेवायोजन	५,४९,८०,६००	६,०००	५,४९,८६,६००
२७	सूचना निदेशालय	५७,८१,२००	५००	५७,८१,७००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	२,६५,७६,८००	१,०००	२,६५,७७,८००
२९	समाज-कल्याण	५१,६२,२००	५००	५१,६२,७००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	१८,९३,३८,४००	२,०००	१८,९३,४०,४००
३१	सिंचाई-अधिष्ठान	७,८१,३७,२००	४,०००	७,८१,४१,२००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं ..	१४,४४,४९,७००	३,७९,७००	१४,४८,२९,४००
३६	संचार साधनों का सुधार	९६,७०,९००	..	९६,७०,९००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	२,२४,८५,३००	१००	२,२४,८५,४००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१,७४,९५,३००	..	१,७४,९५,३००
३९	परिवहन	२८,९५,९०,९००	२,०५,०००	२८,९७,९५,९००
४०	दुर्भिक्ष सहायता	३६,५९,३००	५०,०१,०००	८६,६०,३००
४१	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	३,६२,९६,२००	३,०२,४००	३,६५,९८,६००
४२	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	२५,२५,०००	..	२५,२५,०००
४३	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	२,२८,६६,२००	..	२,२८,६६,२००
४४	वन	६,०७,७९,१००	२,०००	६,०७,८१,१००
४५	प्रकीर्ण व्यय	५,००,४७,०००	७,१००	५,००,५४,१००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय ..	३,८९,८४,९००	१००	३,८९,८५,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	२७,८२,६४,१००	२७,८२,६४,१००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	६५,६०,३२,५००	६५,६०,३२,५००

*भारित विनियोग

१	२	३		
	अनुदान सेवायें और प्रयोजन संख्या	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय	१८,५०,३२,२००	२,०००	१८,५०,३४,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	५,४४,९९,६००	५,०००	५,४५,०४,६००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२७,७२,७८,०००	१,०००	२७,७२,७९,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय..	१८,६६,३४,६००	३,००,०००	१८,६९,३४,६००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	३,९७,१२,८००	१,३०,०००	३,९८,४२,८००
५३	पेशनों का राशिमूल्य	८,७१,१००	३०,०००	९,०१,१००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें ..	७२,५६,४९,२००	१००	७२,५६,४९,३००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	७६,६९,५९,५००	..	७६,६९,५९,५००
	योग ..	४,९१,४४,०३,४००	९४,७५,७३,६००	५,८६,१९,७७,०००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६

३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये :

विधेयक

यह इष्ट कर है कि राज्य की संहत निधि में से ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार दिया जाय

अतएव भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६६ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से घाटे का बजट दिखाया था और अब सरप्लस बजट में विरोधी दल ने परिवर्तित कर दिया है, उसको देखते हुये मैं इसका विरोध करता हूं इसलिये कि यह सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करती और ताशकन्द समझौते के बाद भी आपातिक भार किसानों पर सवाये लगान का लादे हुये है । इनको एलान करना चाहिये कि वह हटाया जा रहा है और भूमि भवन कर खत्म किया जा रहा है । प्रदेश में औद्योगिक अशान्ति कितनी है कि आज हजारों विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और पड़े हुये हैं और भूख हड़ताल करने जा रहे हैं । तो मैं मंत्री जी से आग्रह करता हुं कि सवाया लगान और भूमि भवन खत्म कर दिया जाय और औद्योगिक झगड़ों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, चवन्निया लगान की बात जो हमारे मित्र ने कही है उसके लिये मैं जब बाहर बात करता हूं तो विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात जाने दीजिये सरकारी पक्ष के सदस्य हमसे अकेले में कहते हैं कि भाई हमारी तुम्हारी बात से इत्तिफाक करते हैं । अब आज माननीय उपमंत्री जी कह रहे हैं कि इस सदन की इच्छा है इसलिये वह लगा हुआ है । तो हम एक गैर सरकारी प्रस्ताव ले आवें और वे कांग्रेस पार्टी पर से हिप उस दिन हटा ल जिस दिन उस गैर सरकारी प्रस्ताव पर बहस हो तो निश्चित रूप से मालुम हो जायगा कि सदन क्या चाहता है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मुझे पता चला है कि यह सदन कल से बन्द होने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । वह दूसरी बात है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सुन लें । आप बैठ जाइये । पहले यह खत्म हो जाय तब आप अपनी बात कहियेगा । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के परिवर्तित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

आपने वादा किया था कि बात समाप्त होने पर कहिये। अब आप ही अपना आश्वासन तोड़ेगें और व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो सदस्यों का क्या हाल होगा। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग का सर्वनाश हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, मंत्री जी आपकी ही बात को कहने वाले हैं, उन्हें सुन तो लीजिये। वह आपको उसी बारे में सूचना दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

सबेरे जो हाउस में प्रोग्राम सूचित किया गया था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है जिसकी सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं। कल विद्युत कर विधेयक आने वाला था वह अब कल नहीं आवेगा और कल पे रेशनलाइजेशन कमेटी पर हम विचार करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अभी सरकार की ओर से यह एनाउन्स किया गया कि कल पे रेशनलाइजेशन कमेटी रिपोर्ट पर विचार होगा और प्रातःकाल यह घोषणा थी कि कल विद्युतकर विधेयक पर विचार होगा। मेरी समझ में बात नहीं आयी कि सरकार को पता रहता है या नहीं कि वह किस स्थिति में है। विधेयक ला भी सकते हैं या नहीं यह भी इनको पता नहीं होता। इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य पड़े हुये हैं जैसे अयोध्या इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में कमेटी जिसके आप अध्यक्ष रहे हैं उसकी रिपोर्ट और ऐसे कितने ही विषय जिनकी आवश्यकता है। वह कार्य रुका गये लेकिन यह कार्य रुका नहीं।

इतनी लम्बी छुट्टी करना सदन के हित में नहीं है और न प्रदेश के हित में है। मैं चाहता हूं सरकार इस बात को ध्यान में रखकर सदन को बन्द करने की बात सोचे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१९ पर)

संख्या १९/४—६५-नियुक्ति (ख)

प्रेषक,

श्री आर० वासुदेवन,
उपसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, २९ दिसम्बर, १९६५।

विषय—सरकारी कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश कृषक समाज की कार्यवाहियों में सम्मिलित होना।

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश कृषक समाज की कार्यवाहियों में सम्मिलित न हों। आपके अधीनस्थ यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस समाज में सम्मिलित हो गया हो और / या इसकी कार्यवाहियों में भाग ले रहा हो तो उसको यह सलाह दी जाय कि वह इस समाज से अपना संबंध विच्छेद कर ले।

भवदीय,
आर० वासुदेवन,
उप-सचिव।

संख्या १९/४-६५(१)-नियुक्ति (ख)

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

आज्ञा से,
आर० वासुदेवन,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

No. 19/4-65-Apptt. (B)

FROM

SR, R. VASUDEVAN,

Ua SACH,V,

UTTAR PRADE;H SHASAN,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, December 29, 1965.

Subject—**Association of Government servants with the activities of Uttar Pradesh Krishak Samaj.**

S,R,

I AM directed to say on the above subject that it has been decided that Government servants should not associate themselves with the activities of the Uttar Pradesh, Krishak Samaj. If, however, any Government servant under your administrative control has joined the Samaj and/or is taking part in its activities, he may be advised to severe his connections with it.

Yours faithfully,
R. VASUDEVAN,
Up Sachiv.

No. 19/4-65(i)-Apptt. (B)

Copy forwarded for information and necessary action to all departments of the Secretariat.

By order,
R. VASUDEVAN,
Up Sachiv.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२९ पर)

राजकीय कृषि यन्त्र परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के नाम, पता व रोजगार

क्रम संख्या	नाम	पता	रोजगार
१	श्री भानु प्रताप सिंह	सोहना कृषि फार्म, सोहना जिला बस्ती ।	प्रगतिशील कृषक ।
२	श्री जगदम्बा प्रसाद	अध्यक्ष, कृषि अभियंत्रण तथा प्राद्योग विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर, जिला नैनीताल ।	नौकरी ।
३	श्री इन्द्र चन्द्र रस्तोगी	मेटल इंडस्ट्रीज ८४/१४, फजलगंज, कानपुर ।	कृषि यंत्र निर्माता
४	श्री डी० बोरपुजारी	जनरल मैनेजर, नैनी कृषि सोसाइटी, नैनी, इलाहाबाद ।	कृषि यंत्र निर्माता
५	श्री ए० करन भाई	प्रभारी श्री गांधी आश्रमसेवा पुरी, वाराणसी ।	समाज सेवक
६	श्री त्रिवेणी सहाय	गांधी सेवा सदन, आसफपुर जिला बदायूं ।	कृषि यंत्र निर्माता
७	श्री आर०डी०मिश्रा	इंजीनियरिंग मैनेजर, जिला सहकारिता विकास संघ, मेरठ ।	कृषि यंत्र निर्माता
८	श्री मोती लाल शर्मा	ग्राम जैसाही कलां, तहसील ओरई जिला जालौन ।	प्रगतिशील कृषक
९	श्री धर्म नाथ सिंह	ग्राम पिपरा, पो० लार, जिला देवरिया ।	प्रगतिशील कृषक
१०	श्री गौरीशंकर	ग्राम इसोली, अवागढ़, ब्लाक, जिला एटा ।	प्रगतिशील कृषक
११	श्री पी०सी० कपूर	कौंसल एन्ड कम्पनी, वी माल कानपुर ।	कृषि यंत्र निर्माता
१२	श्री सी०वी० पाल	प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण, कृषि इंस्टीट्यूट नैनी, जिला इलाहाबाद ।	सरकारी नौकरी

क्रम-संख्या	नाम	पता	रोजगार
१३	श्री आनन्द स्वरूप	निदेशक, प्लानिंग रिसर्च एवं ऐक्शन इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सरकारी नौकरी
१४	श्री एम०एच० नकवी	उप निदेशक, पशुपालन (फार्म) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सरकारी नौकरी
१५	डा० डी० एन० श्रीवास्तव	निदेशक फल उपयोग, विभाग, उत्तर प्रदेश, रानीखेत।	सरकारी नौकरी
१६	श्री राम कृष्ण	उप विकास आयुक्त (कृषि) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सरकारी नौकरी
१७	श्री मोतीराम संगुणी	जेल रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ।	प्रगतिशील कृषक
१८	श्री आर० पी० माथुर	उप निबन्धक सहकारी (फार्मिंग) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सरकारी नौकरी
१९	श्री एस० सी० भटनागर	कृषि अभियंता, वर्कशाप एवं ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सरकारी नौकरी
२०	श्री आर० पी० सक्सेना	कृषि अभियंता (प्रसार) लखनऊ ।	सरकारी नौकरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८४० पर)

प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रासार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा-संशोधित ऐक्ट संख्या ९, १८८७, की धारा २५ के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"२५—जिला जज अपना यह समाधान करने के लिये कि लघु वाद न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद में दी गयी डिक्री या दिया गया आदेश विधि के अनुसार था या नहीं, या तो स्वतः अथवा ऐसी डिक्री या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उस वाद से सम्बद्ध अभिलेख मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३—(१) इस अधिनियम में दी हुई किसी बात के होते हुये भी, लघुवाद न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व साठ दिन के भीतर दी गयी किसी डिक्री या दिये गये किसी आदेश के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा २५ के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है ।

(२) इस अधिनियम की किसी बात का प्रभाव किसी ऐसे प्रार्थना-पत्र पर नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिया गया हो और विचाराधीन हो ।

उद्देश्य और कारण

इस राज्य में जिला जजों को लघु-वाद न्यायालयों की डिक्रियों तथा आदेशों के संबंध में पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है । किन्तु तदर्थ प्रार्थना-पत्र देने के लिये कोई अवधि नियत नहीं की गई है । निश्चितता तथा कार्य प्रणाली की एकरूपता के हित में यह वांछनीय समझा गया है कि उस डिक्री या आदेश के, जिसका पुनरीक्षण करना हो, दिनांक से तीस दिन की एक निर्दिष्ट अवधि नियत की जाय । इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सैय्यद अली जहीर,
न्याय मंत्री ।

(उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित) प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की उस धारा का उद्धरण जिसका सशोधन होना है

Section 25—The District Judge for the purpose of satisfying hmiself that a decree or order made in any case decided by a Cuoıt of Small Causes was according to law may call for the and pass such order with repsect thereto as it thinks fit.

Revision of decress and orders of Courts of Small Causes.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३३ एल० ए०—१९६६—८६२।